बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 159

मजबूत हो सांख्यिकीय प्रणाली

जैसा कि इस समाचार पत्र में भी हाल ही में प्रकाशित हुआ, केंद्र सरकार ने आठवीं आर्थिक जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष उसकी औपचारिक शुरुआत कर दी जाएगी। आर्थिक जनगणना एक अहम उपाय है जो देश भर के प्रतिष्ठानों के ढांचों और परिचालन को लेकर विस्तृत डेटा मुहैया कराता है। इसके आधार पर आर्थिक गतिविधियों, स्वामित्व और श्रम शक्ति संबद्धता को लेकर अंतर्दृष्टि हासिल की जा सकती है।

यह आंकड़ा राज्य और जिला स्तर पर सामजिक आर्थिक नियोजन के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। बहरहाल चिंताएं बरकरार हैं। सबसे ताजा आंकड़े छठी जनगणना के हैं जो 2013 में हुई थी। इसके नतीजे 2016 में प्रकाशित किए गए। सातवीं आर्थिक जनगणना 2019 में हुई थी लेकिन उस दौरान कई बाधाएं आईं। आरंभ में प्रक्रिया कोविड-19 महामारी से बाधित हुई थी और उसके बाद संग्रहित आंकड़ों की गुणवत्ता को लेकर तमाम चिंताएं उत्पन्न हो गईं।

सातवीं गणना के आंकड़ों का जारी होना जरूरी है ताकि अलग-अलग अवधि को लेकर सार्थक तुलना और विश्लेषण किया जा सके। एक तथ्य यह भी है कि यह प्रक्रिया बिना किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाधित हुई। इससे प्रक्रिया की ईमानदारी को लेकर तमाम सवाल पैदा होते हैं। यह समूची सांख्यिकी प्रणाली की मजबूती पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। आंकड़ों की गुणवत्ता और पुराने अनुभवों से सीखे गए सबक की बात करें तो इसके लिए पारदर्शिता बहुत आवश्यक है और डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे न केवल कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी बल्कि सांख्यिकीय प्रक्रिया में विश्वास बहाल होगा तथा यह सुनिश्चित हो सकेगा कि भविष्य में होने वाली ऐसी गणना में आंकड़ों तथा विश्वसनीयता का ध्यान रखा जाए।

इसके अलावा सरकार नैशनल सैंपल सर्वे के 80वें दौर को अंजाम देने पर विचार कर रही है जिसमें स्वास्थ्य, घरेलू यात्रा और पर्यटन संबंधी व्यय आदि शामिल होंगे। सेवा क्षेत्र का एक व्यापक सर्वेक्षण भी उसके तत्काल बाद कराया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रह के प्रयासों का दायरा बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार ने हाल ही में कई बड़े सैंपल सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार खपत व्यय सर्वे के आंकड़े 2011 के बाद पहली बार जारी किए गए। इन कोशिशों को राष्ट्रीय सांख्यिकी और अन्य प्रमुख सूचकांकों के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन के लिए सलाहकार समितियों की स्थापना के जरिये पूरा किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की सांख्यिकीय प्रणाली की प्रासंगिकता बरकरार रहे और वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे। नीति निर्माण को बेहतर बनाने तथा समग्र सांख्यिकीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अद्यतन और बेहतर आंकड़ों का होना आवश्यक है।

बहरहाल, सरकार की हालिया चर्चाओं और उसकी प्रतिबद्धता के बावजूद इन प्रयासों का असर तब तक सीमित रहेगा जब तक कि दशकीय जनगणना जो 2021 में होनी थी, को अंजाम नहीं दिया जाता। वर्ष 1881 के बाद पहली बार जनगणना को टाला गया है और अभी भी यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इसे कब कराया जाएगा। जनगणना समूची सांख्यिकीय प्रणाली का आधार है। वह जो आधार प्रदान करती है उसी पर नमूना सर्वेक्षणों और नीतिगत निर्णयों के सटीक और विश्वसनीय होने का दारोमदार होता है। बिना ताजा जनगणना के आंकड़ों के इनमें से कुछ सर्वे की सत्यता और नीतिगत निर्णयों का प्रभाव सीमित हो सकता है। ऐसे में जहां सरकार के सांख्यिकीय ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयास सही दिशा में हैं, वहीं इनका समय पर क्रियान्वयन भी आवश्यक है। यह महत्त्वपूर्ण है कि नीति निर्माता तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में समय पर और सटीक आंकड़ों की मदद से नीतिगत हस्तक्षेप को प्रभावी बना सकें।

अजय मोहंती

टिकाऊ विकास के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा जरूरी

काम करने के सुरक्षित हालात उपलब्ध कराना नैतिक दायित्व भर नहीं है। आर्थिक सफलता पाने के लिए भी यह आवश्यक है। विस्तार से बता रहे हैं अमित टंडन

विनिर्माण के गढ़ के रूप में भारत का उभार काफी हद तक भूराजनीतिक बदलावों के कारण है क्योंकि दुनिया भर के कारोबार अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु इस उभार या कायाकल्प की बुनियाद वैश्विक बदलावों के पहले ही रखी जा चुकी थी, खास तौर पर 2014 में 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत के साथ।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम नवाचार को बढ़ावा देकर और भारत को उत्पादन में वैश्विक अगुआ बनाकर विनिर्माण क्षेत्र में नई जान फूंकने के इरादे से बनाया गया था। सरकार की कई नीतियों के केंद्र में यही पहल है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की योजना, सरल नियामकीय प्रक्रियाएं, बुनियादी ढांचा विकास पर ध्यान और कौशल विकास पर जोर ऐसी ही नीतियां हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य कारोबारी वृद्धि को तेज करना तथा देश को विनिर्माण में निवेश के लिए आकर्षक ठिकाना बनाना है।

देश की आबादी में बड़ा हिस्सा युवा श्रम बल का है, जो इन नीतियों के लिए एकदम अनुकूल और पूरक है। बढ़ते बाजार और श्रम की लगातार आपूर्ति का यह जोड़ कारोबारों के विस्तार के लिए अनुकूल है और भारत को उन कंपनियों के लिए उपयुक्त बनाता है जो अपना विनिर्माण कारखाना लगाना चाहती हैं या विनिर्माण का विस्तार करना चाहती हैं। यही कारण है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अहम भूमिका निभाने को तैयार है और वैश्विक विनिर्माण का अहम हिस्सा बन सकता है।

किंतु इस वृद्धि के साथ आने वाली आर्थिक जीवंतता में चुनौतियां भी होती हैं। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाएं तथा कामकाज में होने वाले नुकसान कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बड़ी चुनौती हैं। दुर्भाग्यवश कार्यस्थल पर सुरक्षा देश में चिंता का बड़ा विषय है। एनएसई-500 कंपनियों के बिजनेस रिस्पॉंसिबिलिटी ऐंड सस्टेनबिलिटी रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के आंकड़े चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। वित्त वर्ष 2022 में कार्यस्थल पर चोट लगने की 9,880 घटनाएं हुईं थीं, जो 2022-23 में बढ़कर 10,726 हो गईं। गंभीर शारीरिक क्षति के मामले इसी अवधि में एक तिहाई बढ़कर 676 से 904 हो गए। वित्त वर्ष 22 में 586 मौत हुई थीं, जो 2022-23 में घटकर 463 रहीं, लेकिन ये भी रोजाना एक मौत से अधिक हैं।

इस आंकड़े के दो परेशान करने वाले पहलू हैं। पहला, यह शीर्ष 500 कंपनियों का आंकड़ा है यानी देश के कुल श्रम बल का बहुत छोटा हिस्सा इसमें आता है। देश के तकरीबन 90 फीसदी कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां काम की परिस्थितियां और भी खतरनाक होती हैं। यह कड़वी हकीकत बताती है कि सभी क्षेत्रों में कार्यस्थल पर सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना आवश्यक है। इतना ही नहीं ज्यादा पूंजी होने के कारण और अधिक संसाधन एवं सामग्री उपलब्ध होने के कारण इन कंपनियों में चोट के मामले कम होने चाहिए। इससे यही माना जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी कम से कम प्रतिशत में तो बहुत ज्यादा होगी।

दूसरा पहलू यह है कि ये आंकड़े प्रत्यक्ष रोजगार से जुड़े हैं और ठेके पर काम करने वालों के बारे में कुछ नहीं बताते। इससे पता चलता है कि वास्तविक आंकड़े काफी ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ज्यादातर काम सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों से नहीं कराया जाता बल्कि अस्थायी कर्मचारियों को दिया जाता है और ठेके पर कराया जाता है। उदाहरण के लिए खतरनाक रसायन निपटाते समय छह कर्मचारियों की मौत कंपनी ने आंकड़ों में शामिल नहीं की। उसने तर्क दिया कि यह काम ठेके पर दिया गया था। ऐसे आंकड़ों की जानकारी जरूरी होनी चाहिए और यह काम आसानी से कराया जा सकता है।

बीआरएसआर कहता है कि कंपनियों को कर्मियों और श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं के आंकड़े चार श्रेणियों में जरूर बताने चाहिए। ये श्रेणियां हैं - काम के दौरान चोट के दर्ज किए जाने योग्य कुल मामले, मृत्यु के मामले, काम के दौरान गंभीर चोट के मामले और इनके कारण नष्ट हुआ समय। कंपनियां स्वयं भर्ती किए गए कर्मचारियों के संबंध में ही ऐसी जानकारी देती हैं। ठेके पर रखे गए कर्मियों के आंकड़े भी शामिल कर लिए जाएं तो ज्यादा पूर्ण तस्वीर सामने आएगी।

नीदरलैंड्स के सबसे बड़े पेंशन फंड एपीजी के थिएस आतेन (एपीजी और एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने ही हमें कार्यस्थल पर चोट के मामलों पर नजर डालने के लिए प्रोत्साहित किया) ने कहा, 'शेयरधारकों को शायद ही कभी उन कमियों के बारे में बताया जाता है, जिनके कारण चोट या मौत होती हैं। ऐसी घटनाएं दोबारा होने से रोकने के कदम भी नहीं उठाए जाते। प्रदर्शन के अहम सूचकों (केपीआई) या लक्ष्यों, घटनाओं की जानकारी की व्यवस्था और कोई अनहोनी होने पर मुआवजा दिए जाने की भी बहुत कम जानकारी दी जाती है। बीमा का दावरा बहुत कम है और अक्सर इसमें ठेके वाले कर्मचारी शामिल नहीं किए जाते। इसी प्रकार 70 फीसदी से अधिक कंपनियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों में मूल्य श्रृंखला के साझेदार शामिल नहीं किए जाते।'

इस स्थिति के लिए कमजोर निगरानी और नेतृत्व की बेरुखी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कल्याण को कंपनी बोर्ड तथा प्रबंधन शायद ही कभी प्राथमिकता देते हैं। उनका ध्यान अक्सर वित्तीय प्रदर्शन पर ही रहता है। सुरक्षा जांच या ऑडिट का इस्तेमाल समूचे संगठन में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखने वाली मानसिकता तैयार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए मगर अक्सर यह रस्मअदायगी बनकर रह जाता है। कंपनी बोर्डों को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए।

दुर्घटनाएं आंकड़े भर नहीं होतीं। उनसे लोगों को कष्ट होता है। लोग, परिवार और कभी कभार पूरे समुदाय इनकी चपेट में आ जाते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा नैतिक रूप से तो जरूरी है ही, कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं का आर्थिक असर भी बहुत गहरा होता है। इससे कारोबारों की लागत बढ़ जाती है, इलाज का खर्च बढ़ जाता है, उत्पादकता घट जाती है और कानूनी देनदारी भी बनती है। इनसे आर्थिक वृद्धि को झटका लग सकता है और कारोबारों की वित्तीय सेहत खराब हो सकती है।

काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना नैतिक दायित्व से बढ़कर है क्योंकि इससे टिकाऊ आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलता है। कार्यस्थल सुरक्षित हो तो कुशल कर्मचारी कंपनी में बने रहते हैं, कारोबारों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और सभी हितधारकों का आपसी भरोसा बढ़ता है। इससे बाजार में लंबे समय तक सफलता और होड़ बनी रहती है।

(लेखक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया से जुड़े हैं। लेख में निजी विचार हैं)

रोजगार संकट का कोई त्वरित समाधान नहीं

बेरोजगारी पर आने वाली सभी नकारात्मक रिपोर्टों को लंबे अरसे तक खारिज करने के बाद सरकार ने आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में यह बात स्वीकार की है कि उसके सामने बेरोजगारी की समस्या है। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई आर्थिक समीक्षा में भी रोजगार सृजन और बेरोजगारी के मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया है।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पांच योजनाओं की घोषणा की जिनमें से अधिकांश ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने पर नियोक्ताओं को अधिक प्रोत्साहन देने की बात करती हैं। इनमें से एक योजना खास तौर पर दिलचस्प थी। वित्त मंत्री चाहती हैं कि देश की शीर्ष 500 कंपनियां प्रशिक्षुओं की भर्ती करें और उन्हें प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये देने की बात है और उन्हें एक बार 6,000 रुपये की एकमुश्त सहयोग राशि भी मिलेगी। सरकार प्रशिक्षुओं की छात्रवृत्ति पर होने वाले ज्यादातर खर्च की भरपाई करेगी। कंपनियां उसका बचा हिस्सा देंगी और प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च उठाएंगी। इसका अंतिम ब्योरा अभी आना है।

ये विचार बहुत व्यावहारिक नहीं हैं। इनसे यह भी लगता है कि सरकार इस समस्या को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रही है। भारत में बेरोजगारी समस्या है, युवा बेरोजगारी ज्यादा बड़ी समस्या है, रोजगार सृजन समस्या है और युवाओं में उपयुक्त कौशल की कमी भी समस्या है। इनसे दो बातें सामने आती हैं। पहली, हर वर्ष भारी तादाद में कार्य बल में शामिल हो रहे युवाओं को या उनमें से ज्यादातर को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नौकरियां सुनिश्चित की जाएं। दूसरी बात, यह सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार तलाश रहे युवा वाकई में भर्ती के योग्य हैं।

दुनिया के सभी देश रोजगार के पर्याप्त मौके तैयार करने की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी और युवाओं की ज्यादा तादाद के कारण भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप किस तरह के आंकड़े उठाते हैं, उसके हिसाब से भारत में कामकाजी आबादी 1 करोड़ से 1.4 करोड़ हो जाती है। इनकी भर्ती के लिए रोजगार के मौके तैयार करना मुश्किल है चाहे अर्थव्यवस्था सालाना 7-8 प्रतिशत की दर से ही क्यों न बढ़ रही हो।

प्रसेनजित दत्ता

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की हरेक इकाई के बदले सृजित रोजगार की संख्या पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में काफी कम हुई है क्योंकि तकनीकी प्रगति और दूसके कारणों से उत्पादकता में तेजी से इजाफा हुआ है। 1970 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में आबादी के लिए रोजगार के मौके तैयार करने की क्षमता जीडीपी वृद्धि की लगभग 1 प्रतिशत थी और उस समय आबादी भी बहुत कम थी। वर्तमान दशक में रोजगार देने की क्षमता घटकर 0.1 फीसदी रह गई है। इस प्रकार 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि भी रोजगार के पर्याप्त मौके शायद ही तैयार कर पाएगी।

बड़ी तादाद में नई नौकरियां तैयार करने का एक ही तरीका है - भारत को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की नई क्षमताओं का आकर्षक केंद्र बनाया जाए। कारोबारी सुगमता बढ़ने की तमाम बातों के बावजूद हकीकत यह है कि भारत में कारोबारियों को अनुपालन, नियमन और दूसरी कई बाधाओं से निपटना पड़ता है। कई विनिर्माताओं के लिए भारत में बहुत बड़ा बाजार है मगर कारखाना लगाना वियतनाम जैसे देश में ज्यादा आसान है। यह भी एक वजह है कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र नहीं बन पाया है।

भारत को अधिक आकर्षक केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में निवेश के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा और देश में ठिकाना तलाश रहे वैश्विक विनिर्माण (एवं सेवाएं) निवेशकों के लिए मुश्किलें कम करनी होंगी। इन्हें उन देशी उत्पाद कंपनियों को भी सहारा देना चाहिए, जो भारत में उत्पादन के बजाय अब भी चीन से आयात पर ज्यादा निर्भर हैं।

दूसरी समस्या यानी कौशल की कमी से निपटने के लिए सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम आजमाए हैं। मगर यह समाधान सही नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी चरमराई शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। दुनिया का कोई भी देश शिक्षा पर ध्यान दिए बिना तेजी से आगे नहीं बढ़ सका है। इस बात पर अक्सर बहस होती है कि सरकार शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि खर्च कर रही है या नहीं। यह बहस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। वर्ष 1976 में एक संशोधन के जरिये शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था।

शिक्षा में सुधार के लिए हमारी केंद्र तथा राज्य सरकारों के नीति-निर्माताओं को एकदम नए सिरे से सोचना होगा। यह वास्तव में सच्चे संघवाद की परीक्षा होगी क्योंकि इसके लिए केंद्र और राज्य को एक-दूसरे का सहयोग भी करना होगा और मिलकर काम भी करना होगा।

12वीं कक्षा तक सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त शिक्षा आवश्यक है। इसका मतलब है कि स्कूल चलाने, अच्छे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और शिक्षकों को पुरस्कृत करने में राज्यों को ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी होगी। वियतनाम इस बात का अच्छा उदाहरण है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देकर इसे संभव बनाया जा सकता है।

कोचिंग संस्थान बंद करने होंगे क्योंकि स्कूल पढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी इन संस्थानों पर डाल देते हैं। साथ ही स्कूलों का सही संचालन सुनिश्चित करने के लिए नियामकीय क्षमता भी बढ़ानी होगी। कॉलेज, विश्वविद्यालयों या तकनीकी संस्थानों के स्तर पर कुछ भी कर लें, जब तक स्कूली शिक्षा ठीक नहीं की जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अगर बुनियादी शिक्षा और साक्षरता ही कमजोर है तो किसी को कौशल भी नहीं दिया जा सकता।

इसके लिए दीर्घकालीन योजना बनानी होगी और ध्यान देना होगा। अगर यह काम ठीक से किया जाता है तो अब से एक दशक बाद नतीजे दिख सकते हैं। लेकिन अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का विकल्प नहीं बचा है।

(लेखक बिज़नेस टुडे एवं बिज़नेस वर्ल्ड के पूर्व संपादक तथा संपादकीय सलाहकार कंपनी प्रोजेक व्यू के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

लैटरल एंट्री: दबाव मुक्त पारदर्शी भर्ती जरूरी

नई लोक सभा में सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। वक्फ बोर्ड, लैटरल एंट्री जैसे मुद्दे सरकार के गले की फांस बने हुए हैं। आने वाले दिनों में ऐसे मामले विवाद की वजह बन सकते हैं। ताजा विवाद यूपीएससी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उपसचिव और निदेशकों के 45 पदों पर भर्ती निकालने पर है जो बिना परीक्षा दिए लैटरल एंट्री के आधार पर केवल इंटरव्यू के तहत होगी। हालांकि केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस पर फिलहाल रोक लगा दी है लेकिन इस भर्ती के नफा नुकसान जानना भी जरूरी है। लैटरल एंट्री से यूपीएससी के छात्रों के हक पर डाके के साथ ही प्रतिभाओं का भी हनन होगा। वहीं सीधी भर्ती के कारण परीक्षाएं नहीं होने से जहां पर पदस्थ अभ्यर्थियों पर दबाव में काम का बोझ हो सकता है, वहीं इस प्रक्रिया में आरक्षण नहीं होने से संबंधित वर्गों का नुकसान होगा। हालांकि नुकसान के साथ ही इसके कुछ फायदे भी हैं। इससे अनुभवी लोगों की प्रतिभा का उपयोग हो सकता है। इसके लिए जरूरी यह है कि तमाम भर्तियां नियमों के तहत हों। हालांकि ये भर्तियां कांग्रेस शासन से ही चली आ रही है। 1970 के दशक में कांग्रेस ने डॉ. मनमोहन सिंह और मोंटिक सिंह आहलुवालिया को इसके जरिये सेवा में लिया था और 1976 में डॉ. मनमोहन सिंह वित्त सचिव बने थे।

अमृतलाल मारू, इंदौर

सरकार ने मंगलवार को यूपीएससी द्वारा संयुक्त सचिव, उपसचिव और निदेशकों के 45 पदों पर लैटरल एंट्री को रद्द कर दिया है

भारत का पक्ष हुआ कमजोर

हमारे एकमात्र पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार का पतन हमारे कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों के लिए चिंताजनक है। विगत वर्षों में दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग के कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। जहां एक ओर बांग्लादेश ने भारत के हितों की चिंता की है, वहीं भारत ने भी बांग्लादेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कई अरब डॉलर की राशि निवेश किया है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत का पक्ष कमजोर हुआ है।

पूर्व लुनावत, औरंगाबाद

भारत का दबाव बना रहेगा

भारत का आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बांग्लादेश पर बना रहेगा और उसे बहुत कुछ हमारी नीतियों पर ही चलना पड़ेगा। फिलहाल थोड़ा नुकसान व्यापारिक तौर पर हो सकता है। किंतु आगे हमारे कूटनीतिक दबाव के चलते उसे हमारे साथ सामान्य संबंध बनाने ही होंगे।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

भारत से आर्थिक रिश्ते बनाए रखने होंगे

बांग्लादेश के वर्तमान हालात को देखते हुए आगे भारत के प्रति उसके कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते क्या होंगे अनुमान लगाना फिलहाल असंभव है। शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं। बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता कि भारत के प्रति उनकी क्या सोच रहती है। मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है जिससे लगता है कि उन्हें भारत और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की चिंता है और उन्हें भारत से आर्थिक रिश्ते भी आगे बनाकर रखने ही होंगे।

संजय डागा, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारत के दौरे पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को नई दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए।

बंदूक से आतंकियों को तो समाप्त कर सकते हैं, लेकिन आतंक के खात्मे के लिए शिक्षा जरूरी है। -मलाला यूसुफजई

ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ दल पर आतंकी हमला दर्शाता है कि आतंकवादी चुनावी प्रक्रिया में खलल डालना चाहते हैं। ऐसे में, सुरक्षाबलों को तो अतिरिक्त सतर्क रहना ही होगा, स्थानीय लोगों को भी लोकसभा चुनाव वाला उत्साह दिखाना होगा।

चुनाव, हिंसा और मंशा

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू-कश्मीर के राज्य से केंद्रशासित प्रदेश में तब्दील होने के बाद पहली बार होने जा रहे ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव की निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के तीन दिन बाद और प्रथम चरण की अधिसूचना जारी होने के ठीक एक दिन पहले पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के संयुक्त गश्ती दल पर उधमपुर में हुआ आतंकी हमला, जिसमें एक इंस्पेक्टर का बलिदान भी हुआ, आतंकियों की बौखलाहट को दर्शाने के साथ जम्मू में गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले डोडा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में भी 48 राष्ट्रीय राइफल के एक कैप्टन का बलिदान हुआ था। गृह मंत्रालय के आंकड़े भी बताते हैं कि इस वर्ष 21 जुलाई तक करीब 11 आतंकी वारदातों और 24 आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगभग 28 लोगों ने जानें गंवाईं हैं, जिनमें आम नागरिक और सैनिक, दोनों शामिल हैं। जाहिर है कि इसने सरकार को सुरक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया और इसी उद्देश्य से हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना प्रमुख भी शामिल थे। सुरक्षा ऑडिट ने एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर करीब दो दर्जन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। ऐसे में, सरकार की संशोधित रणनीति का प्रमुख फोकस जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों को सील करना और स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर है। हालांकि, सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए शुरू की गई बाड़ लगाने संबंधी परियोजना की धीमी प्रगति चिंतित करने वाली है, जिसके तहत निर्धारित 180 किलोमीटर में से अब तक सिर्फ 70 किलोमीटर को ही कवर किया गया है। डूडू पुलिस थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती चिल इलाके में हुए आतंकियों के ताजा हमले ने आगामी 27 अगस्त से एक सितंबर तक होने वाली कैलाश कुंड यात्रा को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसमें करीब पचास से सत्तर हजार तीर्थयात्री पहुंचते हैं। जम्मू-कश्मीर के लोग लंबे अरसे तक अस्थिरता के शिकार रहे हैं। अब समय आ गया है कि वे एक सुरक्षित व शांतिपूर्ण माहौल में अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। लेकिन उधमपुर जैसी घटनाएं बताती हैं कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में, सुरक्षा बलों को तो अतिरिक्त सतर्क रहना ही होगा, जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी एकजुट होकर वही उत्साह दिखाने की जरूरत है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाया था।

तालिबानी कुशासन के तीन साल

तालिबान वैधता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका शासन अत्याचार और विफलता का प्रतीक बना हुआ है। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान निराशा में डूब रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगानों, खासकर महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने इस क्रूर शासन का खामियाजा भुगता है।

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान को लौटे तीन साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान वे कई मोर्चों पर बुरी तरफ विफल साबित हुए हैं। तालिबानी शासन महिलाओं के दमन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बिगड़ते संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए निरर्थक संघर्ष के लिए पहचाना जाता रहा है। यही नहीं, तालिबानी शासन अफगान लोगों के लिए एक दुःस्वप्न की तरह है।

काबुल में तालिबानी शासन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने उसके गवर्नेंस मॉडल की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इन मुद्दों को सुलझाने की उसकी क्षमता ही अफगानिस्तान की भावी स्थिरता और सत्ता में तालिबान की दीर्घजीविता को निर्धारित करेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होना, आर्थिक संकट, सुरक्षा जोखिम और आंतरिक विभाजन उसके लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में तालिबान को निपटना होगा। अगस्त, 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद विभिन्न चुनौतियों ने उनके शासन और राजनीतिक वैधता की परीक्षा ली है। सत्ता में तीन साल रहने के बाद भी तालिबान के सामने कई प्रमुख मुद्दे बरकरार हैं।

तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जिससे औपचारिक राजनयिक संबंध बनाने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने में उसे मुश्किल हो रही है। अफगानिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद से काफी कम हो गई है। प्रतिबंधों, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावित किया है।

महिला अधिकारों पर तालिबान की प्रतिबंधात्मक नीतियों, खासकर एक निश्चित उम्र के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, की व्यापक निंदा हुई है, जिसने शासन को वैश्विक समुदाय से अलग-थलग कर दिया है। इससे घरेलू अशांति और असंतोष भी बढ़ा है। तालिबान द्वारा सख्त शरिया कानून लागू करने से मानवाधिकारों के हनन की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से फांसी देना और अंग-भंग करना शामिल है। इन प्रथाओं को वैश्विक स्तर पर आलोचना की गई है और इससे अफगान आबादी में डर और आक्रोश पैदा हुआ है।

अफगान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। बैंकिंग प्रणाली ढहने के कगार पर है और देश में नकदी की भारी कमी है। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी ने मानवीय संकट को जन्म दिया है। कई अफगान लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और खाद्य असुरक्षा व्याप्त है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसआईएस-के) लगातार खतरा बना हुआ है, जो पूरे मुल्क में घातक हमले कर रहा है। इन हमलों से तालिबान की सुरक्षा क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान के भीतर भी मतभेद हैं, जिसमें अलग-अलग गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। ये विभाजन अंदरूनी कलह को जन्म दे सकते हैं और उनके नियंत्रण को अस्थिर कर सकते हैं।

अफगानिस्तान अफीम का एक प्रमुख उत्पादक है, और तालिबान पर नशीली दवाओं के व्यापार से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है। इसने अंतरराष्ट्रीय जांच और प्रतिबंधों को भी आकर्षित किया है। हालांकि तालिबान ने अफीम उत्पादन पर अंकुश लगाने की कसम खाई है, लेकिन अवैध अर्थव्यवस्था अब भी फल-फूल रही है।

पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, खास तौर पर सीमा मुद्दों और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) की मौजूदगी के कारण। इसी तरह, ईरान के साथ रिश्ते सांप्रदायिक मतभेदों और जल विवादों के कारण जटिल हैं। तालिबान ने चीन और रूस के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों के ही अफगानिस्तान में रणनीतिक हित हैं। इसलिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को लेकर संशय है। हालांकि किसी भी अरब देश ने तालिबान को अब तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन वे तालिबान शासन के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़े हुए हैं, मानवीय सहायता प्रयासों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को संतुलित कर रहे हैं।

अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जहां लाखों लोग भूख और ढहती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सामना कर रहे हैं। तालिबान इन मुद्दों को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों पर निर्भर है। कई अफगान भागकर पड़ोसी देशों में या यूरोप चले गए हैं। इस प्रतिभा पलायन ने देश में सुधार की संभावनाओं को और कमजोर कर दिया है। तालिबान के केंद्रीकृत शासन मॉडल में सत्ता कुछ ही नेताओं के हाथों में केंद्रित है, जिससे अक्षमता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इससे पूरे देश में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो गया है।

तालिबान के साथ भारत के रिश्ते जटिल हैं और भारत सतर्कतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया है और पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों के साथ तालिबान के रिश्तों को लेकर चिंतित है। हालांकि, नई दिल्ली सावधानीपूर्वक तालिबान के संबंध बनाए हुए है, अफगानिस्तान की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश सहित उसके हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की इच्छा से भारत की भागीदारी सीमित है।

तालिबानी शासन ने अफगानिस्तान को फिर से अंधकार युग में धकेल दिया है, जहां महिलाओं को उनकी दमनकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने में तालिबान की असमर्थता ने मुल्क को अलग-थलग करके आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। कभी तालिबान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान से भी उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं।

कुल मिलाकर, तालिबान वैधता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका शासन अत्याचार और विफलता का प्रतीक बना हुआ है। दुनिया देख रही है कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान अराजकता और निराशा में डूब रहा है, और बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों, खासकर महिलाओं के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने इस क्रूर शासन का खामियाजा भुगता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

गौतम बुद्ध

तमाम विचारों पर संदेह करें, लेकिन इसको आदत नहीं बनाएं, क्योंकि संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह ऐसा जहर है, जो मित्रता और हमारे जीवन के सुखद संबंधों को भी खत्म कर देता है।

उसी बात पर भरोसा करें जो तर्क पर खरी उतरे

हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। उस पूरे दिन में हम जो करते हैं, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक दिन में हम कई लोगों से मिलते हैं और पवित्र शब्द बोलते हैं। यदि दूसरों से कहे पवित्र शब्दों पर खुद अमल नहीं किया तो, उनका कोई मोल नहीं रह जाता है। हम अच्छे और पवित्र शब्द बोलकर पवित्र नहीं हो सकते हैं। हम अच्छी बनावटी चादर ज्यादा देर तक नहीं ओढ़ सकते हैं। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिप सकतीं-चंद्रमा, सूर्य और सत्य। इसलिए हमें अपने विचारों से पवित्र होना होगा, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे विचारों का परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है, तो दुख उसका पीछा करता है, जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है, तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें कि आपने उसे सुना है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें, क्योंकि वह कई लोगों द्वारा कही गई और फैलाई गई है। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें, क्योंकि वह आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी है। किसी भी बात पर सिर्फ अपने गुरुओं और बड़ों के कहने पर विश्वास न करें। परंपराओं पर सिर्फ इसलिए विश्वास न करें, क्योंकि वे कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आपको लगे कि कोई बात तर्क से मेल खाती है और सभी के भले और लाभ के अनुकूल है, तो उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन जिएं। तमाम तरह के विचारों पर संदेह करें और उसका खुद से विश्लेषण जरूर करें। लेकिन संदेह को आदत नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि संदेह लोगों को अलग कर देता है। यह ऐसा जहर है, जो मित्रता को तोड़ देता है और हमारे जीवन के सुखद संबंधों को भी तोड़ देता है। यह एक ऐसा कांटा है, जो हर पल परेशान करता है और चोट पहुंचाता है। इससे हमें कोई नहीं बचा सकता, सिवाय हमारे खुद के। हमें खुद अपना रास्ता तैयार करना होगा। हम सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार एक ऐसी जगह है, जहां सभी मन एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर ये मन एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो घर फूलों के बगीचे की तरह खूबसूरत होगा। लेकिन अगर ये मन एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से बाहर हो जाते हैं, तो यह एक तूफान की तरह है, जो बगीचे में तबाही मचाता है। अंत में, केवल तीन चीजें मायने रखती हैं, आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी विनम्रता से जीवन जिया, और आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया, जो आपके लिए नहीं थीं।

चट्टान की तरह ठोस बनें

सूत्र

क्रोध को अपने पास रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है, इससे आप ही जलते हैं। यदि प्रेम को अपने पास रखेंगे, तो आप खुद खुश होंगे और दूसरे लोग भी आपसे मिलकर हमेशा खुश रहेंगे। खुद को ठोस चट्टान जैसा बनाएं, जो हवा से नहीं हिलती। वैसे ही प्रशंसा या निंदा से हमें कोई हिला न सके।

दूसरा पहलू

अभ्यास और थोड़ा-सा जैविक स्वभाव ज्यादातर महान खिलाड़ियों को ज्यादा चतुर बनाता है।

महान खिलाड़ियों का अलग होता है मनोविज्ञान

बात 1920 की है, जब बेसबाल खिलाड़ी बेब रूथ ने न्यूयॉर्क यांकीज के लिए अपना पहला सत्र खेला था और शानदार प्रदर्शन कर 54 रन जोड़े। अकेले उनके रन किसी भी टीम से ज्यादा थे। उनका खेल कौशल एक आम खिलाड़ी से काफी अलग था। वह मोटे थे, उन्हें अभ्यास करना पसंद नहीं था और अक्सर पार्टियों में वह शराब पीते और जुआ खेलते दिख जाते थे। सवाल यह है कि वह बेसबाल के मैदान पर इतनी महानता कैसे हासिल कर सके। इसका जवाब जानने के लिए *न्यूयॉर्क टाइम्स* के खेल लेखक स्टू फुलर्टन कोलंबिया विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान प्रयोगशाला पहुंच गए।

अलवर्टो फिग्यूरस

बेब रूथ मोटे थे, उन्हें अभ्यास करना भी पसंद नहीं था, फिर वह सबसे ज्यादा रन कैसे बनाते थे। यह जानने में वैज्ञानिकों को एक सदी लग गई।

फुलर्टन को जिज्ञासा थी कि यदि रूथ की सफलता का विश्लेषण शारीरिक योग्यता से नहीं किया जा सकता, तो इसमें कौन-से कारक शामिल हो सकते हैं। रूथ ने अपने प्रत्येक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आम लोगों से ज्यादा अंक प्राप्त किए। रूथ के परीक्षण पर फुलर्टन ने 'बेब रूथ कहीं सबसे महान होम रन हिटर हैं' शीर्षक से लेख प्रकाशित किया। इसका निष्कर्ष था कि खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का आधार सिर्फ शारीरिक विशेषताएं ही नहीं, बल्कि मानसिक कौशल का स्तर भी है। रूथ ने सतर्कता, स्मृति और संज्ञानात्मक कार्यों में सामान्य लोगों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया था। खेल वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में पूरी एक सदी बीत गई कि उच्चस्तरीय कौशल विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए एक सामान्य लक्षण था या फिर रूथ प्रतिभाशाली थे।

2022 में पेशेवर खिलाड़ियों व सामान्य लोगों की तुलना करते हुए 41 अध्ययन किए गए। 5,339 प्रतिभागियों, जिनमें 2,267 खिलाड़ी शामिल थे, के डाटा विश्लेषण में पेशेवर खिलाड़ी शीर्ष निर्णय लेने में आगे दिखे।

वर्ष 2018 में प्रकाशित एक खोजपूर्ण मेटा विश्लेषण में मैने और मेरे सहयोगियों ने सिर्फ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित कर पाया कि खेल संबंधी निर्णय लेते वक्त अविस्मरणीय सतर्कता और स्मृति उनके दिमाग की खासियत थी। 2022 में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी के निकोल लोगान और सहकर्मियों की समीक्षा में पेशेवर खिलाड़ियों और सामान्य लोगों की तुलना करते हुए 41 अध्ययन किए गए। 5,339 प्रतिभागियों, जिनमें 2,267 खिलाड़ी शामिल थे, का डाटा विश्लेषण किया गया। परिणामों में सामान्य लोगों की तुलना में पेशेवर खिलाड़ी निर्णय लेने में आगे दिखे। धारणा है कि जितना अभ्यास करेंगे, उतने ही ज्यादा निखरते चले जाएंगे। लेकिन सही निर्णय लेने वाले महान खिलाड़ी किसी भी स्थिति के संभावित परिणामों का अनुकरण करने के लिए अपने दिमाग के संज्ञानात्मक कौशल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। दरअसल, अभ्यास और थोड़ा-सा जैविक स्वभाव, ज्यादातर महान खिलाड़ियों को ज्यादा चतुर बनाता है। (द कन्वर्सेशन से)

आंकड़े

म्यूचुअल फंड

पिछले दस वर्षों में भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या में करीब पांच गुना इजाफा हुआ है।

मार्च 2014	3.95
मार्च 2018	7.13
मार्च 2020	8.97
मार्च 2022	12.02
जुलाई 2024	19.10

आंकड़े म्यूचुअल फंड खाताधारकों के करोड़ में। | स्रोत : AMFI, SBI Research

मनु-शतरूपा को यह वरदान मिला कि भगवान उनके यहां पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, तब मनु ने कहा, भगवन! जीवनभर हमारी आपमें पुत्र के रूप में ही ममता रहे।

दशरथ की भगवान में ममता

स्वायंभुव मनु और शतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान को अपने सम्मुख देखकर महाराज मनु अपनी सुध-बुध भूल गए। उन्होंने संकोच करते हुए कहा कि प्रभु मेरी इच्छा है, 'बिल्कुल आपके समान ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हो।' भगवान ने कहा, 'मेरे समान तो मैं अकेला ही हूं। अतः तुम जब सूर्यवंश में महाराज दशरथ के रूप में और शतरूपा तुम्हारी पत्नी कौशल्या के रूप में जन्म लेंगी, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा।'

भगवान से वरदान मिलने के बाद महाराज मनु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, 'भगवन! एक प्रार्थना और है, आप जब मेरे यहां उत्पन्न हों, तो मेरी पुत्र के रूप में ही आपमें ममता हो। मैं पुत्र समझकर ही आपके प्रेम में सदा निमग्न रहूं।' भगवान ने कहा- ऐसा ही होगा। कालांतर में मनु और शतरूपा ने दशरथ व कौशल्या के रूप में जन्म लिया। बाद में इन दोनों के यहां भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया। जब श्रीराम वन गए और सुमंत उन्हें छोड़कर अकेले लौटे, तो महाराज दशरथ के शोक का ठिकाना नहीं रहा और अपने प्राण त्याग दिए। पूर्व में मिले वरदान के अनुसार, अंत समय तक महाराज दशरथ की भगवान में पुत्र के रूप में ही ममता रही।

अंतर्वाणी
संकलित

राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि राम।
तनु परिहरि रघुबर-बिरह, राउ गयउ सुरधाम।।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 14 मार्च, 1958

राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे

राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे

नई दिल्ली, 13 मार्च। भारत सरकार द्वारा विधुक राज कमेटी ने यह सिफारिश की है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे।

कमेटी का मत है कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने से करोड़ों रुपये व्यर्थ जाएंगे, जो जयपुर बनाने के लिए खर्च किए गए।

भारत सरकार द्वारा नियुक्त राज कमेटी ने यह सिफारिश की है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर ही रहे। कमेटी का मत है कि अजमेर को राजस्थान की राजधानी बनाने से करोड़ों रुपये व्यर्थ जाएंगे, जो जयपुर बनाने के लिए खर्च किए गए।

आरक्षण का वर्गीकरण समय की मांग

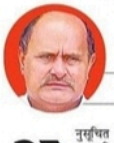

सामाजिक न्याय और आरक्षण का वर्गीकरण ऐसा मुद्दा है, जिसमें लगातार संशोधन नहीं हुआ, तो यह एक नया जातिवाद गढ़ देगा।

केसी त्यागी, भूतपूर्व सांसद — **मुद्दा**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में आरक्षण वर्गीकरण की बहस, जो लंबे समय से चली आ रही थी, को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय से दूर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत के फैसले में कहा कि राज्यों को राष्ट्रपति ने सूची में अधिसूचित अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि उन्हें सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में 'अधिक' अभिमान्यता प्रदान की जा सके।

यह निर्णय कई मायनों में क्रांतिकारी साबित होगा, क्योंकि देश में वंचित तबकों के अंदर कई तरह के सामाजिक समुदाय जैसे, कामगार, हुनरमंद, कारीगर और वानवासी आदि करने वाले वर्ग सामाजिक न्याय की नीतियों और राजनीति को दुरुस्त करने की प्रिय लंबे समय से मुखर हैं, लेकिन उन समुदायों की समाज व राजनीति में अदृश्यता है। इसलिए देश की संसद तक उनकी आवाज नहीं आ पाती है। इससे उन आवाजों को भी बल मिलेगा और उन पर विचार किया जा सकेगा।

वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट की ईवी चिनैया की पांच सदस्यीय पीठ ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत वर्गीकरण पर रोक लगा दी थी, जबकि इस निर्णय में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'अनुच्छेद 341(2) एक एकीकृत समरूप वर्ग नहीं बनाता है। ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से विषम वर्ग हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य अनुसूचित जातियों को और वर्गीकृत कर सकता है।' मुख्य न्यायाधीश ने उपवर्गीकरण का विरोध करने वाले अनुसूचित समुदायों के विषय पर कहा कि उनका 'रवैया' ट्रेन के सामान्य डिब्बे में बैठे व्यक्ति जैसा है। सबसे पहले, डिब्बे के बाहर के लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक बार वे अंदर पहुंच जाते हैं, तो बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

आरक्षण वर्गीकरण के विरोध में कई तरह के भ्रामक तर्कों से वर्गीकरण की बहस को भटकाया जा रहा है, जबकि हमें फैसले को इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जाति पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर स्थित सबसे कम सुविधा प्राप्त समुदायों की चिंताओं को सामने लाकर न्याय की खोज को और गहरा कर दिया है। विरोधी रुख उनके ही वर्ग के अति वंचित वर्गों में उनके लिए अविश्वसनीयता पैदा कर रहा है, जबकि विरोधी रुख अपनाने वालों को सोचना चाहिए कि इससे उनकी असंवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनके साथ वे लोग भी खड़े मिलेंगे, जो अब तक उनकी मुहिम में साथ खड़े नहीं दिखाई देते थे, उसका प्रमुख कारण था कि वे मुख्य व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बन पाए थे।

अलग-अलग राज्यों में अनुसूचित जाति की जातियां सामाजिक-राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं। जैसे महाराष्ट्र में तीन दर्जन से अधिक जातियां शामिल हैं, लेकिन महार और मातंग सबसे प्रमुख हैं। इनकी साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से उच्च है। वहीं अनुसूचित जनजाति में गोंड और भील, दो सबसे बड़ी जनजातियां हैं, जबकि राजस्थान की राज्य सूची में कुल 59 अनुसूचित जातियां शामिल हैं, लेकिन मेघवाल सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है, जिसकी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति अन्य के मुकाबले बेहतर है। वहीं अनुसूचित जनजाति में मीणा सबसे प्रमुख जनजाति है, दर्जनों विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है। समुदाय की देश भर में पुलिस और नौकरशाही में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जाटव, पासी और दुसाध सबसे प्रमुख और सामाजिक-राजनीतिक रूप से सक्रिय जातियां हैं, जबकि इन्हीं राज्यों में मुसहर, सपेरा, बहेलिया, कलाबाज, खल्मीक और बदवाल आदि दर्जनों जातियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं।

न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा, 'लाभार्थी समूहों के भीतर असमानताओं की जमीनी हकीकत इतनी स्पष्ट है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक नौकरशाह और एक शारीरिक मजदूर के बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करना, भले ही दोनों अनुसूचित जाति समुदाय से हों, सांविधानिक जनादेश को पराजित करेगा।' सामाजिक न्याय और आरक्षण का वर्गीकरण ऐसा मुद्दा है, जिसमें लगातार संशोधन नहीं हुआ, तो यह एक नया जातिवाद गढ़ देगा। अतः वर्तमान में चली आ रही आरक्षण प्रणाली को एंपिरिकल डाटा के आधार पर आरक्षण को दो से अधिक वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक उपसमूह के लिए जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी के आधार पर अलग-अलग कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के अंदर से उठ रही आवाजों को भी पहचाने जाने की जरूरत है, ताकि केंद्र स्तर पर आरक्षण का वर्गीकरण किया जा सके।

-साथ में पंकज चौरसिया

सम्पादकीय

संस्कृत की समकालीन प्रासंगिकता

ज्ञान की भारतीय परम्परा के स्रोत के रूप में संस्कृत भाषा और साहित्य प्रेरणा और गौरव का विषय है। ज्ञान की साधना को जीवन के क्लेशों से छुटकारा दिलाने के उपाय के रूप में स्थापित करते हुए पुरुषार्थों से मनुष्य जीवन को समृद्धता में जीने का प्राविधान किया गया है। इसी से लिए ज्ञान को पवित्र माना गया है न कि दूसरों पर नियंत्रण का ज़रिया। संस्कृत विद्या के विस्तृत प्रांगण में सृष्टि और मनुष्य जीवन से जुड़े सभी पक्षों को शामिल किया गया है। वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियों, पुराणों, महाकाव्यों ही नहीं गणित, ज्योतिष, व्याकरण, योग, आयुर्वेद, वृक्षायुर्वेद, धातु विज्ञान तथा नाना विद्याओं जैसे व्यावहारिक विषयों का विकास विपरीत परिस्थितियों में भी होता रहा। इस ज्ञान-कोष को आक्रांताओं के विद्वेष का सामना करना पड़ा और नालंदा जैसे विश्वविख्यात ज्ञान केंद्र को नष्ट कर दिया गया। वाचिक पद्धति अध्ययन अध्यापन से बहुत कुछ बच गया और उसे अगली पीढ़ी अनेक विषयों के प्रतिपादन में संक्षिप्त, सांकेतिक तथा संयत सूत्र पद्धति का उपयोग किया गया। बादरायण का ब्रह्म सूत्र,आपस्तम्ब का धर्म सूत्र, वात्स्यायन का काम सूत्र, गौतम का न्याय सूत्र, पतंजलि का योग सूत्र और पाणिनिरचित व्याकरण का मानव मेधा का अप्रतिम प्रमाण 'अष्टाध्यायी' विविध विषयों का व्यवस्थित प्रतिपादन करते हैं। थोड़े से अक्षरों में निबद्ध सूत्र की विशद व्याख्या की जाती है। भाष्य और टीका की परम्परा शुरू हुई।

पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों पर कात्यायन ने वार्तिक लिखे। अष्टाध्यायी के अनेकानेक विस्तार हुए और वररुचाकार्य की लघुकौमुदी, भट्टोजिदीक्षित की सिद्धांतकौमुदी, पतंजलि का महाभाष्य, भर्तृहरि का वाक्यपदीय, नागेश भट्ट का शब्देन्दुशेखर और परिभाषेन्दुशेखर आदि व्याख्या ग्रंथ रचे गए। विश्लेषण की गहनता और विचार की स्वाधीनता के ये निकष आज भी स्पृहणीय हैं। दुर्भाग्य से संस्कृत विद्या पर संकुचित होने का आरोप लगाया जाता है। सत्य यह है भारत के विविध मतों की प्रचुरता है। वह वैचारिक उदारता और सहनशीलता का अनोखा उदाहरण है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद जैसे विभिन्न रूपों शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य आदि के द्वारा वेदांत का प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत की समग्र विविध व्याख्याओं को उपस्थित करते हैं।

भारतीय ज्ञान परम्परा के बौद्धिक परिवेश में प्रवेश करने पर ज्ञान के प्रति निश्छल उत्सुकता और अदम्य साहस के प्रमाण पग-पग पर मिलते हैं। इसमें आलोचना और परिष्कार का कार्य भी सतत होता रहा है। सैद्धांतिक अमूर्तन , खंडन-मण्डन की एक पारदर्शी एवं सार्वजनिक विमर्श की व्यवस्था को दर्शाती है। प्रत्येक शास्त्र की विषय वस्तु, उद्देश्य, प्रासंगिकता और इसके जिज्ञासु को सुनिश्चित किया गया था। ज्ञान अबाधित होना चाहिए और छल प्रपंच से रहित होना चाहिए। उसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि विभिन्न स्वीकृत प्रमाणों पर जाँच परख कर स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानार्जन में श्रवण, मनन और निदिध्यासन का अवलम्बन किया जाता है।

सस्ती एवं नकारात्मक राजनीति है लेटरल एंट्री का विरोध

संघ लोकसेवा आयोग ने केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की भूमिकाओं के लिए प्रतिभाशाली, कार्यक्षम और दक्ष भारतीय नागरिकों से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करके सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (सीधी भर्ती) का स्वागतयोग्य एवं सराहनीय प्रयोग कर रहा है। भले ही इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी ऐसे राजनीतिक लोगों एवं दलों की आंखों में किरणें आंज दी जाये तो भी वे यथार्थ को नहीं देख सकते। क्योंकि उन्हें उजाले के नाम से एलर्जी है। विपक्षी दलों विशेषतः कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण की उपेक्षा के लिए सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री नीति की आलोचना की है।

ललित गर्ग

भारतीय नौकरशाही संरचना के प्रभावी एवं परिणामकारी प्रदर्शन को निश्चित रूप से लेटरल एंट्री प्रक्रिया के साथ पूरक किया जा सकता है। लेटरल एंट्री नई बाहरी प्रतिभाओं को लाकर, सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए और अधिक काम एवं प्रभावी काम करने के लिए प्रेरित करके नियमित सरकारी अधिकारियों को पूरक कर सकते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री की प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए एक निश्चित नीति के साथ आगे बढ़ने एवं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाना देश विकास के लिये जरूरी प्रतीत होता है। इसके लिये वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर राजनीति करने करने की बजाय उसमें देशहित को सामने रखा जाना चाहिए। वैश्वीकरण ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक-टैंकों की आवश्यकता के मद्देनजर तथा अन्य ऐसे विभागों में जहाँ विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की जानी प्रासंगिक एवं उपयोगी कदम है।

भारत में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का तात्पर्य सरकार के मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर पेशेवरों एवं प्रतिभाशाली कर्मियों की भर्ती से है। जिसमें प्रतिभाशाली एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता लाना है जो पारंपरिक नौकरशाही ढांचे में उतनी प्रभावी प्रतीत नहीं हो रही है। कई संभावित और अच्छे प्रशासक हैं जो अपनी कम उम्र के दौरान सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं। लेटरल एंट्री उन्हें शासन तंत्र का हिस्सा बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। नया भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत निर्मित करने में इन प्रतिभाओं का उपयोग होना राष्ट्र में एक नयी रोशनी का अवतरण हो सकता है। देखा यह गया है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चर्चा होती है, तो इसका विरोध होने लगता है, जो विरोधाभासी एवं विडम्बनापूर्ण होने के साथ-साथ संकीर्ण राजनीति का द्योतक हैं। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की और से जिस तरह लेटरल एंट्री पर आपत्ति जताई जा रही है, वह यही बताती है कि नकारात्मक राजनीति की जा रही है। यह आश्चर्यजनक है कि ऐसे देश-विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के निर्णयों एवं मुद्दों का विरोध करने की राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। कम से कम उन्हें तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। भारत में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारत में इसका फायदा उठाया जा चुका है। मुख्य आर्थिक

इन दिग्गजों की भी लेटरल एंट्री

सलाहकार की नियुक्ति लेटरल एंट्री से ही की जाती रही है। पूर्व आर्थिक सलाहकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया, आधार की नींव रखने वाले नंदन नीलेकनि जैसी बड़ी हस्तियां इसी के जरिए प्रशासन में शामिल हुईं। यह व्यवस्था तदर्थ आधार पर की गई है, यह संस्थागत नहीं है। लेटरल एंट्री की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे पश्चिमी देशों में पहले से ही सभी क्षेत्रों के योग्य कर्मियों के लिए विशिष्ट सरकारी पदों को खोल दिया है। यह नौकरी के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक बेहतर तरीका पाया गया है। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। इसके विपरीत वर्तमान सरकार एक तय प्रक्रिया के तहत लेटरल एंट्री कर रही है। इसी कारण इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों को यह भी पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के जरिये जो नियुक्तियां की जा रही हैं, वे अस्थायी हैं। ये नियुक्तियां केवल तीन वर्ष के लिए हैं और उनमें अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। प्रशासन में सुधार की हर पहल को आरक्षण से जोड़ना केवल यही नहीं बताता कि वोट बैंक की सस्ती राजनीति अनियंत्रित हो रही है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। यह ठीक नहीं कि होनी को अनहोनी बनाने का प्रयत्न हो। वैसे लेटरल एंट्री राष्ट्रहित का मुद्दा है। जिस पर 2002 की संविधान समीक्षा आयोग ने भी सिफारिश वकालत की। मनमोहन सिंह के समय 2005 की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लेटरल एंट्री के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया की सिफारिश की। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। नीति आयोग ने अपने तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा में लेटरल एंट्री के विचार का समर्थन किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लेटरल एंट्री से विशेष ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को शामिल करके शासन में सुधार की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। शासन में सचिवों का क्षेत्रीय समूह ने भी लेटरल एंट्री प्रणाली का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि लेटरल एंट्री प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को पेश करके सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया सकता है और उसे उच्च परिणामकारी बनाया जा सकता है। विरोध के लिये विरोध करने की सोच एवं उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंसात्मक नीति के द्वारा किसी का भी हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होती। राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिये विभिन्न मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्तियों से आरक्षित वर्गों के हितों को नुकसान होगा, उसका इसलिए कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि इन वर्गों के लोग आवेदन नहीं कर सकते। राहुल गांधी किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक झूठा विमर्श खड़ा रहे हैं, इसका पता इससे भी चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्वयं उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिये सिविल सेवाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेटरल एंट्री का उद्देश्य है कि जहां कहीं भी कुशल और जानकार लोग हों, उनकी प्रशासन के संचालन में सेवाएं ली जाएं, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की भी आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से मजबूत और स्थिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े विवादों के निपटारे, जीएसटी लागू करने, नोटबंदी और कृषि क्षेत्र जैसे कई अहम सुधार किए हैं। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को भी सरल बनाया है। लेकिन, इन सुधारों को लेकर उन्हें उस वक्त के मुकाबले कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जब पहले पहल इन सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधियों तथा तरीकों से लाभ उठायेंगे। कब आप यह समझना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं, जहां आपको विशेष कुशल होनी और दूसरों तथा, आपकी मित्र बातों से लाभप्रद लगता दर्शित। हम न सिर्फ हमारे पाठक के और उनके मुद्दों को सुलझाने तथा लाभप्रदायक उन्हें सही समयुक्त करेंगे, बल्कि पहलुओं तक भी के लौ, जहां वह लाभप्रदायक हमें लाभ और कठिनाई से लाभ प्राप्त करेंगे

मेष

आज आपका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों को धंधे में लाभ और सफलता मिलेगी। आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिलने की संभावना है। प्रवास आर्थिक लाभ और वाहन सुख की संभावना है।

वृष

कार्य सफलता और विरोधियों पर विजय का नशा आपके दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा, इससे प्रसन्नता अनुभव करेंगे। भाई-बहनों के साथ मिलकर घर पर कोई आयोजन करेंगे। मित्रों, स्नेहीजनों के साथ यात्रा करने का योग है।

मिथुन

आमोद-प्रमोद की प्रवृत्तियों में पैसे खर्च होंगे। दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ निकटता के पल व्यतीत कर सकेंगे। कोर्ट-कचहरी के मामलों में संभलकर कार्य करना उचित रहेगा। ऑफिस में स्त्री वर्ग से लाभ होने की संभावना है।

कर्क

आज आप आर्थिक लाभ के साथ समाज में आदर प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिवार में सुख और संतोष बना रहेगा। आपकी आय बढ़ेगी और व्यापार में भी लाभ होगा। प्रिय व्यक्ति के साथ सुखद समय बिताएंगे। लंबी यात्रा होगी। विदेश से समाचार मिलेगा।

सिंह

आज संतान और जीवनसाथी के संबंध में चिंता होगी। वाद-विवाद या चर्चाओं में गहरे न उतरना हित में रहेगा। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मित्रों के लिए खर्च की संभावना है। पेट संबंधी बीमारियों से तकलीफ होगी।

कन्या

पारिवारिक जीवन में उत्साह का वातावरण रहेगा। संतान की प्रगति से आपको संतोष का अनुभव होगा। आज आपको बेचैनी, थकान का अनुभव होगा। शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा। इससे काम करने का उत्साह नहीं रहेगा। मौज-शौक और घूमने-फिरने के पीछे खर्च होगा।

तुला

शारीरिक- मानसिक अस्वस्थता का अनुभव होगा। छाती में दर्द या किसी विकार से परिवार में अशांति होगी। महिलाओं के साथ मनमुटाव और तकरार होने की संभावना है। सार्वजनिक रूप से मानहानि होने से दुख होगा।

वृश्चिक

अविवाहित लोगों के विवाह के योग बनेंगे। आपको पत्नी अथवा संतान से लाभ हो सकता है। व्यापार के लिए होने वाला प्रवास लाभदायक साबित होगा। आपके उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। पदोन्नति होने की संभावना है।

धनु

अपनी कला को बाहर लाने के सुनहरे अवसरों को हाथ से न जाने दें। आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्ति अधिक निखरेगी। शारीरिक, मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। मनोरंजन की प्रवृत्ति में दोस्तों तथा परिजनों के साथ भाग लेंगे।

मकर

परिवार में आज आनंद का वातावरण रहेगा। वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार से आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है। स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। विद्यार्थियों के विद्याध्ययन के लिए अनुकूल समय है।

कुंभ

निर्धारित काम सफलता से पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। नन्हिहाल पक्ष से आनंददायक समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा वर्ग को नौकरी में लाभ होगा। ऑफिस तथा काम-काज की जगह अधिकारियों की नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा।

मीन

सुंदर भोजन, वस्त्र और वाहन सुख की प्राप्ति होगी। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात तथा काम में सफलता का योग है। आज आपके विदेश में बसने वाले स्नेहीजन या मित्रों से शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दांपत्य जीवन में विशेष मधुरता रहेगी। बीमारी में राहत महसूस होगी।

शख्सियत

नमस्कार साथियों हमारे आज की शख्सियत कॉलम के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है एक ऐसा कपल जो पूरक हैं एक दूसरे के। यूं तो शख्सियत कॉलम में हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं लेकिन यहां शख्सियत एक कपल भी हो सकता है। जी हां ये आदर्श दंपत्ति है हरीश जसोरिया और उनकी धर्मपत्नी वैशाली जसोरिया। मैं बड़े फकीर के साथ कहूंगा कि जिंदगी के इस दांपत्य जीवन रूपी इस नाव में अनेकों बार समस्याओं रूपी तूफानी लहरों का सामना करना पड़ता है लेकिन इस दंपत्ति को मैंने कभी मुरझाए हुए नहीं देखा, हमेशा ऊर्जा और अपने विवेक के साथ सामाजिक व मानविक कार्यों में पूरे जोश के साथ भाग लेने और उसमें समायोजित होने की कला इस दंपत्ति में है। किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन हो यह दंपत्ति वहां मौजूद रहते हैं । इस बात से परे की यह आडंबर है या पाखंड है लगभग देश के सभी मंदिरों में इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। धार्मिक वातावरण इनको इनके घर से परवरिश के रूप में मिला है हरीश जसोरिया की माता जी श्रीमती कांता जसोरिया बहुत धार्मिक और नेक विचारधारा की महिला है। सामाजिक दृष्टिकोण से गरीब बच्चियों की शादी करना और उनके विवाह में सहयोग करना उनकी अभिरुचि और धर्म कर्तव्य के रूप में इस दंपति को विरासत में मिला है कहानी कथा हो कहीं कीर्तन हो कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो यह दंपत्ति पूरे आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ उसमें भाग लेते हैं। मुझे फख्र होता है की आनंद क्या होता है यह इस कपल के दांपत्य जीवन को देखकर लोग महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति भावना को समझना एक दूसरे के प्रति निष्ठा के भाव को अंतर्मन से समझना यह इस दंपति का सबसे बड़ा संदेश इस समाज

हरीश वैशाली जसोरिया
(आदर्श दम्पत्ति)

के लिए है। आज उतार-चढ़ाव और भाग दौड़ भरे जीवन में सबसे पहले झगड़ा ही यहां से शुरू होता है लेकिन इनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और भाव समाज के लिए एक अच्छा संदेश दे रहा है दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके सहज और सरल मिलन और ऊर्जा के संचार को बनाए रखने की कामना करती है ।

जय हिंद

विशेष आलेख

अमेरिका में कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप की जीत तय करेगी वैश्विक शांति की दिशा और कूटनीति

आज पूरा विश्व वैश्विक-युद्ध की आशंका से ग्रस्त है और विगत 2 वर्षों से ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध एवं इसराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन तथा इसराइल के लगभग 40 से 50 हजार निर्दोष सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। पूरा विश्व वैश्विक युद्ध की कगार पर बैठा हुआ है। यदि रूस ईरान या अन्य एक देश भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करता है तो भारी वैश्विक विनाश की संभावना बलवती हो जाएगी। ऐसे में अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चयन पर सारी बात निर्भर करती है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति ही वैश्विक शांति और अशांति की दशा तथा दिशा तय करेंगे। भारत के बाद अमेरिका दूसरा बड़ा प्रजातांत्रिक देश है प्रजातंत्र,लोकतंत्र में सदैव निष्पक्ष चुनाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में संपन्न होनें जा रहे है सबसे बड़े बलशाली,शक्तिशाली देश को अगला राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वर्तमान राष्ट्रपति जो बाईडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पराजित सत्ता हासिल की थी पर इस बार जो बाईडेन मैदान में जरूर थे किन्तु चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से चुनावी बहस के दौरान अपने खराब प्रदर्शन के कारण उनके स्थान पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ही उम्मीदवार वर्तमान की पूर्व उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस को उनके स्वास्थ्यगत कारणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार घोषित किया है । चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे पर कमला हैरिस के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की घोषणा से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कई राज्यों में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस से पीछे हो गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ है और अमेरिका में किए गए सर्वे के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से कुछ प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। एसोसिएट प्रेस के एसोसिएट ऑफ पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के अनुसार अमेरिका के वयस्क मतदाताओं लगभग 48त्न की पसंद कमला हैरिस बताई जाती हैं। कमला हैरिस के शुरुआत के चुनावी प्रचार में कम प्रतिशत पसंद की उम्मीदवार थी। इसके बाद राष्ट्रपति जो बाईडेन के चुनावी मैदान से हटने के बाद कमला हैरिस ने अपनी लोकप्रियता में अपनी मेहनत और मशक्कत से काफी बढ़त हासिल की है,उन्होंने लोकप्रियता में वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्रपति दोनों को काफी पीछे छोड़ दिया है। जो बाईडेन को 39त्न अमेरिकी मतदाता पसंद करते थे किंतु अब स्थिति बदल गई है कमला हैरिस की उम्मीदवारी घोषित होते ही कमला हैरिस अब 41 से 43त्न मतदाताओं की पहली पसंद बताई जा रही हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस को भारतीय मूल के मतदाताओं का पूरा समर्थन तो मिलेगा ही साथ में उनका पूरा डेमोक्रेटिक दल इस चुनाव में कमर कस के उनके साथ ऐसे कार्यक्रमों में शिरकत करने की योजना बना रहा है जहां ज्यादा से ज्यादा

मतदाताओं की भीड़ एकत्र होगी, ऐसे में खेल के मैदानों को भी प्रचार का हिस्सा बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यक्रमों में कमला हैरिस पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर मतदाताओं को नाराज भी कर लिया है और उनके साथ चुनाव प्रचार करने वाले सलाहकारों ने भी डोनाल्ड ट्रंप को इन सबसे बचने की सलाह दी है किंतु डोनाल्ड ट्रंप आम सभाओं में अपने आप को कमला हैरिस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोक नहीं पाते हैं। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप धीरे-धीरे पीछे होते जा रहे हैं। यह तो तय है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से रूस यूक्रेन युद्ध इजराइल हमास फिलिस्तीन युद्ध की दिशा और दशा तय होगी। जाहिर तौर पर कमला हैरिस यदि जीतती हैं तो उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी की पूर्व निर्धारित नीतियों पर ही चलना होगा और उन नीतियों को अमल करते हुए वह यूक्रेन को रूस के विरुद्ध युद्ध में मदद जारी रखेगी, अमेरिका अब तक यूक्रेन को अब तक .9 लाख की मदद कर चुका है एवं जो बाईडेन ने आगे भी मदद करने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पर कमला हैरिस भी जो बाईडेन की नीतियों पर अमल करेंगीं, यदि पूर्व राष्ट्रपति की नीतियों पर नहीं भी चलेगी तो भी यूक्रेन की मदद करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी और मजबूरी होगी। दूसरी तरफ इसराइल हमास युद्ध में हमास, फिलिस्तीन, ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला एवं हमास के समर्थन में खड़े खाड़ी के देशों के विरुद्ध इसराइल को खुला समर्थन देना होगा।

यह बात अलग है कि अभी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 9वीं बार इसराइल हमास युद्ध के बीच इसराइल गाजा युद्ध की समाप्ति और बंधकों की रिहाई संबंधी समझौता वार्ता आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इजरायल की एजेंसी के अनुसार हमास की हठधर्मिता के कारण हर बार समझौता असफल होने का कारण बताया जा रहा है। ईरान की धमकियों के बाद अमेरिका सीधे-सीधे इसराइल तथा हमास, ईरान,इराक,कतर तथा मिश्र से यह उम्मीद जताई है युद्ध विराम के लिए में ये लोग समझौते के लिए राजी हो सकते हैं। दूसरी तरफ यदि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति होंगे तो यही परिदृश्य काफी बदला हुआ नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ अच्छे संबंधों की दुहाई देकर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल हमास युद्ध में बड़े मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में रहेंगे।

आज का इतिहास

21 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- स्कॉटलैंड में 1689 को डंकलड का युद्ध हुआ।
- तुर्की और वेनिस के बीच 1718 में शांति संधि हुई।
- स्वीडन में 1772 को गुस्ताव तृतीय ने 50 वर्ष पुराने संसद के शासन को समाप्त कर तानाशाही स्थापित की।
- जनरल मेडोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने 1790 में डिंडिगुल पर कब्जा जमाया।
- तस्मानिया के शहर होबर्ट की स्थापना 1842 में हुई।
- पहले विश्व युद्ध के दौरान इटली ने 1915 में तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।
- इटली के हाई स्कूलों में यहूदी शिक्षकों पर 1938 को प्रतिबंध लगा।
- अमरीका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने 1944 में संयुक्त राष्ट्र के संगठन की योजनाओं को लेकर मुलाकात की
- हवाई 1959 में अमेरिका का 50वां प्रांत बना।
- बुद्ध मंदिर पैगोडा में छापे के विरोध में दक्षिण वियतनाम में मार्शल लॉ की घोषणा 1963 में की गई।
- यूरोपीय देश रोमानिया में संविधान को 1965 में अंगीकार किया गया।
- चेकोस्लोवाकिया के स्थानीय रेडियो द्वारा परागवे पर 1968 को सोवियत संघ के नेतृत्व में हमले की घोषणा की गई।
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम संसद में 1972 को पारित।
- फिलीपींस के विपक्षी नेता बेनिग्नो एस। एक्विनो की 1983 में स्वैच्छिक निर्वासन के पश्चात् वापसी, भूमि पर क़दम रखते ही गोली मारकर उनकी हत्या।
- कैमरुन में 1986 को ज्वालामुखी विस्फोट से निकली जहरीली गैस के कारण लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई।
- भारत नेपाल सीमा पर 1988 को आये तीव्र भूकंप से एक हज़ार लोगों की मौत।
- सोवियत संघ में 1991 को राष्ट्रपति गोर्बाचोव अपदस्थ, मास्को में कर्फ़्यू, क्रान्ति विफल एवं गोर्बाचोव पुन: सत्ता में।
- लातविया ने 1991 में संयुक्त सोवियत संघ रूस से अलग होने की घोषणा की।
- राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने 1993 में रूसी संसद भंग किया।
- मार्स आर्ब्जर्वर के साथ 21 अगस्त 1993 को नासा का सुपर्क टूटा।
- पूर्वी चीन में 1997 को चक्रवाती तूफ़ान विन्नी से 140 लोगों की मौत हुई और तीन हजार लोग घायल हुए।
- दक्षिण-पूर्वी आर्दैक प्रान्त में 2000 को लगी आग से 1600 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़े वन नष्ट, रूसी पनडुब्बी के सभी 118 सदस्यों के मारे जाने की पुष्टि।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफ़ी अन्नान ने 2003 को इराक में संयुक्त शांति सेना भेजने का प्रस्ताव खारिज किया।
- बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच 2005 में संघर्ष विराम का समझौता सम्पन्न।
- इराक के अपदस्थ राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 2006 को नरसंहार ट्रायल में भाग लेने से इन्कार किया।
- श्रीनगर और 'पाक अधीकृत कश्मीर' की राजधानी मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां-ए-अमन बस सेवा 2008 को पुन: प्रारम्भ।
- मून मिशन पर भारत ने 2008 में नासा से हाथ मिलाया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हवामेपुरा रोड़ खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पाठक*। प्रधान संपादक-राय विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-योहाना सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

संवाद
जनसत्ता | 20 अगस्त, 2024

आस्था

जम्मू में सावन के अंतिम सोमवार को शंभू मंदिर में पूजा करते श्रद्धालु।

पिछले हफ्ते अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मिशिगन रैली में ज्यादा भीड़ नहीं थी। रैली में ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए एआइ का इस्तेमाल किया गया था।
- डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति

मेरी सरकार अल्पसंख्यकों समेत देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में स्थिति अब नियंत्रण में है और देश में जनजीवन सामान्य हो रहा है। देश अब प्रगति के लिए आगे बढ़ेगा। - मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार

सम-सामयिक

अंतरिक्ष में फंसी सुनीता की सेहत पर खतरा

जनसत्ता संवाद

अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और विल्मोर के स्वास्थ्य को लेकर खतरा मंडराने लगा है। डाक्टरों का कहना है कि अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने से शरीर पर काफी असर पड़ता है। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर आठ दिन के मिशन पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गत जून में गए थे। उन्हें ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर मिशन में दिक्कत पैदा होने की वजह से इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के फैसले को नासा ने दोबारा टाल दिया है। नासा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब इस बारे में अगस्त के अंत में कोई फैसला लिया जाएगा।

नासा के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री जो एकाबा ने कहा कि सुनीता विलियम्स और बैरी 'बुच' विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्री, मिशन के विभिन्न पहलुओं और इससे पैदा होने वाली संभावित परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का इंसानी शरीर पर विपरीत असर भी पड़ सकता है, और इसलिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक, अगर अंतरिक्ष में अधिक समय बिताना पड़े तो बहुत प्रतिबद्ध अंतरिक्ष यात्रियों को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान जो अनुभव होता है, वह असली मिशन का तीन चौथाई होता है, लेकिन अगर निर्धारित समय से अधिक वक्त गुजारना पड़े तो उत्साह में कमी आती है। अंटार्कटिका में शोध करने वाले वैज्ञानिकों को भी कभी कभार ऐसी मानसिक अवस्था से गुजरना पड़ता है, जिसे 'साइकोलाजिकल हिबरनेशन' कहते हैं, जिसमें व्यवहार भावना शून्य और बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगता है। शोधकताओं का कहना है कि ध्रुवीय और अंतरिक्ष मिशन पर जाने वालों के हालात एक जैसे होते हैं। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्रा का आंख पर हैरान करने वाला असर पड़ सकता है।

गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण आंख के पीछे खून जमा हो सकता है जिससे एडिमा हो सकता है और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। वहीं, सूर्य से निकलने वाली कास्मिक किरणें और अत्यधिक ऊर्जा वाले कण, रेटिना और आप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं।

आंखों पर ज्यादा असर

गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण आंख के पीछे खून जमा हो सकता है जिससे एडिमा हो सकता है और चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। वहीं, सूर्य से निकलने वाली कास्मिक किरणें और अत्यधिक ऊर्जा वाले कण, रेटिना और आप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियों का वजन कम हो जाता है। सबसे अधिक उन मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है जो कमर, गर्दन, जोड़ों को नियंत्रित करती हैं। बहुत कम गुरुत्वाकर्षण में उनसे काम नहीं लिया जाता है इसलिए वो कमजोर हो जाती हैं। छह महीने तक चलने वाले मिशन के बाद शरीर की मांसपेशियों में 30% तक वजन की कमी आ सकती है। हड्डियों का भी वजन हर महीने एक से दो फीसद तक गिर जाता है। स्वाभाविक है कि इन दोनों यात्रियों के लिए आठ महीने तक अंतरिक्ष में रहने के कारण कई जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। मालूम हो कि बीते पांच जून को विलियम्स और विल्मोर ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर ने उड़ान भरी थी।

शोध

बीमारियों को दावत दे रही मैग्नीशियम की कमी

जनसत्ता संवाद

यूनिवर्सिटी आफ साउथ आस्ट्रेलिया से जुड़े शोधकर्ताओं द्वारा किए इस अध्ययन के नतीजे यूरोपियन जर्नल आफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुए हैं। मैग्नीशियम ऐसा ही एक मिनरल है जो शरीर को बीमारियों से बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। शोध के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम न लेने से लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है।

हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटीन, विटामिन, काबोहाइड्रेट और वसा की जरूरत होती है। हालांकि कई ऐसे भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी वैसे तो शरीर को बेहद कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन अगर इसमें मामूली सी भी कमी आ जाए तो वो शरीर के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है। मैग्नीशियम ऐसा ही एक मिनरल है जो शरीर की बीमारियों से बचाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।

देखा जाए तो यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला बेहद सामान्य तत्व है, लेकिन शरीर में मौजूद उन एंजाइमों और प्रोटीनों के लिए बेहद जरूरी है, जो डीएनए की प्रतिकृति तैयार करने और मरम्मत का काम करते हैं। इसके साथ ही यह विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में शामिल एंजाइमों के लिए भी मददगार होता है।

आपको जानकार हैरानी होगी कि मैग्नीशियम शरीर में पाया जाने वाला चौथा सबसे आम खनिज है। इतना ही नहीं शरीर में 600 से ज्यादा एंजाइमों को काम करने के लिए इसकी जरूरत होती है और करीब 200 एंजाइमों को शरीर से जुड़ी अहम प्रक्रियाओं को सक्रिय करने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस बारे में आस्ट्रेलियाई शोधकताओं द्वारा किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि मैग्नीशियम युक्त खाद्य पदार्थ स्वस्थ रहने के लिए अहम होते हैं, क्योंकि यह डीएनए को होने वाले नुकसान को कम करने के साथ-साथ बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। शोध के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम न लेने से लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इस बारे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता डाक्टर परमल देव ने कहा कि हर दिन पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम युक्त आहार न लेने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

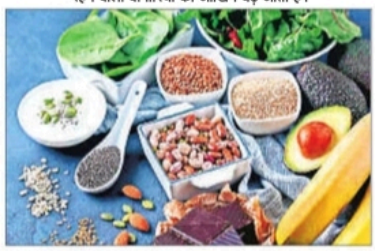

(फाइल फोटो)

शरीर के लिए कितनी घातक हो सकती है मैग्नीशियम की कमी : 300 मिलीग्राम से कम मैग्नीशियम शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि रक्त में मैग्नीशियम की मात्रा कम (18 मिलीग्राम/लीटर से कम) है तो उसकी वजह से डीएनए को कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपनी उम्र कितनी है या आप पुरुष हैं या महिला। मतलब की शोध में रक्त में मैग्नीशियम की कमी और डीएनए की होते नुकसान के बीच सीधा संबंध पाया गया है।

यूनिवर्सिटी आफ साउथ आस्ट्रेलिया से जुड़े शोधकताओं द्वारा किए इस अध्ययन के नतीजे यूरोपियन जर्नल आफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुए हैं।

अपने इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 172 वयस्कों के रक्त के नमूनों का परीक्षण किया है। इस परीक्षण से पता चला है कि मैग्नीशियम की कमी और होमोसिस्टीन नामक हानिकारक जीनोटाक्सिक अमीनो एसिड की उच्च मात्रा के बीच गहरा संबंध है। शोध के मुताबिक यह हानिकारक संयोजन जीन को नुकसान पहुंचाता है। इससे लोगों में अल्जाइमर, पेट की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के कैंसर और मधुमेह का जोखिम बढ़ जाता है और लोग इन बीमारियों के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं।

विश्व परिक्रमा

स्वीडन अपने ही नागरिकों को देश छोड़ने के पैसे देगा

जनसत्ता संवाद

स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए प्रस्ताव दिया है। स्वीडन की मंत्री मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव पेश किया है। स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जो यहां घुलमिल नहीं पाए हैं वे स्वीडन छोड़ सकते हैं।

मीडिया रपट के मुताबिक, स्वीडन में अभी भी देश छोड़ने पर पैसे दिए जाते हैं। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर ही ये नियम लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जन्मजात नागरिकों पर भी ये नियम लागू होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि कोई स्वीडिश नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10 हजार स्वीडिश क्रोन (80 हजार रुपए) मिलते हैं।

बच्चों को देश छोड़ने पर 40 हजार रुपए मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। ये पैसा उन्हें एक बार में ही देश छोड़ने से पहले मिल जाता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा। देश छोड़कर जाने वालों को और अधिक पैसे देने और इसे बढ़ाकर 14,800 डालर (करीब 12 लाख रुपए) करने पर विचार हुआ था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। सरकार का कहना है कि अगर देश छोड़ने पर पैसे बढ़ाए गए तो इससे संदेश जाएगा कि अगर स्वीडन लोगों को पसंद नहीं करता।

हैरानी की बात ये है कि स्वीडन में ये प्रस्ताव तब पास हुआ है जब देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। 50 सालों में ये पहली बार हुआ है। स्वीडन में भले ही देश छोड़ने वाले लोग बढ़े हों मगर यहां की आबादी बढ़ती जा रही है। दरअसर स्वीडन के मूल वासी अमेरिका जैसे देशों में ठिकाना तलाश रहे हैं। वहीं, प्रवासियों के लिए स्वीडन पसंदीदा जगह बना हुआ है।

जानें-समझें

बांग्लादेश में तख्तापलट

अंतरिम सरकार पर उम्मीदों का बोझ

जनसत्ता संवाद

बांग्लादेश में सरकार गिरने के बाद डा. यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। लेकिन देश में नई सरकार को शुरुआत से ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सरकार ऐसे समय में कार्यभार संभाल रही है जब देश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। बांग्लादेश में अशांति का माहौल है। देश के आर्थिक हालात भी तनाव के दौर में हैं। इसके साथ ही राज्य में सुधार की भी बड़ी जरूरत है। बांग्लादेश में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, इसे लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है। आइए जानते हैं कि नई सरकार के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं।

कानून और व्यवस्था को ठीक करना

शेख हसीना सरकार गिरने के बाद ढाका के लगभग सभी पुलिसकर्मी गैरमौजूद हैं। वहीं देश के कई इलाकों में पुलिस थानों पर हमले किए गए हैं। लोगों ने मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों पर लोगों के ऊपर गोलीबारी करने, गिरफ्तारी और यातना देने का आरोप लगाया है। इसी के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

बांग्लादेश में एक बार फिर से थाने पर आक्रोशित भीड़ के हमले और इन हमलों में पुलिसकर्मियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर देश में कानून और व्यवस्था लागू कराने वाली एजेंसियों और आम जनता के बीच भरोसे का संकट साफ तौर पर दिख रहा है।

वरिष्ठ पत्रकार नदीम कादिर का मानना है कि नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा हालात में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सामान्य करना होगा। उन्होंने कहा, यहां अब कानून लागू करने वाली एजेंसियां और लोग; कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इनमें जल्द भरोसा बनाना होगा। उनके मुताबिक देश में कानून लागू करने वाली एजेंसियों में भ्रष्टाचार, लोगों को तकलीफ देने का सिलसिला और सेवा भाव की कमी का इतिहास बदला जाना चाहिए। यदि कहीं कोई अनियमितता है और उसे दूर कर लिया जाए तो लोगों का भरोसा लौट आएगा। इसके लिए सबसे पहले सरकार की मानसिकता को बदलना जरूरी है।

(फाइल फोटो)

शेख हसीना सरकार गिरने के बाद ढाका के लगभग सभी पुलिसकर्मी गैरमौजूद हैं। वहीं देश के कई इलाकों में पुलिस थानों पर हमले किए गए हैं। नई सरकार की सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा हालात में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सामान्य करना होगा। यहां कानून लागू करने वाली एजेंसियां और लोग; कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इनमें जल्द भरोसा बनाना होगा।
- नदीम कादिर, विशेषज्ञ

भ्रष्टाचार के खिलाफ बने आयोग का क्या होगा, न्यायपालिका में क्या सुधार होगा, रैपिड एक्शन बटालियन को उतारा जाएगा या नहीं, कई बातें स्पष्ट करने की जरूरत है। दूसरी ओर सभी संवैधानिक संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तब यह राज्य को सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी चीजों से दूर रखेगा।
- अहसान एच मंसूर, पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक

नई सरकार का कार्यकाल कितना

बांग्लादेश में छात्र और नागरिक समाज जिस सुधार की मांग कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त समय की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक दल देश में जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तो तीन महीने के भीतर चुनाव कराने की मांग की है। ऐसी चर्चा है कि अंतरिम सरकार के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए तीन महीने का समय पर्याप्त नहीं है। अहसान एच मंसूर का कहना है कि कोई भी सरकार थोड़े समय में जरूरी सुधार नहीं कर पाएगी और यदि सुधार नहीं होगा तो राज्य व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उनका कहना है, अगर सरकार तीन महीने या छह महीने के लिए रहे तो सुधार का कोई मतलब नहीं है।

सुधार की जरूरत

बांग्लादेश में लोगों ने भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग सहित कई जगहों पर सुधार की जरूरत महसूस की है। कई लोग देश में राजनीतिक सरकार के गठन से पहले इनमें सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य व्यवस्था में सभी संस्थानों को अब थोड़ा बहुत सुधारना होगा। उनका कहना है, यहां भ्रष्टाचार हमारी बड़ी समस्या है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ बने आयोग का क्या होगा, न्यायपालिका में क्या सुधार होगा, रैपिड एक्शन बटालियन को उतारा जाएगा या नहीं, कई बातें स्पष्ट करने की जरूरत है। दूसरी ओर सभी संवैधानिक संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तब यह राज्य को सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी चीजों से दूर रखेगा।

अर्थव्यवस्था में जल्द नतीजे जरूरी

हाल के वर्षों में बांग्लादेश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक जीवन में असंतोष धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा था। छात्र आंदोलन में हर तरह के लोगों की भागीदारी के पीछे यह एक बड़ी वजह बनकर उभरी है। देश की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे खराब हो रही है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति असहनीय हालात की तरफ जा रही है।

पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक अहसान एच मंसूर का मानना है कि अगर नई सरकार को जनता का भरोसा बरकरार रखना है, तो उसे शुरू में मुद्रास्फीति और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, दो से तीन महीने के भीतर अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं में स्थिरता लानी चाहिए, चार-पांच महीने में महंगाई कम हो जानी चाहिए।

व्यक्तित्व

अविनाश साबले : मजदूर के बेटे ने दौड़ में दिखाया दम

जनसत्ता संवाद

पेरिस ओलंपिक में स्टीपलचेज यानी बाधादौड़ में दम दिखाने वाले भारत के अविनाश साबले भले ही देश को कोई पदक नहीं दिला सके, लेकिन उनकी दौड़ की चर्चा हर तरफ हो रही है।

13 सितंबर 1994 को जन्मे अविनाश महाराष्ट्र के बीड जिले में आष्टि तालुका के एक छोटे से गांव मंडवा से आते हैं। एक साक्षात्कार में अविनाश ने कहा था कि ईंट भट्ठे में काम करने वाले उनके माता-पिता ने हमेशा से अपने बच्चों को शिक्षा देने को महत्व दिया। तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े अविनाश पांच से छह साल की आयु में ही अपने माता-पिता की मुश्किलों को समझ गए थे। अविनाश कहते हैं, मेरे माता-पिता ईंट भट्ठे पर काम करने जाते थे। इसलिए हम लोगों के जागने से पहले ही सुबह मां खाना बनाकर पिता के साथ काम पर निकल जाती थीं। एक बार सुबह घर से निकलने के बाद हम लोग उन्हें सिर्फ रात में ही मिल पाते थे जब वो वापस आते थे। उन्हें ऐसे देखकर हमें उनके कठिन परिश्रम का अंदाजा था। परिवार की ऐसी स्थिति देखकर अविनाश के मन में अपने माता-पिता के संघर्ष में हाथ बंटाने की इच्छा बचपन से ही थी। अविनाश को दौड़ने की आदत बचपन से ही लग गई थी। हालांकि दौड़ने की शुरुआत तो अविनाश ने बचपन में जरूरत के रूप में की थी लेकिन यही जरूरत उनके शौक में तब्दील हो गई।

घर से स्कूल की दूरी छह से सात किलोमीटर होने के कारण अविनाश देर हो जाने पर दौड़ते हुए स्कूल जाते थे और तभी से दौड़ना उन्हें अच्छा लगने लगा। अविनाश को दौड़ते हुए स्कूल जाते देख शिक्षकों ने उनकी रेस उनसे बड़ी कक्षा के छात्र के साथ करवाई, जिसमें अविनाश के जीतने के बाद शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा पर भी ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद शिक्षक अविनाश को 500 मीटर की रेस में ले गए, उस समय अविनाश प्राइमरी के छात्र थे और उनकी आयु तब मात्र नौ साल थी। हालांकि इस रेस को लेकर अविनाश ने कोई तैयारी नहीं की थी। मगर अविनाश ने शिक्षकों को निराश भी नहीं किया। अपने जीवन की पहली रेस अविनाश जीत चुके थे, रेस जीतने के साथ साथ अविनाश ने सौ रुपए का नकद इनाम भी जीता। इसके बाद अविनाश को शिक्षक दो साल धनोरा मैराथन ले गए थे, इसमें भी अविनाश दोनों बार रेस में विजयी हुए। स्कूल में हमेशा वह प्रथम या फिर द्वितीय स्थान लाते थे। इस कारण से भी अविनाश को शिक्षकों का विशेष स्नेह मिलता था। बारहवीं पास करने के बाद अविनाश सेना भर्ती परीक्षा में सफल रहे।

कल्पमेधा

श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। किसी ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ है या किसी व्यक्ति का कुछ कहा हुआ है, उसे अपने अनुभव के बिना सच मान लेना श्रद्धा नहीं है।

- विवेकानंद

भर्ती पर सियासत

विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उपसचिव और निदेशक के लिए सीधी भर्ती यानी 'लेटरल एंट्री' को आखिरकार सरकार ने रोक दिया है। पिछले हफ्ते चौबीस मंत्रालयों में ऐसे पैंतालीस पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन निकाला था, जिसे उसने अब रद्द कर दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार इस तरह अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करना चाहती है। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए संविधान में मिले आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन होगा। इस मसले पर सरकार के सहयोगी दलों ने भी विरोध में आवाज उठानी शुरू कर दी थी। दो दिन तक इसके अलग-अलग पक्षों पर खूब बहस हुई। अब सरकार ने यूपीएससी को पत्र लिख कर कहा है कि इन भर्तियों में भी सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाना जरूरी है। जाहिर है, इसे विपक्ष अपनी विजय के रूप में रेखांकित कर रहा है, मगर हकीकत यह है इसे सत्तापक्ष की पराजय नहीं कहा जा सकता। सत्तापक्ष ने केवल पैंतरा बदला है। यूपीएससी को लिखी कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी से जाहिर है कि सीधी भर्तियां तो होंगी, मगर आरक्षण का ध्यान रखते हुए। ऐसे में इस सवाल का जवाब शायद ही मिल पाए कि आखिर मंत्रालयों में इतने बड़े पैमाने पर बाहर के लोगों की सीधी भर्ती का औचित्य क्या है!

मंत्रालयों में सीधी भर्ती का प्रावधान इसलिए किया गया था कि इस तरह निजी क्षेत्रों या दूसरे संस्थानों में काम कर रहे विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकें। पहले भी सीधी भर्तियां होती रही हैं। ऐसे लोगों को तीन से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। अब बदलती जरूरतों के मुताबिक अनेक क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता की दरकार बढ़ी है। इसी तर्क पर नई भर्तियां विज्ञापित की गई थीं। मगर इन्हें लेकर विवाद इसलिए भी उठा कि पहले ही विभिन्न मंत्रालयों में अनेक सीधी भर्तियां की जा चुकी हैं। सीधी भर्ती का अर्थ यह नहीं माना जाना चाहिए कि नियमित आधार पर भर्ती लोगों की योग्यता को नजरअंदाज कर दिया जाए। मंत्रालयों का कामकाज नौकरशाही के बल पर ही चलता है और उसमें विभिन्न अनुशासनों के लोग होते हैं। तकनीकी क्षेत्रों के लोगों की भी उसमें कमी नहीं है। फिर, बदलती जरूरतों के मुताबिक इन अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विदेशों में भेज कर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे में बड़ी तादाद में बाहर से लोगों को लाने पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सीधी भर्तियों के मामले में स्वाभाविक रूप से यह आरोप लगाना आसान हो जाता है कि ऐसे लोग प्रायः सरकार की इच्छा के अनुरूप ही काम करते हैं। फिर, ऊंचे पदों पर बाहर से लोगों को लाने की वजह से नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर काफी सिकुड़ जाते हैं। हर नौकरशाह चाहता है कि वह मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दे, मगर सीधी भर्ती से लोगों को लिए जाने के कारण उन्हें वह मौका नहीं मिल पाता। इस बात को लेकर भी प्रशासनिक अधिकारियों में असंतोष देखा जाता है। कई महत्त्वपूर्ण विभागों में सचिव स्तर पर पदोन्नति के बजाय लंबा कार्य विस्तार देखा जाने लगा है। अच्छी बात है कि सरकार ने सीधी भर्ती की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है, मगर उससे ठहर कर इस पर भी विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि नियमित प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यता और अपेक्षाओं का पारदर्शिता के साथ मूल्यांकन हो।

आतंक का जहर

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के संदर्भ में सरकार के दावे चाहे जो हों, हकीकत यह है कि वहां आज भी आए दिन आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं और उसमें सुरक्षा बलों के जवान और अधिकारी शहीद हो जाते हैं। गौरतलब है कि सोमवार को उधमपुर में आतंकियों ने नियमित गश्ती पर निकली सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टुकड़ी पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। इससे एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि राज्य में आज भी आतंकवादी संगठनों का दंश देश के सुरक्षा बलों को झेलना पड़ता है। पिछले हफ्ते चौदह अगस्त को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी शहीद हो गया था। इससे पहले डोडा में मुठभेड़ के दौरान एक कप्तान सहित पांच जवान शहीद हो गए थे। पिछले चार महीने में बीस जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू क्षेत्र आमतौर पर कई वर्षों से कश्मीर की अपेक्षा ज्यादा शांत रहा है। मगर बीते कुछ समय से इसके कुछ इलाकों में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं।

हालांकि पिछले कुछ समय से आतंकी हमलों में तेजी का एक कारण यह भी हो सकता है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। लोकसभा चुनावों में मतदान के रुझान से विधानसभा चुनावों में भी लोगों के बढ़-चढ़ कर भाग लेने की उम्मीद बन रही है। अगर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती और उसमें जन-भागीदारी बढ़ती है, तो यह आतंकवाद में लगे गिरोहों के लिए एक प्रतिकूल स्थिति होगी। इसलिए आए दिन सुरक्षा बलों पर या फिर रोजी-रोटी की उम्मीद में बाहर से वहां गए प्रवासी लोगों पर लक्षित हमले करके जम्मू-कश्मीर में शांति और सहजता की स्थिति को भंग करने की कोशिश की जाती है। सरकार को आतंकियों के खिलाफ अभियानों की रणनीति तय करते हुए इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा कि स्थानीय लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ जो राय बन रही है, उसे मजबूत किया जाए, ताकि राज्य में इस समस्या से निपटने में कारगर मदद मिले।

अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का विस्तार

भारत के सामने बढ़ती बेरोजगारी, गहराती आय असमानता, गरीबी, अकुशल श्रमबल, मुद्रास्फीति जैसी अनेक आर्थिक चुनौतियां हैं, पर इसमें सर्वाधिक चिंताजनक है बढ़ती बेरोजगारी।

सत्येंद्र किशोर मिश्र

भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वर्ष 2030 तक सौ फीसद साक्षरता प्राप्त कर, 6.69 खरब डालर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तथा वर्ष 2047 तक 30 खरब डालर की अर्थव्यवस्था के साथ देश विकसित भारत का सपना देख रहा है। यह जनांकिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने कार्यबल का उपयोग कर आर्थिक विकास की मजबूत बुनियाद रखने को तत्पर है। पर यह भी तथ्य है कि भारत में प्रतिव्यक्ति आय जी-20 देशों में सबसे कम है। भारत के सामने बढ़ती बेरोजगारी, गहराती आय असमानता, गरीबी, अकुशल श्रमबल, मुद्रास्फीति जैसी अनेक आर्थिक चुनौतियां हैं, पर इसमें सर्वाधिक चिंताजनक है बढ़ती बेरोजगारी। समझना होगा कि निरंतर उच्च आर्थिक विकास दर के दौरान श्रमबल का समुचित उपयोग न हो सकने के कारण बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के समक्ष एक गंभीर समस्या है।

भारत में रोजगार के मापदंड ढीले-ढाले हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पूर्व एक वर्ष में 'अपेक्षाकृत लंबे हिस्से' तक कार्यरत था, नियोजित तथा न्यूनतम तीस दिनों के लिए कार्यरत था, तो उसे 'सबसिडियरी स्टेटस' में नियोजित माना जाता है। इस मापदंड के अनुसार 2022-23 में 3.2 फीसद भारतीय बेरोजगार थे। इन दोनों स्थितियों को वार्षिक श्रम भागीदारी दर (एलपीआर) स्पट में शामिल किया जाता है। 'युजुअल स्टेटस' में 'प्रिंसिपल स्टेटस' और 'सबसिडियरी स्टेटस' शामिल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्वेक्षण से पहले के सात दिनों के दौरान न्यूनतम एक घंटे के लिए भी कार्यरत है, तो उसे 'युजुअल स्टेटस' में नियोजित माना जाता है। इस मापदंड से जनवरी-मार्च 2024 में 6.7 फीसद भारतीय बेरोजगार थे।

आर्थिक सुधारों के दौर में रोजगार विहीन वृद्धि दर, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों की फौज बढ़ाने के साथ-साथ देश में बढ़ती सामाजिक और आर्थिक असमानता का कारण बन रही है। विगत डेढ़ दशक में बेरोजगारी दर 2008 में लगभग 5.5 फीसद से बढ़कर वर्ष 2020 में 8 फीसद, वर्ष 2022 में 7.33 फीसद, वर्ष 2023 में 8 फीसद तथा जून 2024 में बढ़कर 9.2 फीसद हो गई। 'सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी' (सीएमआइई) के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर जून 2024 में 9.2 फीसद थी, जो मई 2024 में 7 फीसद से अधिक थी। सीएमआइई के अनुसार जून 2024 में महिला बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक, 18.5 फीसद तक पहुंच गई। यह बेरोजगारी दर पिछले वर्ष इसी अवधि के 15.1 फीसद से अधिक थी। भारत के एलपीआर जून 2023 में 39.9 फीसद से बढ़कर मई 2024 में 40.8 फीसद और जून 2024 में 41.4 फीसद हो गई। इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर मई के 6.3 फीसद से बढ़कर जून में 9.3 फीसद हो गई।

मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार भारत रोजगार स्पट 2024 के अनुसार, भारत की कार्यशील आबादी वर्ष 2011 में 61 फीसद से बढ़कर वर्ष 2021 में 64 फीसद हो गई और वर्ष 2036 में इसके 65 फीसद होने का अनुमान है। वर्ष 2022 में आर्थिक गतिविधियों में युवाओं का हिस्सा घटकर 37 फीसद रह गया। वर्ष 2022-23 के एलपीआर के अनुसार भारत में कार्य करने योग्य आयु समूह की

आबादी 107.3 करोड़ है, जिसमें 55.1 करोड़ पुरुष तथा 52.2 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें 57.9 फीसद यानी 62.9 करोड़ आबादी श्रमबल में सम्मिलित थी, जबकि 44.4 करोड़ श्रमबल में सम्मिलित नहीं थी। एलपीआर 78.5 फीसद के साथ 43.3 करोड़ कार्यशील पुरुष हैं, जबकि 1.4 करोड़ यानी 3.3 फीसद बेरोजगार हैं। वहीं एलपीआर 37 फीसद के साथ 19.3 करोड़ कार्यशील महिलाएं हैं तथा 60 लाख यानी 2.9 फीसद बेरोजगार हैं।

> **भारतीय श्रम बाजार की दो मुख्य दिक्कतें हैं। पहली, देश के युवाओं (15-29 वर्ष) में समग्र कार्यबल की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर बरकरार है। दूसरी, लैंगिक असमानता का उच्च स्तर है। महिलाओं के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों में सुधार का कोई संकेत नहीं है। 2024 की पहली तिमाही के दौरान युवा बेरोजगारी दर 17 फीसद थी, जो कामकाजी उम्र की आबादी में बेरोजगारी से ढाई गुना अधिक थी। युवा महिला श्रमिकों में बेरोजगारी दर और अधिक, 22.7 फीसद थी।**

रोजगार प्राप्त श्रमबल में सर्वाधिक 57.3 फीसद हिस्सा स्वरोजगार का है, जबकि 21.8 फीसद लोग गैरनियमित रोजगार में हैं। सबसे कम 20.9 फीसद लोग नियमित वेतन वाली नौकरियों में हैं। भारत में लोगों की सर्वाधिक पसंदीदा सरकारी नौकरी में मात्र 2.4 फीसद यानी डेढ़ करोड़ व्यक्ति नियोजित हैं। इसके रोजगार परिदृश्य का सर्वाधिक दुखद पक्ष यह है कि पढ़े-लिखे लोगों में अपेक्षाकृत अधिक बेरोजगारी है, जो निरंतर बढ़ रही है। निरक्षर व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 0.2 फीसद, माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त लोगों में 2.2 फीसद, माध्यमिक तथा उससे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी दर 7.3 फीसद है।

भारत के अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में बेरोजगारी की स्थिति अधिक चिंताजनक है। केरल में बेरोजगारी सात फीसद, गोवा में 9.7 फीसद, तमिलनाडु में 5.6 फीसद है, जबकि मध्यप्रदेश में 1.6 फीसद, झारखंड में 1.7 फीसद, गुजरात में 1.7 फीसद, उत्तर प्रदेश में 2.4 फीसद तथा पश्चिम बंगाल में 2.2 फीसद है। अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में युवा बेरोजगारी और चिंताजनक है। केरल में युवा बेरोजगारी 28.7 फीसद, गोवा में 27.4 फीसद के साथ कुल बेरोजगारी से चार गुना अधिक है। तमिलनाडु में 17.5 फीसद सहित गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में युवा बेरोजगारी बहुत अधिक है, जबकि मध्यप्रदेश में 4.4 फीसद, झारखंड में 4.7 फीसद, गुजरात में 5.1 फीसद, उत्तर प्रदेश में सात फीसद तथा पश्चिम बंगाल में 7.1 फीसद है। दिसंबर 2022 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्पट के अनुसार हरियाणा में भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 37.4 फीसद थी, जबकि ओड़ीशा में सबसे कम 0.9 फीसद थी।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, देश की 65 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसमें 47 फीसद की आजीविका कृषि पर निर्भर है। पर्याप्त आय का अभाव, अकुशल श्रमबल, निरक्षरता, अल्पय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, गैर-कृषि रोजगार की कमी जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण श्रमिकों के सामने हैं। नब्बे फीसद से अधिक कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में है। असंगठित श्रमिकों के सामने अल्प आय, कार्य में अनिरंतरता, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण के उपाय

0.6 हिंदी सेंसिस्स वृद्धि हुई है भारत में वर्ष 1901 के बाद से औसत तापमान में। इसके अनेक दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जिन्हें हम विविध प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख रहे हैं।

प्रो. पूनम कुमारिया
प्रिंसिपल, इंद्रप्रस्थ कालेज फार वीमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय

आजकल

सामने आ रहे जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम

इस माह के आरंभ में केरल के वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण सवा दो सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। साथ ही, सैकड़ों लोग घायल हो गए और आधारभूत संरचना को भी व्यापक नुकसान पहुंचा। वैसे हमारे देश में रहन-सहन की प्रकृति आधारित प्रणाली प्राचीन काल से ही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण जैसे कारणों ने हमारी जीवनशैली को बदल दिया है, जिसके दुष्परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। ऐसे में हमें इन तथ्यों पर नए सिरे से गौर करना होगा एवं अपने आचरण में परिवर्तन लाना होगा

इसी माह के आरंभ में वायनाड में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद मची तबाही। फाइल

प्रकृति का बदलता स्वरूप पृथ्वी पर मानव जीवन को कठिन बना रहा है। हाल ही में केरल के वायनाड में हुई भयवह तबाही की परिकल्पना शायद ही उस क्षेत्र के लोगों ने कभी की होगी, जिसमें सवा दो सौ से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है एवं सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस आपदा ने हमें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक रूप से भी काफी चोट पहुंचाया है। इस घटना के लिए मूल रूप से मानव के विभिन्न पर्यावरणीय अहित कार्यों से उत्पन्न हो रहा जलवायु परिवर्तन प्रमुख कारण है। हाल के वर्षों में पर्यावरण की चरम घटनाओं की आवृत्ति एवं संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। जिस कारण से किसी क्षेत्र में बहुत अधिक तो किसी क्षेत्र में बिल्कुल कम वर्षा का पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस भूस्खलन के पीछे भी भारी बारिश व्यापक रूप से जिम्मेदार है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण संबंधित आंकड़ों के अनुसार सामान्य से 10 प्रतिशत से अधिक थी। वायनाड का यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से काफी संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जहां अत्यधिक संख्या में आबादी की मौजूदगी, वन क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी एवं निर्माण कार्यों के लिए खुदाई एवं अन्य गतिविधियों ने भी इस प्राकृतिक आपदा से हुए दुष्परिणाम को बढ़ा दिया।

जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव : भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का बीते कुछ दशकों से काफी विपरीत प्रभाव रहा है। अत्यधिक संख्या में सामने आ रही विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं एवं उसके दुष्परिणामस्वरूप होने वाले भयवह नुकसान के तौर पर इसे अक्सर देखा भी जा रहा है। संबंधित आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 1901 के बाद से औसत तापमान में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। जिस कारण से वातावरण में पानी ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव एवं एक्सट्रीम केंद्र इवेंट की संख्या व आवृत्ति में वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भयवह भूस्खलन की घटनाएं भी मूल रूप से चरम वर्षा एवं उसके पश्चात के प्रभावों का ही परिणाम है।

इसी क्रम में कान्फ्रेंस आफ पार्टी (काप), जो एक विश्वस्तरीय मंच है, जहां जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर चर्चा एवं समाधान के संबंध में कार्य किए जाते हैं, वहां भी भारत सरकार अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। साथ ही, तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों की ओर भी भारत पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वह स्वच्छ ऊर्जा की बात हो या फिर कार्बन उत्सर्जन कम करने एवं कार्बन न्यूट्रलिटी को और बढ़ाने की आवश्यकता हो। इसी कड़ी में मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फार एनवायरमेंट) पर हो रहे कार्य भी काफी सराहनीय हैं। परंतु इन सब सकारात्मक कार्यों के बावजूद भारत के सामान्य जनमानस को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक होना होगा एवं विश्व के अन्य देशों को भी सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना होगा।

गाडगिल कमिटी रिपोर्ट : भारत का पश्चिमी घाट पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। जिसकी पुष्टि डा. माधव गाडगिल द्वारा प्रस्तुत की गई गाडगिल कमिटी रिपोर्ट 2011 में भी प्रमुखता से की गई थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र को जीन एक, दो और तीन में बांटा था। इसमें जीन एक को काफी संवेदनशील होने के कारण इस क्षेत्र में रेल खनन समेत सभी प्रकार के उत्खनन आदि कार्यों पर रोक लगाने की बात कही थी। साथ ही वाणिज्य, कृषि एवं अन्य विकासात्मक कार्यों को भी अलग-अलग जोन के हिसाब से काम करने की बात कही गई थी। वस्तुतः यह रिपोर्ट 'बाटम अप अप्रोच' के तहत तैयार की गई थी। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए इसी अप्रोच की संस्तुति की जाती है। परंतु क्षेत्र में बढ़ते जनसंख्या दबाव के मद्देनजर आजीविका एवं विकास में बाधा की आशंकाओं के बीच इसके क्रियान्वयन का विरोध किया गया। साथ ही, वर्ष 2012 की कस्तूरीरंगन रिपोर्ट लगभग 81 प्रतिशत गाडगिल संस्तुति के पक्ष में नहीं थी। विकासात्मक कार्य, उत्खनन, परिवहन द्वारा विकास आदि के पैमानों पर भी राज्यों ने इसका विरोध किया था। परंतु अब वह समय आ चुका है जब जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन एवं विकास के बीच में संतुलन स्थापित कर उपरोक्त रिपोर्ट को चमत्कृत तरीके से क्रियान्वित किए जाने की ओर बढ़ना होगा।

आगे की राह : एक गंभीर विषय के रूप में सामान्य जनमानस तक जलवायु परिवर्तन की पहुंच आज भी काफी हद तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। अब भी महज संभ्रांत लोगों के बीच ही यह चर्चा के विषय के रूप में बन हुआ है। परंतु प्रभाव की बात करें तो इसका विपरीत असर गरीबों पर तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक है। इस कारण इसे उनके बीच एवं उनसे जुड़े मुद्दे के रूप में लाना होगा। इसमें 'लाइफस्टाइल फार एनवायरमेंट' की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वैसे तो भारत की परंपरा एवं समाज में पर्यावरण के प्रति सम्मान एवं पर्यावरण हितकर कार्यों का समावेश प्राचीन काल से रहा है। परंतु आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में पर्यावरण से अलगाव के भी काफी बड़ी संख्या में उदाहरण मौजूद हैं, जिससे पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अतः हमें पुनः अपने जीवन में पर्यावरण केंद्रित जीवनशैली को अपनाना होगा। इस क्रम में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिनके पास बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक एवं बुनियादी ढांचे उपलब्ध हैं। इन सभी के उपयोग से लोगों के बीच जागरूकता एवं जन भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में आधुनिक गतिविधियों पर नियंत्रण

शुभम कुमार साहू
असिस्टेंट प्रोफेसर, इंद्रप्रस्थ कालेज फार वीमेन, दिल्ली विवि

बीते कुछ समय के दौरान देश के पहाड़ी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बाढ़, बादल फटने एवं इस कारण पहाड़ों के दरकने एवं भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। स्वाभाविक है, उनसे होने वाले दुष्प्रभाव भी बढ़े हैं। इन आपदाओं के दौरान बड़ी संख्या में लोग हताहत भी हो रहे हैं। इस कारण व्यापक आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ये सभी घटनाएं पहाड़ी राज्यों के पर्यावरण को ताक पर रखकर किए गए आर्थिक एवं आधुनिक विकास के विपरीत परिणामों को दिखाती हैं। इस दिशा में समस्याओं को जड़ से समझने और उनके समाधान की जरूरत है, ताकि पहाड़ों में हो रहे विनाश को न्यूनतम करते हुए दीर्घकालीन तक कायम रहने वाले विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

इन क्षेत्रों के आम जनमानस के लिए भले ही यह ईश्वरीय प्रभाव से निर्मित आपदा कही जा सकती हो, परंतु इस तथ्य का गहराई से आकलन दर्शाता है कि यह मानवजनित आपदाओं के ही अलग-अलग प्रकारों में से एक है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से यदि हम बीते लगभग 100 वर्षों के बारिश के पैटर्न को देखें, तो उसमें बहुत अधिक बदलाव नहीं देखा गया। परंतु पिछले 20 वर्षों में इन क्षेत्रों के वर्षा के पैटर्न में बड़ा परिवर्तन दर्ज किया गया है जिसके तहत कम दिनों में अधिक वर्षा का होना सामान्य होता जा रहा है। पहले जहां वर्षा के भूक्षेत्र का दायरा काफी बड़ा होता था, वहीं हाल के वर्षों में इसका भूक्षेत्र पहले की तुलना में थोड़ा सिमट गया है। इतना ही नहीं, एक छोटे दायरे में कम समय में अधिक बारिश का होना भी एक नए पैटर्न के रूप में बीते कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है। इस परिवर्तन के पीछे मानव जनित विविध प्रकार की प्रकृति के प्रतिकूल होने वाली गतिविधियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर परिलक्षित हो रहे जलवायु परिवर्तन से उपरोक्त क्षेत्रों में पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हो रहा है।

वहीं दूसरी ओर हाल के वर्षों में नई सड़कों के निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण, टूरिज्म-पिकनिक स्पाट्स आदि में वृद्धि हुई है। देश के पहाड़ी भूभागों में कई स्थानों पर पर्यटन की दृष्टि से आधारभूत संरचना को तैयार किया जा रहा है और वहां की खूबसूरती को आधुनिक रूप से विकसित किया जा रहा है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही इन संरचनाओं से प्रकृति को नुकसान होने की आशंका बढ़ जाती है। इन क्षेत्रों के पर्यावरण, भूगोल, संस्कृति आदि की अनेदेखी करते हुए जिस प्रकार विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, उसने पहाड़ों को काफी नाजुक एवं असुरक्षित बना दिया है। वर्तमान में यह धारणा एक ठोस रूप ले चुकी है कि आधुनिक विकास आवश्यक है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र की आर्थिक तरक्की होगी, लोगों में खुशहाली आएगी। परंतु इस सोच में बदलाव करना होगा। पहाड़ी क्षेत्र में विकास के निहितार्थ को बदलना होगा। सड़क निर्माण के नाम पर 90 डिग्री के कोण पर सड़कों की काटना, निर्माण प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव, मानव की अतिवादी एवं लोभ से ग्रसित लालसा भविष्य के लिए व्यापक खतरा है, जोकि स्पष्ट तौर पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास, भवन, होटल निर्माण एवं अन्य क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। मानव ने अपने निहित स्वार्थ के लिए पहाड़ी परितंत्र को दुष्प्रभावित किया है। पहाड़ी राज्यों में निरंकुश रूप से बढ़ रहे पर्यटन, जनसंख्या एवं वाहन दबाव को भी नियंत्रित करना होगा, ताकि वहां की पारिस्थितिकी अपने स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहे। ऐसा होने से पहाड़ों को तो बचाया ही जा सकता है, मानव समुदाय स्वयं पर मंडरा रहे खतरे को कम करने में भी सक्षम हो सकता है।

खरी-खरी

आधी आंखें बंद

विनोद कुमार विक्की

एक समय आदमी को लाइफ के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जबकि वर्तमान में लाइक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तेजी से बायरल होने की बीमारी के कारण इंटरनेट मीडिया पर क्रिएटर्स रक्तबीज की तरह उत्पन्न हो रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास हो रहा है। लाइक्स की चाह रखने वाली पहली पीढ़ी के सेल्फसेंटर्ड क्रिएटर को रील बनाने के लिए स्टंटमैन की तरह काफी जोखिम उठाना पड़ता था। प्रारंभिक क्रिएटर्स जीवन को दांव पर लगाकर बिल्डिंग या पहाड़ की ऊंचाई से खींची गई तस्वीरें अथवा बाइक, कार, चलती ट्रेन से लटकते हुए सेल्फी लेकर या रील बनाकर लाइक कमेंट्स बटोरने का प्रयास करते थे।

उसके बाद की पीढ़ी में नीटीकोबाजों का पदार्पण हुआ। इस पीढ़ी के क्रिएटर बेडरूम से लेकर पब्लिक प्लेस, राष्ट्रीय धरोहर स्मारक, रेलवे प्लेटफार्म, नेशनल हाईवे आदि पर हिंदी, भोजपुरी एवं क्षेत्रीय गेतों पर दस-बीस सेकेंड तक लहराने का वीडियो बना कर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर अपलोड कर बायरल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

तीसरी पीढ़ी में आध्यात्मिक क्रिएटर्स ने अवतार लिया। उन्नत नस्ल वाले ऐसे क्रिएटर ब्रिना मेहनत किए लाइक, कमेंट और फालोअर्स बढ़ा रहे हैं। ये न तो जान जोखिम में डालकर रिस्की वीडियो बनाते हैं और न ही प्रशासनिक जुर्माना के भय से किसी पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट करते हैं। इनका काम केवल इतना है कि ये किसी रहस्यमयी या धुंधली तस्वीर को पोस्ट कर उपभोक्ताओं को आधी आंखें बंद कर उसे देखने का निर्देश जारी करते हैं। फिर क्या, उपभोक्ताओं को खुली अथवा बंद आंखें से न दिखने वाले उनके आराध्य अधखुली आंखों से साफ-साफ दिखाई देने लगते हैं।

ऐसे क्रिएटर आधी आंखें बंद करके देखने का अनुरोध करते हुए अथवा इग्नोर करने पर अनिष्ट होने या प्रकृति का कोपभाजन बनने की चेतावनी लिखते हुए सधारण तस्वीरों को पोस्ट कर रोच की संख्या में इजाफा कर लेते हैं।

वैसे उपभोक्ता होते ही हैं मासूम, जिनकी आंखें डिजिटल धोखाधड़ी के दौरान आधे तो खुल जाती हैं, किंतु पूरी तरह से नहीं खुल पाती हैं।

पोस्ट

राजन सरकार ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी है कि लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन निरस्त किया जाए, क्योंकि इसमें आरक्षण का प्रविधान नहीं है। उम्मीद है कि आगे से विज्ञापन देख-समझकर जारी किए जाएंगे।

अमिताभ अग्निहोत्री@Aamitabh2

अच्छी बात यह है कि सरकार लेटरल एंट्री को खत्म करने की बात नहीं कर रही। वह उसमें आरक्षण के साथ-साथ अनुभवी लोगों को ऊंचे पदों पर स्थायी रूप से लाने का संकेत दे रही है।

सुशांत झा@jhasushant

भारत की पहली महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थीं। जवाहरलाल नेहरू की बहन, लेकिन बिना आईएएस परीक्षा पास किए राजदूत बनीं। फिर भी इसे लेटरल नहीं कह सकते। पाप लगेगा।

सुमंत@sumantkabir

मीडिया में आलोचना कर रहे लोगों को नोटिस भेजने में बंगाल सरकार ने बिल्कुल समय नहीं गंवाया। लेकिन डाक्टर बेटी की डेडबाडी मिलने के तीन घंटे तक कोई एफआइआर नहीं हुई थी। यह है उसकी तत्परता।

मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देकर सही किया?

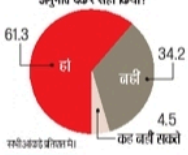

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या विपक्ष के दबाव के चलते मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लिया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

प्री सेवेंटी के लिए अनुकूल के पूत,
मातृदाता के सामने बोल रहे हैं झूठ।
बोल रहे हैं झूठ रहेगा स्वप्न अधूरा,
जाए उमर की उम्र बीत ना होगा पूरा।
आगे देखि चुनाव बुद्धि की बलतें घटी,
वापस लाना चाहा रहे वो प्री सेवेंटी!

– ओमप्रकाश तिवारी

विकास धूलिया
ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

प्रदेश में सतह पर अंतर्कलह

विधानसभा की दो सीटों के उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा को पराजित कर कांग्रेस ने राजनीतिक धरातल पर मजबूती से कदम बढ़ाने की जो उम्मीद जगाई थी, वह कुछ ही सप्ताह में धूल धूसरित हो गई। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के साथ ही उत्तराखंड नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन पार्टी विधायकों ने अपने प्रदेश संगठन के विरुद्ध मोर्चा खोल एक बार फिर कांग्रेस के अंतर्कलह को सतह पर ला दिया। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ दिल्ली में बैठक में जिस तरह विधायकों ने संगठन के प्रति अविश्वास प्रदर्शित किया, उससे साबित हो गया कि नेताओं ने सत्ता वर्षों के राजनीतिक वनवास से कोई सबक नहीं लिया।

उत्तराखंड में अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही कांग्रेस का मजबूत जनाधार रहा है। नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश के मानचित्र पर 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार थी। स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का श्रेय भाजपा को मिला। इसके बावजूद लगभग डेढ़ वर्ष बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया और उसे सत्ता सौंप दी। नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। उन्होंने पूरे पांच साल पद संभाला। इसके बाद भाजपा व कांग्रेस के बारी-बारी सत्ता में आने का क्रम शुरू हो गया।

वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने पर कांग्रेस को फिर सरकार बनाने का अवसर मिला और मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा। अंतर्कलह का सिलसिला तब भी चलता रहा। वर्ष 2014 की शुरुआत में कांग्रेस आलाकमान ने बहुगुणा के स्थान पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरीश रावत को सरकार की बागडोर सौंप दी। अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस में अंतरूनी शक्ति संतुलन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के ही दौर चले थे, लेकिन रावत का मुख्यमंत्री बनना उस समय के कांग्रेसी क्षत्रप पच्चा नहीं पाए। कुछ ही हफ्तों बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। वर्ष 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत 10 कांग्रेस विधायक भाजपा में चले गए। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। यद्यपि, यशपाल आर्य वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर कांग्रेस में लौट आए।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। फाइल

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। फाइल

इससे हुआ यह कि कांग्रेस का जनाधार सिमटता गया। वर्ष 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पांचों सीटों पर जीत दर्ज की। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में तीन-चौथाई और वर्ष 2022 में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर भाजपा ने हर चुनाव में सत्ता बदलने का मिथक तोड़ते हुए जीरतर जीत प्राप्त की। कांग्रेस के लिए उपलब्धि केवल यह रही कि उसके विधायकों की संख्या 11 से बढ़कर 19 तक पहुंच गई। कांग्रेस की पराजय का परिणाम यह हुआ कि केवल छह महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोदियाल को पद से हटा दिया गया। चौथी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को भी आलाकमान ने हाशिये पर धकेल दिया। प्रीतम के स्थान पर यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया गया। हरीश रावत भी चुनाव हार गए। कांग्रेस नेतृत्व ने युवा नेता करन माहरा को प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी।

करन माहरा भी संगठन में जान फूंकने में नाकाम रहे। बीते लोकसभा चुनाव में स्थिति यह बनी कि व्यापक जनाधार वाले वरिष्ठ नेताओं ने मैदान में उतरने से पैर पीछे खींच लिए। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के अनिच्छा जताने से नए चेहरों को टिकट देना पड़ा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन आलाकमान के दबाव में उन्हें गढ़वाल संसदीय सीट पर मोर्चा संभालना पड़ा। कांग्रेस नेताओं की चुनाव लड़ने की इस हिचकिचाहट का नतीजा यह रहा कि लगातार तीसरी बार पार्टी के हिस्से पांच में से एक भी सीट नहीं आई।

नई प्रदेश प्रभारी बनाई गई कुमारी सैलजा ने इसी महीने नई दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस विधायकों की बैठक ली। बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार के कारणों को विवेचन तो था ही, साथ ही निकट भविष्य में होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीतिक तैयारी करन भी था। विधायकों का संगठन के प्रति अविश्वास देख आलाकमान की इसके लिए समन्वय समिति का गठन करना पड़ा। दो दिन चली बैठकों में विधायकों ने खुलकर संगठन, विशेषकर प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के प्रति अपनी नाराजगी सामने रखी। संगठन में जिला व अन्य स्तर पर उपेक्षा का आरोप भी विधायकों ने संगठन पर मढ़ा। यही नहीं, अब केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर भी नेता एकमत नहीं हो पा रहे हैं।

महाराष्ट्र डायरी

'चेहरे' पर चुनाव लड़ने की जिद

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

लगभग ढाई साल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की इच्छा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी (मविआ) फिर से उन्हें ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में आगे करके चुनाव लड़े। इसके लिए वह तरह-तरह के प्रयास कर रहे हैं। ठाकरे परिवार के स्वभाव के विपरीत वह हाल ही में तीन दिन की दिल्ली यात्रा भी करके आ गए। कहा जा रहा है कि वहां वह जिन-जिन नेताओं से मिले, उनसे इसी विषय पर बात की। उनके भरोसेमंद सिपहसालार संजय राउत भी कई तरह के उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मविआ को क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहिए, और होना चाहिए उद्धव ठाकरे का ही क्यों होना चाहिए।

शुक्रवार को मुंबई में मविआ के नेताओं-कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में तो उद्धव ठाकरे ने खुलकर यह मुद्दा उठा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले एवं राकांपा (शप) प्रमुख शरद पवार से पहले बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने स्वयं को तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग नहीं की, लेकिन कांग्रेस और राकांपा (शप) से मुख्यमंत्री पद का एक चेहरा देने की मांग सार्वजनिक रूप से जरूर कर दी। उन्होंने कहा कि ये दोनों दल जिसका भी नाम लेंगे, वह खुलकर उसका समर्थन करेंगे। उनकी इस मांग ने बाद में बोलनेवाले कांग्रेस एवं राकांपा (शप) प्रमुखों को असहज ही किया। क्योंकि यह इतना आसान भी नहीं था कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अचानक मविआ के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता। न इसके लिए कांग्रेस तैयार होकर आई थी, न ही शरद पवार। ये दोनों नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चुनाव से पहले ही कोई विवाद खड़ा हो जाए। शरद पवार ने तो उद्धव की इस मांग पर कोई टिप्पणी की ही नहीं। नाना पटोले ने साफ कर दिया कि उद्धव जी ने जानबूझकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में बोला है। लेकिन मविआ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह सभी शीर्ष नेता मिलकर तय करेंगे। इसी मुद्दे पर संप्रग सरकार में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके पृथ्वीराज चव्हाण कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि सीएम पद का चेहरा कौन होगा? चुनाव जीतने के बाद जिस दल की सीटें ज्यादा होंगी, उस दल का मुख्यमंत्री बनाने का फार्मूला पहले से तय है।

चव्हाण की बात सही भी है। यह फार्मला महाराष्ट्र में तीन दशक से चला आ रहा है। वह भी उद्धव ठाकरे के पिता बालासाहेब ठाकरे का बनाया हुआ। महाराष्ट्र में पहली बार 1995 में बनी शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार में इसी आधार पर शिवसेना की ओर से मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री। हालांकि उस दौर में शिवसेना सीट बंटवारे में भाजपा को बराबरी की सीटें भी नहीं देती थी। तब लोकसभा चुनाव में भाजपा अधिक सीटों पर एवं विधानसभा चुनाव में शिवसेना अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती थी। इस फार्मूले के आधार पर राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से स्वयं 171 एवं भाजपा 117 पर चुनाव लड़ती थी। इसके बावजूद लड़ी गई सीटों पर जीत का प्रतिशत भाजपा का ही अधिक रहता था। शिवसेना-भाजपा के इसी फार्मूले को वर्ष 1999 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भी दोहराया। तब कुछ ही माह पहले कांग्रेस से अलग होकर बनी राकांपा ने कांग्रेस के विरुद्ध ही चुनाव लड़ा था। लेकिन चुनाव बाद जब दोनों के मिलकर सरकार बनाने की नौबत आई, तो अधिक सीटों वाले फार्मूले के आधार पर कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने और राकांपा के छगन भुजबल उपमुख्यमंत्री बने। फिर 2004 के विधानसभा चुनाव में राकांपा की सीटें कांग्रेस से ज्यादा आईं। इस बार भी इसी फार्मूले के आधार पर मुख्यमंत्री राकांपा का बनना था। लेकिन शरद पवार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री पद एवं केंद्र में कृषि मंत्री का पद लेकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया। उस समय पार्टी के अधिक सीटें जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ देने का दर्द आज भी उनके भतीजे अजीत पवार को टीस देता रहता है।

शिवसेना-भाजपा गठबंधन के हाथ से भी जब 1999 में सत्ता निकली, तो उसे 15 साल तक इंतजार करना पड़ा। ये दोनों दल अगले दो विधानसभा चुनाव गठबंधन में ही लड़ते रहे, लेकिन इतनी सीटें नहीं ला सके कि उनकी सरकार बन सके। इसे उद्धव ठाकरे का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 2014 में जब सत्ता पाने की नौबत आई, तो विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे के समय भाजपा से उनका गठबंधन ही टूट गया। दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़े और भाजपा की सीटें शिवसेना से लगभग दुगुनी आईं। चुनाव परिणाम आने के कुछ समय बाद ही शिवसेना भाजपानीत फडणवीस सरकार में शामिल तो हुई, लेकिन उसे उपमुख्यमंत्री का पद भी नहीं मिला। इसी बात का बदला 2019 में विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद भाजपा से गठबंधन तोड़कर लिया। हालांकि उस समय भी महाविकास आघाड़ी का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री पद का निर्णय ढाई-ढाई के आधार पर ही हुआ था। तब शिवसेना 56, राकांपा 54 और कांग्रेस 44 सीटें जीतकर आई थीं। उद्धव ठाकरे का दावा इस आधार पर भी मजबूत था और शरद पवार उन्हें भाजपा से तोड़ना भी चाहते थे। पृथ्वीराज चव्हाण पुनः तीन दशक से चले आ रहे इसी फार्मूले पर चलने की बात कह रहे हैं। जबकि उद्धव स्वयं को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाने पर तुले हैं। इस बार उनकी यह मंशा पूरी होगी, इसमें संशय है।

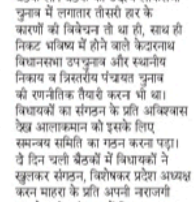
उद्धव ठाकरे। फाइल

****

कल्पमेधा

कोई शाम इंटरनेट पर बिताना ऐसा ही है जैसा कि दो घंटे से कुरकुरे खाते हुए आपकी अंगुलियां पीली हो गई हों और आपकी भूख खत्म हो गई हो, पर आपको पोषण तो मिला ही नहीं।

- विलफोर्ड स्टाल

बेलगाम अपराध

एक ओर कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की बर्बर घटना से समूचे देश में दुख और आक्रोश का माहौल है, सभी ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है, तो दूसरी ओर देहरादून के सार्वजनिक बस अड्डे पर एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। ऐसा लगता है कि आपराधिक मानसिकता के लोगों के भीतर कानून का कोई ऐसा खौफ नहीं है जो उन्हें मनमानी करने से रोक सके। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह देहरादून अंतरराज्यीय बस अड्डे पर बाल कल्याण समिति की एक टीम को एक किशोरी बदहवास हालत में मिली थी। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ कि बलात्कार की इस घटना को जिन पांच आरोपियों ने अंजाम दिया था, उनमें बस का चालक और परिचालक भी है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

आखिर जिस जगह पर नियमित रूप से बसों और यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है, वहां सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी कि आरोपियों ने आसानी से अपराध को अंजाम दिया? एक सार्वजनिक स्थान पर अपराध को अंजाम देने वाले बस कर्मचारियों के भीतर पुलिस और कानून का डर क्यों नहीं था! फिलहाल देश भर में कोलकाता की घटना पर व्यापक आक्रोश फैला हुआ है, इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग होना शायद राज्य सरकारों और पुलिस तंत्र की प्राथमिकता में नहीं रही है। देहरादून में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार न केवल कोलकाता में हुई घटना के खिलाफ उभरे आंदोलन का असर नहीं होने को दर्शाता है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि सरकारी तंत्र किसी त्रासद घटना के बावजूद किस कदर नींद में डूबा रहता है। इसकी आंख तभी खुलती है, जब कोई घटना तूल पकड़ लेती है। आखिर ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, जो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर कानून का डर भर सके और वे किसी वारदात को अंजाम न दे सकें।

यह समझना मुश्किल है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों पर काबू पाने के लिए कानूनों में सख्ती लाने की कवायदों और आए दिन सरकारों की ओर से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाने की घोषणाओं के बावजूद अपराधी बेलगाम होते क्यों दिख रहे हैं। समाज के स्तर पर भी देखें तो बलात्कार की कुछ घटनाओं पर अक्सर रोष भर में आक्रोश फैलता है, व्यापक पैमाने पर लोग आंदोलित होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की मांग की जाती है, लेकिन न तो ऐसा माहौल बन पा रहा है जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें, न ही बलात्कार और हत्या की घटनाएं रोकी जा पा रही हैं। ज्यादा त्रासद यह है कि जिनको आदतन अपराधी नहीं माना जाता है, कई बार वे भी संगठित अपराधियों की तरह किसी वारदात को अंजाम देते हैं। देहरादून की घटना में बस के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी कि वे मुसाफिरों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाएं, जरूरतमंदों की मदद करें, उन्होंने ही सामूहिक रूप से एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह जहां समाज में भी विकृत और आपराधिक मानसिकता के पांव पसारने का सूचक है, वहीं कानून-व्यवस्था कायम रखने और महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार की विफलता का भी सबूत है।

मददगारों के खिलाफ

दुनिया भर में युद्ध व अन्य संघर्षों से प्रभावित होने वाले आम नागरिकों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय एजंसियां मानवीय आधार पर काम कर रही हैं। वे संकट के दौरान लोगों को भोजन-पानी, वस्त्र और आश्रय स्थल आदि मुहैया कराते हैं। मगर यह अफसोसनाक है कि संघर्ष के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने वाले इन सहायताकर्मियों पर ही हमले हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामले समन्वय कार्यालय की एक रपट के मुताबिक पिछले साल दुनियाभर में संघर्षों में रेकार्ड संख्या में सहायता कर्मी मारे गए और यह वर्ष और भी घातक हो सकता है। वर्ष 2023 में तैंतीस देशों में संघर्षों के दौरान 280 सहायता कर्मी मारे गए, जो 2022 के 118 के आंकड़े से दोगुने से भी अधिक हैं। गत वर्ष मारे गए कुल सहायताकर्मियों में से आधी से अधिक मौतें इजराइल-गाजा युद्ध के पहले तीन महीनों में दर्ज की गईं। सूडान और दक्षिण सूडान तथा रूस-यूक्रेन के बीच संघर्ष में भी सहायता कर्मियों पर हमले हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रपट में ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि वर्ष 2024 और भी घातक परिणाम की राह पर हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष अब तक सात अगस्त तक ही दुनियाभर में संघर्षों में 172 सहायताकर्मियों की मौत हो चुकी है। यानी सहायताकर्मियों को इसी तरह निशाना बनाया जाता रहा तो आने वाले महीनों में उनके हताहत होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बीते मई माह में सहायताकर्मियों पर हमलों लेकर एक निंदा प्रस्ताव पारित कर सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार मानवीय कार्यकर्ताओं की रक्षा करने का आह्वान किया था। रेड क्रास की अंतरराष्ट्रीय समिति का भी मानना है कि संघर्ष के दौरान सहायताकर्मियों पर हमले करने वालों की जिम्मेदारी तय कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों के कठघरे में लाना चाहिए। सवाल यह है कि विभिन्न संघर्षों के दौरान घायल व अन्य तरह से प्रभावित लोगों के जीवन को बचाने में जुटे राहतकर्मियों को आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है? युद्ध के दौरान आम नागरिकों, किसी भी शरण लेने वाली जगह से लेकर स्कूलों-अस्पतालों आदि पर हमले नहीं करने को लेकर जो अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, उनका पालन नहीं करने वाले देशों को कठघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा है?

पलायन से परेशानी में बचपन

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह बना हुआ है। अध्ययनों के मुताबिक, इससे बच्चों की सेहत, शिक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास, सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अखिलेश आर्येंदु

गांवों से पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह है। बिहार, झारखंड, ओड़ीशा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से सैकड़ों परिवार अपना पुश्तैनी घर-बार छोड़कर आज भी हर महीने दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद जैसे शहरों में रोजी-रोटी कमाने आते हैं। इन परिवारों में बहुत सारे चार से चौदह साल के वे बच्चे भी होते हैं, जो शारीरिक और मानसिक समस्याओं से घिरे रहते हैं।

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पलायन आज भी अनेक समस्याओं की वजह बना हुआ है। अनेक अध्ययन और सर्वेक्षण बताते हैं कि इससे बच्चों की सेहत, शिक्षा, मानसिक और शारीरिक विकास, सीखने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विकासशील देशों में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, सड़क, बिजली, पानी, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं अभाव पलायन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, दबंगों के दबाव, खेती में घाटा, मजदूरी न मिलने और अन्य दूसरी समस्याओं की वजह से भी गांवों से शहरों की तरफ पलायन होता रहता है। पलायन का सबसे ज्यादा असर चार से बारह वर्ष के उन बच्चों पर पड़ता है, जिनकी उम्र सीखने और पढ़ाई-लिखाई की होती है।

केंद्र और राज्य सरकारों ने पलायन रोकने के लिए तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन इससे निजात नहीं मिल सकी है। इससे बच्चों की जिंदगी में पसरा अंधेरा खत्म नहीं हो पाता है। संतुलित आहार, साफ पानी, फल, दूध न मिलने की वजह से कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बेहद कमी जैसी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। ये समस्याएं केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया के सभी गरीब परिवारों के उन बच्चों की हैं, जिनके माता-पिता पलायन के लिए मजबूर होते हैं।

पलायन करने वाले परिवारों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हालात बेहद नाजुक होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि शत-प्रतिशत गरीब परिवार, खेतिहर मजदूर, गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। इन परिवारों के मकान तकरीबन कच्चे या घास-फूस के होते हैं। जिन परिवारों के खेत हैं भी, उन्हें महज चार-छह महीने का रोजगार मिलता है। इसलिए उन्हें गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार तलाशना पड़ता है। इसकी वजह से भी बच्चों की सेहत, शिक्षा, आहार और विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वे मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोर होते हैं। गरीबी और अशिक्षा की वजह से नकारात्मकता की प्रवृत्ति धीरे-धीरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार, पलायन करने वाले गरीब परिवारों की आय कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र की मजदूरी से महज 55 फीसद तक हो पाती है। बाकी 45 फीसद की कमी में ही वे जिंदगी का गुजारा करते हैं। निरक्षर होने की वजह से ऐसे परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बच्चे माता-पिता के साथ परिवार की आय बढ़ाने के लिए खेतों, ईंट भट्ठों, बागों, कारखानों, सड़क और भवन निर्माण जैसे कार्यों में हाथ बंटाते हैं। इन बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए यों तो सरकार आंगनबाड़ी के जरिए कोशिश करती है, लेकिन ऐसे परिवारों के बच्चे

आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम ही जा पाते हैं।

गांवों में बच्चों को बेहतर शिक्षा, आहार और सेहत के लिए ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं होती कि वे विकास की आधुनिक धारा का हिस्सा बन सकें। अध्ययन और सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत के हजारों

> **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पलायन की वजह से गरीब परिवार के बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने से जहां माहौल बदलता है, वहीं संगत की वजह से उनमें कई तरह की बुरी आदतों का विकास होता है, जो बेहतर चारित्रिक विकास में बाधा पैदा करता है। गांवों से बड़े शहरों में आने के बाद बच्चों के मन पर शहरी चकाचौंध का असर उसके कोमल मन को कौतूहल से भर देता है। शहर की बंद गलियां, संकरे रास्ते और बोली-भाषा को अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी के साथ शुरू होता है उसके साथ शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार का अंतहीन सिलसिला।**

गांवों में गरीब परिवारों के बच्चों के विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं और बेहतर माहौल की कमी है। पलायन करने वाले ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, जो गांव से शहर इसलिए आ गए कि गांव का माहौल बच्चों को बेहतर संस्कार के माफिक नहीं था। मगर शहर आने पर उनके बच्चे बेहतर तालीम हासिल न कर सके, क्योंकि माता-पिता मेहनत-मजदूरी करने चले गए और बच्चे दिनभर इधर-उधर उछल-कूद करते रहे। यानी पलायन का असर शहर और गांव दोनों जगहों पर बच्चों के ऊपर प्रतिकूल पड़ता है।

भारत में सामाजिक माहौल इस तरह का नहीं है कि गरीब परिवारों को अमीर परिवार के लोग मदद कर सकें। खासकर बच्चों की बेहतर तालीम, संतुलित आहार और मूल्यपरक सीख देने के मामले में। धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मान्यताएं और धारणाएं इस तरह की हैं कि गरीबी-अमीरी किस्मत की देन है। इसलिए गरीब माता-पिता बच्चों की बेहतरी के बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए भीख मांगने, चोरी करने या आवारागर्दी जैसी गतिविधियों से दूर रहने के लिए शख्त हिदायत नहीं दी जाती। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे परिवारों के बच्चों का बचपन ही नहीं, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा भी निराशा के गर्त में चला जाता है।

आंकड़ों के मुताबिक पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती। ऐसे परिवारों के 52 फीसद बच्चे पांचवीं भी पास नहीं कर पाते हैं। 46 फीसद बच्चे बमुश्किल आठवीं पास कर पाए। इसकी वजह पैसे की लगातार कमी रहना है। 47 फीसद बच्चों ने माना कि उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि उनके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधा और वक्त नहीं था। तीस फीसद बच्चों ने माना कि उन्होंने खुद पढ़ना नहीं चाहा। शहर आकर 19 फीसद परिवारों ने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें से 10 फीसद बच्चे ही हाईस्कूल तक पढ़ पाए। महज 4 फीसद बच्चे बारहवीं या बीए पास कर पाए।

दरअसल, गरीब परिवारों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि न होने से उनमें आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बचपन से ही नहीं पनप पाती। इसलिए क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का विकास भी नहीं हो पाता। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पलायन की वजह से गरीब परिवार के बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने से जहां माहौल बदलता है, वहीं संगत की वजह से उनमें कई तरह की बुरी आदतों का विकास होता है, जो बेहतर चारित्रिक विकास में बाधा पैदा करता है। गांवों से बड़े शहरों में आने के बाद बच्चों के मन पर शहरी चकाचौंध का असर उसके कोमल मन को कौतूहल से भर देता है। गांव के खुलेपन, बोली या भाषा, संस्कार से वह दूर हो जाता है। शहर की बंद गलियां, संकरे रास्ते और बोली-भाषा को अपनाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी के साथ शुरू होता है उसके साथ शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार का अंतहीन सिलसिला।

उसका यह भटकाव उसकी जिंदगी को कमजोर कर देता है। गांव की आबोहवा से निकल कर शहर में पहुंचने वाला बचपन शहर की अंधेरी गलियों और दमघोंटू बहुमंजिला इमारतों में कहीं खो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जिस गांव को छोड़कर वह दूर शहर में आया है, उसकी जिंदगी में खुशियों की वजह बनेगी या और ज्यादा पीड़ित हो जाएगा। गौरतलब है कि सहज विकास न होने पाने की वजह से दुनिया के करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में भटकता रहता है। वे विकास की धारा के साथ न चल पाने में सक्षम हो पाते हैं और न ही विकासशील या विकसित समाज का हिस्सा ही बन पाते हैं।

आभासी जरूरतों का संसार

मोनिका भाम्भू कलाना

किसी साधन की जरूरत और उसके उपयोग में जब असंतुलन पैदा होता है, तब उसका सीधा असर उसके उपयोगकर्ता पर पड़ता है। मसलन, मोबाइल और इंटरनेट आज के वक्त की सबसे प्राथमिक जरूरतों में से हैं, मगर क्या सभी लोग इसका उपयोग इसकी जरूरत के मुताबिक ही करते हैं? इस जरूरत के विस्तार का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ आधारभूत आवश्यकताओं में इंटरनेट को शामिल कर लेने का मुद्दा उठ रहा है। इसमें दो राय नहीं कि इंटरनेट ने व्यक्ति को बहुत-सी सहूलियतें दी हैं। लोगों के जीवन को आसान बनाया है। किसी जानकारी और ज्ञान के रास्ते की बाधाओं को कम किया है। उसने ज्ञान पर कुछ लोगों, कुछ भाषाओं के वर्चस्व को तोड़ने की भूमिका बांधी है। उसने बेजुबानों को आवाज दी है, अब आगे अपरिवर्तित मान ली गई स्थितियों को गतिशील बनाया है। जाति, राज्य, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की भौगोलिक-सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ते हुए हर व्यक्ति को वैश्विक समाज का सदस्य बनने की योग्यता दी है।

दरअसल, इंटरनेट ने और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन इसने व्यक्ति को स्क्रीन तक सीमित भी किया है। स्क्रीन के माध्यम से आने वाली हर जानकारी हमारे लिए अंतिम सच की तरह हो गई है, भले ही हमारे अपने जीवन से उसका कोई सामंजस्य न हो। व्यक्ति ने कई बहुत-सी चीजों को आसान बनाकर भी स्वयं व्यक्ति को जटिल बना दिया है। हमारे समय का एक बड़ा भाग स्क्रीन को समर्पित रहता है। दिमाग में कुछ आते ही उसे सर्च करना अब आदतों में शुमार हो गया है। व्यक्ति की याददाश्त दिन-ब-दिन कम होती गई है। हालत यह है कि इंटरनेट पर कोई शब्द या वाक्य टाइप करते हुए वैकल्पिक शब्द दिखने की सुविधा की वजह से लोग अब शब्दों की वर्तनी या अंग्रेजी के शब्दों के अक्षर भी भूलने लगे हैं।

हमारी कौन-सी और किस तरह की क्षमता को इंटरनेट ने हमसे छीन लिया है, इसे हम कभी सोचना जरूरी नहीं समझते। जिस तरह दफ्तर का एक निर्धारित वक्त होता है, उसी तरह इंटरनेट का क्यों नहीं हो सकता? तात्कालिक जरूरतों या ज्यादातर गैरजरूरी चीजों के लिए की गई इंटरनेट पर खोज एक तरह से समय का अपव्यय ही है। हमारे मन में कुछ होता है, खोलते ही कुछ और दिखता है, हम उसी को देखने लगते हैं और काम की बात भूल जाते हैं। अन्य सब कार्यों की तरह अगर इंटरनेट का भी समय नियत कर दिया जाए तो काफी हद तक इस समस्या को कम किया जा सकता है। इससे हमारी याददाश्त पर भी थोड़ा जोर पड़ने से उसके बने रहने की संभावना रहेगी।

कहते हैं, दिमाग भी यंत्र की तरह ही है। उसे जितना चलाया जाए, ज्यादा चलता है। हम अपने कार्यों को लिखकर एक साथ निबटा सकते हैं। इससे हमें यह भी पता लगता है कि हमारी कार्यक्षमता कितनी है। इंटरनेट के लिए एक वक्त निश्चित करने से हम जानेंगे कि हमें इस पर कोई काम भी नहीं है और हमें लगेगा कि इसके बिना काम चलाना मुश्किल नहीं है। बस अनुशासन की जरूरत है। चौबीस घंटे के इंटरनेट ने मनुष्य को एक धुकधुकी वाली मानसिकता दी है। यानी उसके धैर्य को उससे छीन लिया है और बेवजह की बेचैनी दी है। इंटरनेट मनुष्य को स्वयं को भुलाने का एक आसान माध्यम है। यह दरअसल कोई काम करने के लिए है, धीरे-धीरे इस सोच को भुला दिया गया है। सामान्य व्यक्ति के लिए वह एक सुलभ मनोरंजन भर रह गया है। हालांकि मनुष्य उससे मनोरंजन से कहीं अधिक प्रभावित होता है। अगर इससे महीने में तीन दिन का ठहराव लेकर भी हम देखें तो ये महसूस कर पाएंगे कि यह एक दिमागी भार है, जिसको जबरदस्ती हमने ओढ़ लिया है। इंटरनेट से ठहराव लेना इतना मुश्किल नहीं है, जितना समझा जाने लगा है। फालतू खरीद के इस युग में फालतू देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है।

दुनिया मेरे आगे

> **इंटरनेट पर कोई शब्द या वाक्य टाइप करते हुए वैकल्पिक शब्द दिखाने की सुविधा की वजह से लोग अब शब्दों की वर्तनी या अंग्रेजी के शब्दों के अक्षर भी भूलने लगे हैं। हमारी कौन-सी और किस तरह की क्षमता को इंटरनेट ने हमसे छीन लिया है, इसे हम कभी सोचना जरूरी नहीं समझते।**

कुछ लोग बड़ी शान से बताते हैं कि उनके रोजाना का डेटा पर्याप्त नहीं पड़ता। उनसे काम पूछा जाए तो किसी के साथ 'पैटिंग' या बातचीत के अलावा वे इंटरनेट के बारे में शायद ही कुछ जानते हों। ऐसे लोग हर छोटे-मोटे आनलाइन काम के लिए कैफे जाते हैं और खुद पूरे दिन डेटा लगाकर अपने नुकसान की भरपाई करते हैं। यह सही है कि अब डेटा के बगैर रिचार्ज ही नहीं रह गए हैं। ऐसे में अधिकतर लोग ज्यादा से ज्यादा डेटा का रिचार्ज करवाते हैं। डेटा के पैसे देकर उसे इस्तेमाल में नहीं लेने से कंपनी के फायदा होता है। इसलिए इस फायदे को कम करने के लिए वे अपना घाटा करते हैं।

बिना सोचे इंटरनेट पर कुछ भी चला लेने की प्रवृत्ति ने मस्तिष्क की एकाग्रता को गड़बड़ा दिया है। मनुष्य की जैविक घड़ी एक निश्चित वक्त के हिसाब से चलती है। जब हमारी दिनचर्या में कोई स्थायित्व नहीं होता तो उसकी व्यवस्था सही से नहीं चल पाती। जिस तरह बिना भूख लगे हम खाते हैं, उसी तरह बिना जरूरत खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। इंटरनेट ने मनुष्य की इस मानसिकता का फायदा उठाते हुए उसे काबू में कर लिया है। हमें इससे मुक्त होना चाहिए। इंटरनेट मनुष्य के लिए एक माध्यम है, वह माध्यम ही रहना चाहिए। उसे हम पर काबू करने वाले स्थिति तक हमें हरगिज नहीं जाने देना चाहिए।

संबंधों की डगर

'रिश्तों के धागे' (दुनिया मेरे आगे, 2 अगस्त) में संबंधों के आयामों का अच्छा विश्लेषण किया गया है। इन्हीं अगर मित्रता के संबंध को देखें, तो यह वह सरोकार है, जिसकी प्रगाढ़ता एवं ठोसपन का आधार एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा और सत्यनिष्ठ होती है। मगर आजकल मानव द्वारा अपने अल्प ज्ञान के मद में अनुरक्त होकर इसकी गरिमा को भंग करने का यत्न किया जा रहा है। आज हम आभासी दुनिया में समेटी गई संशयास्पद फेहरिस्त को ही अपनी मित्रता की यथार्थ सूची मान बैठे हैं। जबकि असल मित्र वह है जो हमारे सुख-दुख और जीवन की कठिन डगर में हमारा ध्रुव साथी हो, जीवनपर्यंत निस्वार्थ हृदय से हमारा हितैषी हो और बदले में उसे न कुछ अर्जन की लालसा हो और न ही मित्र के लिए स्वयं द्वारा कृत कार्यों की प्रशंसा का लोभ हो। मित्रता के इस स्नेहिल संबंध की तुरपाई सिर्फ आज्ञा की सीवनी एवं निष्ठा रूपी तंतु से ही की जा सकती है। सच्चा मित्र वही, जो अपनी मित्रता का कर्तव्य जीवनपर्यंत निभाकर हर दुभर समय में अपने मित्र के विकट समय की ढाल बन कर विवेक-चातुर्य से उसके कष्टों का निराकरण करता रहे।

- ईश्वर सिंह खंडियाण, हिप्र थिथि, शिमला

लोकतंत्र की चेतना

लोकतांत्रिक विचारों और कट्टरता का विरोधाभासी संबंध है। यही कारण है कि जिन देशों को अपने यहां लोकतंत्र को जीवंत अवस्था में देखना है, वहां के आमजन के बीच किसी भी प्रकार की कट्टरता को प्रश्रय देना बंद करना होगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत में विभिन्न तरह के कट्टरता आधारित विचारों की राजनीति इसका गलत फायदा उठाती है। बांग्लादेश की घटना हम भारतीयों के लिए सबक है। अचरज की बात है कि भारत के चारों ओर जो भी देश हैं, वहां पूर्णरूपेण लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि हमारा नेतृत्व ऐसे विचारों को प्रश्रय दे, जिससे आमजन की मनःस्थिति लोकतांत्रिक बने, क्योंकि थोपने से लोकतंत्र कभी आता नहीं है। विश्व के तमाम उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। अगर जनता के व्यवहार और उसकी चेतना में लोकतंत्र नहीं है तो राजनीतिक सत्ता का लोकतंत्र कभी भी पूरी तरह सार्थक नहीं हो सकता।

- मुकेश कुमार मनन, पटना

अंतर्विरोध का मैदान

एक तरफ भारत को विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जाता है, दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक 2024 में कई खेलों में एक बड़ी टीम के हिस्सा लेने के बावजूद कुल छह पदकों के साथ भारत का 71वें पायदान पर रहा तो यह एक तरह से अंतर्विरोध की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आवश्यकता है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन एवं नागरिक समाज एक साथ आकर भारतीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करे। नई प्रतिभाओं की खोज करे। कई बार आसपास चमक-दमक से दूर किसी गरीब परिवार के बच्चे में असीम संभावना छिपी होती है, जो समय पर संरक्षण और प्रशिक्षण नहीं मिलने पर खो जाती है। 'खेलो इंडिया' ने कुछ हद तक खिलाड़ियों को प्रतियोगी बनाया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। समय आ गया है कि सरकारें स्वीकारोक्ति का साहस दिखाए और अपेक्षित सुधार कर भारत को खेल महाशक्ति बनाने में सहयोग करे।

- राहुल कुमार मिश्रा, श्रावस्ती, उप्र

ठगी का जाल

साइबर ठग नित्य नए-नए तरीके निकालते हैं। यहां तक कि अब आयकर विभाग के प्रतीक चिह्न लगे मेल भी भेजे जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि आयकर विभाग कभी भी इस तरह के मेल नहीं भेजता हैं। उनके पास खाता विवरण होता है और वे सीधे खाते में 'रिफंड' भेज देते हैं। इसी प्रकार किसी अपराध में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने का भी मेल भेज दिया जाता है। तकनीक के जरिए किसी रिश्तेदार की आवाज में पैसे ट्रांसफर करा लेने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। डिजिटल तकनीकी आज के समय में बहुत उपयोगी है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है। इसलिए इसका उपयोग बहुत सतर्कता के साथ करने की जरूरत है। ठगी के तरीकों की सीडिया के माध्यम से जानकारी देना चाहिए, जिससे आम जनता सतर्क हो सके। ठग कई लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी ठग चुके हैं।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चिंतन

छात्राओं के लिए महफूज क्यों नहीं शिक्षालय

स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटी, वर्कप्लेस, पब्लिक प्लेस, घर, कहीं भी बच्ची-लड़कियां-महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हाल के वर्षों में समाज में यौन विकृति इस कदर बढ़ी है कि चार माह से चार साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं हैं और 60 वर्ष 80 वर्ष की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। हर तरफ से जब यौन हिंसा की घटनाएं सामने आती है, तो लगता है कि समूचा समाज बीमार है। कोलकाता रेप-मर्डर कांड से देश आलोड़ित-आंदोलित है ही, अब महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में करीब तीन व चार वर्ष की दो मासूम छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना दिल दहला देने वाली है। कोलकाता की मेडिकल छात्रा के साथ दरिंदगी के बाद से अब तक ही देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कोलकाता रेप व मर्डर कांड की अभी सीबीआई जांच हो रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, कोलकाता हाईकोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन चिंता की बात है कि कठोर कानून के बावजूद शिक्षण संस्थानों में बच्चियों का यौन उत्पीड़न नहीं रुक रहा है। बदलापुर स्कूल घटना में स्कूल प्रबंधन से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब लापरवाह नजर आए, अब जब मामले ने तूल पकड़ा है तो सब एक्शन मोड में लग रहे हैं, सवाल है कि अगर स्कूल-कालेज सुरक्षित नहीं रहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान कैसे आगे बढ़ेंगे। समाज में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा से लेकर यौन हिंसा की लोमहर्षक घटनाएं घट रही हैं। कानून, प्रशासन, प्रबंधन, समाज, परिवार सब मूक दर्शक बने रहते हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ जनता जब आक्रोशित होती है, तो प्रबंधन-प्रशासन की आंख खुलती है। भारत, बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति देश की प्रतिक्रिया पर आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स में 58.2 के स्कोर के साथ 60 देशों में से 15 वें स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स, यह भापता है कि राष्ट्र बाल यौन शोषण और उत्पीड़न की समस्या को कैसे एड्रेस कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों के शोषण एवं ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रणाली बनाई है, जिसमें बच्चों के माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को भी शामिल किया गया है। बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 18 वर्ष से कम उम्र के 7.9 प्रतिशत लड़के एवं 19.7 प्रतिशत लड़कियां यौन हिंसा की शिकार हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत के 13 राज्यों पर किये गए अध्ययन में 21 प्रतिशत लोगों ने बचपन में गंभीर यौन शोषण की बात स्वीकारी। बाल अधिकारों की रक्षा के लिये 'संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन (सीआरसी)' एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिए बाध्य करता है। भारत में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार के खिलाफ सबसे प्रमुख कानून 2012 में पारित यौन अपराध के खिलाफ बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो) है। इसमें अपराधों को चिन्हित कर उनके लिए सख्त सजा निर्धारित की गई है। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिये स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है। आज जरूरत दोषियों को सख्त सजा देने व शिक्षालयों को छात्राओं के लिए सुरक्षित बनाने की है। सरकार को शिक्ष संस्थानों को महफूज बनाने के लिए मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर
प्रमोद भार्गव

नए भूगोल में पहले चुनाव पर निगाहें

25 जुलाई 2024 की स्थिति में जम्मू-कश्मीर में कुल मतदाता 87.09 लाख हैं। जो तीन चरणों में होने वाले चुनाव में मतदान कर नई सरकार चुनेंगे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ राज्य दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। जम्मू-कश्मीर को विधानसभा का दर्जा दिया गया है, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। यहां दिल्ली एवं चंडीगढ़ की तरह राज्यपाल सत्ता शक्ति के प्रमुख केंद्र रहेंगे। जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार समग्र समाजों को मिले मतदान के अधिकार के साथ विधानसभा चुनाव होगा। अभी तक यहां दलित एवं जनजातीय समुदायों को मताधिकार ही प्राप्त नहीं था। इस चुनाव पर सबकी निगाहें हैं।

जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार समग्र समाजों को मिले मतदान के अधिकार के साथ विधानसभा चुनाव होगा। अभी तक यहां दलित एवं जनजातीय समुदायों को मताधिकार ही प्राप्त नहीं था। जबकि अब उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। यहां का भूपरिदृश्य बदलने एवं धारा-370 और 35-ए हटने के बाद 18 एवं 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का सवाल है, वहां 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले 2014 में चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। नतीजतन भाजपा और पीडीपी ने मिलकर कुछ समय गठबंधन सरकार बनाई और चलाई। 2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू विशेष अनुच्छेद 370 संसदीय कार्यवाही पूरी कर खत्म कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस समेत कश्मीर के दो राजनैतिक-पारिवारिक दल फारूक और मुफ्ती परिवार के मुखियाओं ने घाटी में अशांति बढ़ने की आशंका जताई थी। लेकिन वहां तब से शांति की बहाली तो है ही, पर्यटन से लोगों को खूब रोजगार मिला और अर्थव्यवस्था में गति आई। कश्मीर के आम नागरिकों ने पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों को जता दिया कि वे इस अराजकता से तंग आ चुके हैं। यह कितना विडंबनापूर्ण है कि जिस पाकिस्तान में लोकतंत्र फौज की कठपुतली बना रहकर भुखमरी के कगार पर खड़ा है, वह भारत से आतंकवाद के बहाने छायावुद्ध लड़ने से बाज नहीं आ रहा है। आषंका है कि चुनाव की घोषणा के बाद आतंकी घटनाओं की संख्या बढ़ती दिखे? लेकिन यही वह समय होगा जब कश्मीर की जनता न केवल पाकिस्तान को जवाब देगी, बल्कि कश्मीर में अलगाव और परिवारवाद का खेल खेलते रहे मुखौटाधारियों को भी सबक सिखाएगी।

25 जुलाई 2024 की स्थिति में जम्मू-कश्मीर में कुल मतदाता 87.09 लाख हैं। जो तीन चरणों में होने वाले चुनाव में मतदान कर नई सरकार चुनेंगे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ राज्य दो हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। जम्मू-कश्मीर को विधानसभा का दर्जा दिया गया है, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। यहां दिल्ली एवं चंडीगढ़ की तरह राज्यपाल सत्ता शक्ति के प्रमुख केंद्र रहेंगे। जम्मू-कश्मीर के बंटवारे और विधानसभा सीटों के विभाजन संबंधी पुनर्गठन विधेयक-2019 के लागू होने के बाद इस राज्य की भूमि का ही नहीं राजनीति का भी भूगोल बदल गया। नए सिरे से किए गए परिसीमन के बाद यहां 7 विधानसभा सीटों की बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा आबादी और उसका लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का आकलन आयोग ने किया था। साथ ही राज्य में अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को सुरक्षित करने का भी अहम निर्णय लिया। यानी सही मायनों में परिसीमन के नए परिणामों से भौगोलिक, सांप्रदायिक और जातिगत असमानताएं तो दूर हुई ही हैं, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटें भी आरक्षित कर दी गई हैं।

अब जम्मू-कश्मीर में कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में हैं। 24 सीटें गुलाम जम्मू-कश्मीर के लिए सुरक्षित हैं। जिन पर चुनाव नहीं होना है। 16 सीटें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें से सात अनुसूचित जाति और 9 अनुसूजित जनजाती के लिए सुरक्षित हैं। विधानसभा के पांच सदस्य उप राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार भी दिया गया है। इनमें से दो कश्मीरी प्रवासी यानी कश्मीरी पंडित होंगे। एक गुलाम कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा। दो सदस्य महिलाएं मनोनीत होंगी। कश्मीर का प्रवासी उन्हें माना जाएगा, जिन्होंने 1 नवंबर 1989 के बाद घाटी से पलायन किया हो और उनका नाम राहत आयुक्त के रजिस्टर में दर्ज हो। जो भी व्यक्ति 1947-48, 1965 और 1971 के बाद वहां से पलायन कर भारत आए हैं, उन्हें विस्थापित माना जाएगा। आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर में ऐसा पहली बार होगा, कि वाल्मिकी, गोरखा समाज और पाकिस्तान से आए विस्थापित पहली बार मतदान करेंगे। अन्य राज्यों के ऐसे लोग भी मतदान कर सकेंगे, जिनके पास प्रदेश का अधिवास पत्र व मतदान का अधिकार है। गुर्जर - बक्करवाल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला जनजातीय समुदाय (अनुसूचित जनजाति) के लिए 9 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित हैं। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए भी 7 विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित हैं। अतएव जिन लोगों को बीते 78 साल से घाटी के मूल निवासी होने के बावजूद न तो चुनाव लड़ने का अधिकार था और न ही मतदान का,अब उनको अवसर मिलेगा। अब तक कश्मीर में एक भी सीट पर जातिगत आरक्षण की सुविधा नहीं थी, जबकि इस क्षेत्र में 11 प्रतिशत गुर्जर बक्करवाल और गद्दी जनजाति समुदायों की बड़ी आबादी निवास करती है। अब ये समुदाय बढ़-चढ़कर चुनाव में भागीदारी कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए परिवार और अलगावकाद के लिए चुनौती बनते दिखाई दे सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में अंतिम बार 1995 में परिसीमन हुआ था। राज्य का विलोपित संविधान कहता था कि हर 10 साल में परिसीमन जारी रखते हुए जनसंख्या के घनत्व के आधार पर विधान व लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण होना चाहिए। इस परिसीमन का भी यही समावेशी नजारिया रहा। जिससे बीते 10 साल में यदि जनसंख्यात्मक घनत्व की दृष्टि से कोई विसंगति उभर आई है, तो वह दूर हो जाए और समरसता पेश आए। इसी आधार पर राज्य में 2005 में परिसीमन होना था, लेकिन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राज्य संविधान में संशोधन कर 2026 तक इस पर रोक लगा दी थी। इस हेतु बहाना बनाया कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े आने तक परिसीमन नहीं होगा।परिसीमन से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की कुल 111 सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) क्षेत्र में आती हैं। इस उम्मीद के चलते ये सीटें खाली रहती हैं कि एक न एक दिन पीओके भारत के कब्जे में आ जाएगा। बाकी 87 सीटों पर चुनाव होता है। अब तक कश्मीर यानी घाटी में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें थीं। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में जम्मू संभाग की जनसंख्या 42.89 प्रतिशत आबादी है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 37 सीटें आती थीं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की आबादी 68 लाख 88 हजार 475 है। प्रदेश की आबादी का यह 54.93 प्रतिशत भाग है। कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का 15.73 प्रतिशत है। वहां से कुल 46 विधायक चुने जाते थे। साफ है, जनसंख्यात्मक घनत्व और संभागवार भौगोलिक अनुपात में बड़ी असमानता थी, इसे दूर किया गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

महाराष्ट्र

डा. रमेश ठाकुर

मराठा आंदोलन के शोर में भाजपा का देवेन्द्र पर भरोसा

महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने को है। तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव किसी भी दल के लिए आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बीते कई महीनों से धधकता मराठा आरक्षण आंदोलन बड़ा मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। मराठा चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल लंबे समय से आंदोलित हैं। उनके समर्थन में मराठा समुदाय की बड़ी आबादी उनके साथ है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा देने में काफी प्रभावशाली है। ऐसे में कोई भी दल उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहेगा। सभी जानते हैं कि स्थानीय मराठा समुदाय, कांग्रेस-एनसीपी का बड़ा वोट बैंक रहा है। दूसरी तरफ, 1980 में भाजपा की स्थापना के बाद से ही इसके नेताओं ने राज्य के ओबीसी वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया। भाजपा नेताओं ने माली, धनगर और बंजारा समुदाय से तीन नेताओं एनएस फरांदे, अन्ना डांगे और गोपीनाथ मुंडे को आगे कर 'माधव' समीकरण की रचना की। तब छगन भुजबल जैसे ओबीसी नेता शिवसेना में हुआ करते थे, इसलिए शिवसेना का वोट बैंक भी कमोबेश ओबीसी वाला ही था। पर, अब तक राजनीतिक रूप से आमने-सामने होने के बावजूद मराठा और ओबीसी में टकराव की ऐसी स्थिति कभी दिखाई नहीं दी, जैसी मराठा चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन से दिखने लगी है। गौरतलब है कि अगर मराठा आंदोलन यूं ही बढ़ा है तो यह राज्य में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी तीनों के लिए ये बड़ा सिरदर्द साबित होगा। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कई मर्तबा इसको लेकर कोई विकल्प निकालने की बात कह चुका है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आगे कर राज्य में पार्टी नेताओं से बात करने और आरक्षण का मुद्दा कानून के दायरे में रहकर सुलझाने को कहा था। राज्य में 40 फीसदी से अधिक आबादी ओबीसी से ताल्लुक रखती है। जबकि, 30-35 फीसदी आबादी मराठी की है। ओबीसी अपने कोटे को कम नहीं करना चाहती हैं। राज्य में मराठा आंदोलन विवाद बढ़ने के लिए भाजपा शरद पवार को दोषी ठहराती है। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कह भी दिया था कि अतीत में मराठा आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध एनसीपी नेता शरद पवार ने किया था। कहा कि अगर पवार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई होती तो मराठा आरक्षण 1992 में ही मंडल आयोग के साथ लागू हो जाता।

शरद पवार मराठवाड़ा क्षेत्र से आते हैं और वे सिर्फ भाजपा के ही निशाने पर नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे ने भी उनकी कड़ी आलोचना की है। राज ठाकरे ने दावा किया कि उद्धव और शरद पवार मनोज जरांगे के नेतृत्व वाले आरक्षण आंदोलन का इस्तेमाल जातिगत राजनीति के रूप में भी करेंगे। हालांकि शरद पवार का मत है कि मराठा आरक्षण मुद्दा मौजूदा राज्य सरकार की नाकामी से उभरा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को मनोज जरांगे पाटिल के साथ बैठक कर बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। बहरहाल, महाराष्ट्र में करीब 30-35 फीसदी मराठों के चलते मौजूदा विधानसभा चुनाव में ये आंदोलन महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं जिनमें मौजूदा महायुति की सरकार में भाजपा को ऐसी उम्मीद है कि ग्रामीण स्तर पर मराठा बनाम ओबीसी के ध्रुवीकरण को कम करने में कामयाब रही तो इससे उसे पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि अब ये तय हो चुका है भाजपा अगला चुनाव फडणवीस की अगुआई में चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने इस बार 125 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और महायुति के साथ मिलकर 200 सीटों। भाजपा करीब 170 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन बाकी दोनों दल शिवसेना (शिंदे गुट) और एनसीपी (अजित पवार गुट) उसे इतनी सीटों पर अकेले उतरने का मौका देंगी, इसमें गहरा संदेह है। इसके साथ ही भाजपा के अंदर भी नेतृत्व करने का संघर्ष चल रहा है, लेकिन पार्टी देवेंद्र फडणवीस को ही आगे करना चाहेगी। फडणवीस मौजूदा परिस्थियों का कितना मुकाबला कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर, पार्टी को भरोसा है कि वह मराठा आरक्षण विवाद और राज्य में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने मजबूती से मुकाबला कर लेंगे। क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन भी हासिल है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

छोटे-छोटे संकल्प हमारी क्षमता बढ़ाते हैं

संकलित
दर्शन

जिस प्रकार किसी भी पूजा को प्रारंभ करने से पूर्व हाथ में जल लेकर संकल्प लिया जाता है उसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए उसे करने का संकल्प लिया जाता है। बगैर संकल्प हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संकल्प लेने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। संकल्प के पश्चात प्रयास प्रारंभ होते हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है तो प्रयास को हिम्मत मिलती है, विजय की राह आसान हो जाती है। हमारी सफलता हमारे संकल्प पर निर्भर करती है। हम जितना भरोसा अपने संकल्प पर करेंगे उसी अनुपात में हमें सफलता प्राप्त होगी। यदि हमारा संकल्प विजय का है तो हमारी सफलता भी निश्चित है। संकल्प सकारात्मक ऊर्जा के रूप में सब प्रेरक का काम करता है। जीवन में छोटे-छोटे संकल्प लेते रहना चाहिए। जब हम छोटे-छोटे संकल्पों को पूर्ण करते हैं तो आत्मविश्वास और हमारी क्षमता में वृद्धि होती है। दृढ़ संकल्प में असीम शक्ति होती है, जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधाओं से जूझने में सक्षम बनाती है। हालांकि, संकल्प लेकर उन्हें भूलना भी आम बात है। अक्सर हम देखते हैं कि नशे के आदी लोग रोज संकल्प लेते हैं कि वे अब आगे से नशा नहीं करेंगे, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। दृढ़ संकल्प शक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। जो संकल्प के साथ जीता है वह साधक होता है। कहते हैं कि एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में न तो योग्यता का अंतर होता है और न ही ज्ञान का।

मैं समुद्र के जल को समाप्त कर दूंगी

संकलित
प्रेरणा

अगस्त्य नाम के ऋषि थे वे समुद्र के किनारे कठोर व्रत कर रहे थे, वहां से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडो को से रहा था। उसी समय समुद्र में तूफान सी लहरे उठने लगी पानी चढ़ने लगा और पानी अपने साथ अंडो को बहा ले गया, पक्षी बहुत दुःखी हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं समुद्र के जल को समाप्त कर दूंगी और अपने चोंच में सागर के जल को भर भर कर फेंकने लगी ऐसा करते करते उसे काफी समय बित गया समुद्र का जल घटा ही नही। वह दुःखी मन से अगस्त्य मुनि के पास गई और अपनी व्यथा सुना समुद्र को सुखाने की प्रार्थना की। अगस्त्य मुनि ने ध्यान से पक्षी की व्यथा सुनी और चिंता व्यक्त की। ऋषि विचार करने लगे की मैं कैसे इस पक्षी की सहायता कर सकता हूं। उन्हें चिंता होने लगी की मैं कैसे समुद्र के जल को पी कर सुखा सकूंगा। विचार करते हुए अगस्त्य मुनि ने गणेश जी का स्मरण किया और संकट चतुर्थी व्रत को पूरा किया। तीन मास व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेशजी ने मुनि का मार्ग प्रशस्त किया चौथ व्रत की कृपा से अगस्त्य मुनि ने प्रेम से समुद्र को पी कर सुखा दिया और पक्षी की प्रतिज्ञा को पूरा किया। प्रतिज्ञा पूरी होने से पक्षी भी खुश हुआ।

अंतर्मन

बिटिया सावधान !!
रेप-मर्डर
रेप-मर्डर - रेप-मर्डर
रेप-मर्डर
रेप-मर्डर
दरिंदा
दरिंदा
दरिंदा

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 21 अगस्त 2024

असुरक्षित औरतें

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करने वाली जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट आखिर सोमवार को सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट में दी गई बातें हैरान तो करती ही हैं, इस रिपोर्ट को सामने लाने के लिए जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ी, वह भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है।

पांच साल का इंतजार | कमिटी का गठन 2017 में मलयालम फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री के अपहरण और सेक्शुअल असॉल्ट की घटना के बाद किया गया था। कमिटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत किए गए आवेदनों के जरिए पांच साल के कठिन संघर्ष के बाद यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जा सकी।

मॉलिवुड: हेमा कमिटी की रिपोर्ट

17 तरह के शोषण | रिपोर्ट का कंटेंट देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों यहां की ताकतवर लॉबी इसे सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ थी और क्यों उसने इसे लोगों की नजरों से छुपाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रिपोर्ट में कम से कम 17 तरह के शोषण गिनाए गए हैं, जिनसे केरल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इनमें लेडीज टॉयलेट और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं की कमी और पारिश्रमिक में भेदभाव से लेकर काम के बदले में सेक्स की डिमांड तक तमाम तरह के शोषण शामिल हैं।

इंटरनल कमिटी से फायदा नहीं | रिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि सेक्शुअल हैरासमेंट ऑफ विमिन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट 2013 जैसे कानून और इसके तहत अनिवार्य बताए गए इंटरनल कमिटी गठित करने जैसे प्रावधान इन मामलों में ज्यादा मदद नहीं करते। इसकी एक वजह यह है कि ये वर्कप्लेस पर हैरासमेंट की बात करते हैं जबकि फिल्म इंडस्ट्री में शोषण अक्सर काम मिलने से पहले ही शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह कि शोषण करने वाले लोगों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि शिकायत करने की हिम्मत दिखाने पर भी करिअर खत्म हो जाता है।

बीमारी का बड़ा दायरा | भले जस्टिस हेमा कमिटी की यह रिपोर्ट सिर्फ केरल फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हो, अन्य फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। इसे भी महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि जिस समय यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। ऐसी घटनाएं अलग-अलग इलाकों और पेशों में महिलाओं की असुरक्षा का सवाल पेश करती रहती हैं। ऐसे में कोई एक कानून, कोई एक आयोग या प्राधिकरण इसका इलाज नहीं हो सकता। पुलिस-प्रशासन, कानून-अदालत और परिवार-समाज सभी स्तरों पर दीर्घकालिक प्रयास ही बेहतरी सुनिश्चित कर सकते हैं।

इन दिनों

लोगों पर जो गुज़री

मृत्युंजय राय

15 अगस्त 2021 को अमेरिका और सहयोगी देशों की फौज अफगानिस्तान से लौट गई थी। जिस तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने इससे 20 साल पहले अफगानिस्तान में युद्ध शुरू किया, उसी तालिबान से उसे समझौता करना पड़ा था। इसे वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी हार माना गया। इसी वजह से राष्ट्रपति जो बाइडन की लोकप्रियता में भी कमी आई। आज दुनिया का ध्यान यूक्रेन और इस्राइल-फलस्तीन युद्ध पर है। वहीं, अमेरिका की दिलचस्पी चीन को कमजोर कर दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बने रहने पर है। उधर तालिबान के राज में वहां की करीब 4.4 करोड़ जनता बेहद मुश्किल हालात में जीने को मजबूर है। इनमें से आधी महिलाएं हैं, जिन्हें तालिबान के राज में बहुत सी कम अधिकार हासिल हैं। अफगानिस्तान में आज कोई सवा करोड़ लोगों के सामने भुखमरी का संकट है। देश का करीब 20 फीसदी हिस्सा अकाल की दहलीज पर है।

अमेरिका ने साल 2001 में 9/11 आतंकवादी हमलों के बाद अल-कायदा की खात्मे करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया था। तब वहां तालिबान का राज था, जिसने अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन और समूह के दूसरे आतंकवादियों को पनाह दी हुई थी। अल-कायदा उससे पहले भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के ठिकानों पर हमले कर चुका था। आज के अफगानिस्तान में भी आतंकवादियों ने पनाह ले रखी है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस (ISKP) इसमें प्रमुख है। यह तालिबान का दुश्मन है और इसने अफगानिस्तान और ईरान में कई हमले किए हैं। मार्च में मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हमले की भी इसने जिम्मेदारी ली थी। ISKP की नजर मध्य एशिया, पाकिस्तान और भारत में विस्तार पर है।

अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों की भी इस बीच सोच बदली है। चीन की नजर वहां के कुदरती संसाधनों पर है। ईरान, तालिबान सरकार के साथ नॉटर शेयरिंग समझौते के लिए बात कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पर अंकुश लगाना चाहता है, जिसके लड़ाकों को अफगानिस्तान में पनाह मिली हुई है। वहीं, भारत ने अफगानिस्तान में लोगों की मदद के लिए अनाज और दवाएं भेजी हैं, वह अफगानियों में अपनी अच्छी छवि बनाए रखना चाहता है। लेकिन सच यही है कि 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद से दुनिया बहुत बदल चुकी है और आज किसी की भी दिलचस्पी तालिबान की मनमानियों पर अंकुश लगाने में नहीं है।

एकदा

महाराजा की उदारता

महाराजा प्रताप सिंह ने जम्मू-कश्मीर पर 1885 से 1925 तक शासन किया था। वह अपनी प्रजा के दुख-दर्द जानने के लिए वेश बदलकर घूमा करते थे। वह एक दिन घूमते-घूमते किसी तालाब के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवक को लेटा हुआ देखा। बुखार से उसका शरीर तप रहा था। महाराजा के पूछने पर उसने बताया, 'मैं पत्नी को लिवाने जम्मू जा रहा हूं। मैं लक्ष्मी मेहतरानी का जंवाई हूं।' राजा ने उसे घोड़े पर बैठ जाने को कहा, पर वह इतना कमजोर हो चुका था कि घोड़े पर चढ़ नहीं सका। तब महाराजा ने उसे अपने कंधे पर उठाकर घोड़े पर चढ़ा दिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर पैदल चलने लगे। राज्य में पहुंचते ही खबर फैल गई। मेहतरानी लक्ष्मी देवी महाराजा के घोड़े पर अपने जंवाई को बैठा देखकर डर गईं। वह राजा के चरणों में गिरकर अपने दामाद के अपराध के लिए क्षमा मांगने लगी। महाराजा ने दामाद को घोड़े पर से स्वयं अपनी गोद में लेकर नीचे उतारा। अपनी सास को इस तरह डरा-सहमा देखकर युवक भी परेशान हो गया। महाराजा ने लक्ष्मी देवी को आश्वस्त करते हुए कहा, 'घबराओ नहीं, तुम्हारे दामाद ने कोई अपराध नहीं किया है।' सुनकर सारे दरबारी हैरान थे। महाराजा ने कहा, 'देखो लक्ष्मीदेवी मैं राजा होने के साथ एक इंसान भी हूं। मानवता के कारण किसी के भी कष्ट आना मेरा धर्म है। यदि आज मैं आपके दामाद के काम नहीं आता तो मैं मनुष्य होने के अपने धर्म से विमुख हो जाता। हमारी सामाजिक परंपरा के हिसाब से, किसी एक परिवार का दामाद सबका दामाद होता है। इस तरह यह मेरा भी दामाद हुआ न!' महाराजा के उदार विचार जानकर लक्ष्मीदेवी का सिर श्रद्धा से झुक गया।

AI Image

संकलन : दीनदयाल मुरारका

सुप्रीम कोर्ट का SC/ST में उपवर्ग बनाने का फैसला सही है, लेकिन सरकार पलट सकती है इसे

आरक्षण में सब-कोटा का क्या है भविष्य

सुधांशु रंजन

देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से हाल ही में फैसला दिया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और जनजातियों में उपवर्ग बना सकती हैं। यानी दलितों और आदिवासियों में किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, इसकी जांच कर उनके अंदर श्रेणियां बनाई जा सकती हैं ताकि कुछ विशेष जातियां ही आरक्षण का लाभ न उठाती रहें।

फैसले का विरोध | इस फैसले का कई दलों ने विरोध किया है। प्रकाश आंबेडकर ने इसकी कड़ी आलोचना की है, जबकि चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मायावती ने संविधान संशोधन कर इस फैसले को पलटने की मांग की तो मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा आरक्षण खत्म करने की है, वरना वह पिछले सत्र में ही इसे पलटने के लिए विधेयक ला सकती थी।

क्या है मामला | दलित जातियां छुआछूत का शिकार रही हैं। इसलिए उन्हें अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा गया। संविधान लागू होने के बाद 1950 से लगातार उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। बीच-बीच में यह विवाद हुआ कि दलितों और आदिवासियों में भी कुछ खास जातियों को ही इस आरक्षण का बड़ा हिस्सा मिल रहा है।

कोई जाति बाहर नहीं हुई | 1960 के दशक में लेकुर कमिटी ने सुझाव दिया कि चर्मकारों की हिस्सेदारी काफी बेहतर हो गई है, इसलिए उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी जाति को आरक्षण के दायरे से बाहर नहीं किया गया। वहीं, आरक्षण वाली लिस्ट में नई जातियां जोड़ी जरूर जाती रहीं।

चिन्नैया केस | शीर्ष अदालत के सामने भी यह मुद्दा उठा। ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में अदालत की पांच जजों की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि दलितों के अंदर उपवर्गीकरण करना उचित नहीं है।

पंजाब में क्या हुआ | इसके पहले 1975 में पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दलित आरक्षण को दो हिस्सों में बांट दिया। आधा वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और आधे में बाकी सब। लेकिन 25 जुलाई 2006 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चिन्नैया मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले के आलोक में यह अधिसूचना रद्द कर दी। तब पंजाब सरकार ने पंजाब अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ी जातियां (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 बनाया। इसमें तरजीह वाल्मीकि और मजहबी सिखों को दी गई, लेकिन 29 मार्च 2010 को हाई कोर्ट ने इसे भी निरस्त कर दिया।

शीर्ष अदालत में गया केस | पंजाब सरकार की दलील थी कि चिन्नैया का निर्णय सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की संविधान पीठ की ओर से 1992 में इंद्र सहनी मामले में दिए गए फैसले के अनुरूप नहीं है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण की बात कही गई है। मामला अंत में शीर्ष अदालत के पास आया। इसमें दो मुद्दे थे- क्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के भीतर भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है जैसा कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है? दूसरा, क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है?

फैसले का असर
- सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की बात की
- वंचित राजनीति करने वालों का विरोध
- सरकार नहीं बदलने देगी यह व्यवस्था

कोर्ट का निर्णय | शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है और राज्य सरकारों के पास इसका अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि दलितों में सबसे पिछड़ों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। इसलिए वर्गीकरण आवश्यक है, लेकिन यह तार्किक हो। जस्टिस बी आर गवई ने (जो स्वयं दलित हैं) लिखा कि एक नौकरशाह के बच्चे और एक दिहाड़ी मजदूर के बच्चे को समान समझना, भले दोनों दलित हों, संविधान की मंशा के विपरीत होगा।

सरकार का रुख | चार जजों ने व्यवस्था दी कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत दलितों पर भी लागू होता है। जस्टिस गवई और जस्टिस मिसल ने कहा कि IAS-IPS के बच्चों को आरक्षण का लाभ देना दूसरों के प्रति अन्याय है। इस मुद्दे पर चार अलग-अलग लेकिन सहमति वाले फैसले हैं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए। यानी छह जजों में चार की सहमति है। यहां बहुमत का सिद्धांत लागू होगा। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या करती है। चूंकि NDA के भीतर भी इस फैसले का विरोध है, इसलिए सरकार इस मसले पर दबाव में आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA के दलित और आदिवासी सांसदों को आश्वासन भी दिया है कि वर्तमान व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।

क्रीमी लेयर में दिक्कतें | क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने में कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं। OBC के लिए जो आय की सीमा तय की गई है, वह माता -पिता की आय है, उम्मीदवार की आय नहीं। अब ऐसे भी उदाहरण हैं कि किसी को केवल किराए से लाखों रुपये की आमदनी हर महीने हो रही है। उसने सारी संपत्ति बच्चों के नाम कर दी और उसके बच्चे आरक्षण के हकदार हो गए।

बिहार का मामला | शीर्ष अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्गों के लिए 26 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इसमें 12 प्रतिशत अति पिछड़ी जातियों के लिए, 8 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लिए, 3 प्रतिशत महिलाओं और 3 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए। इसलिए ऐसा करना संभव है और होना भी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल अपना नफा-नुकसान देखकर कोई कदम उठाते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कानून के जानकार हैं)

बढ़ती जा रही वापसी की तारीख़

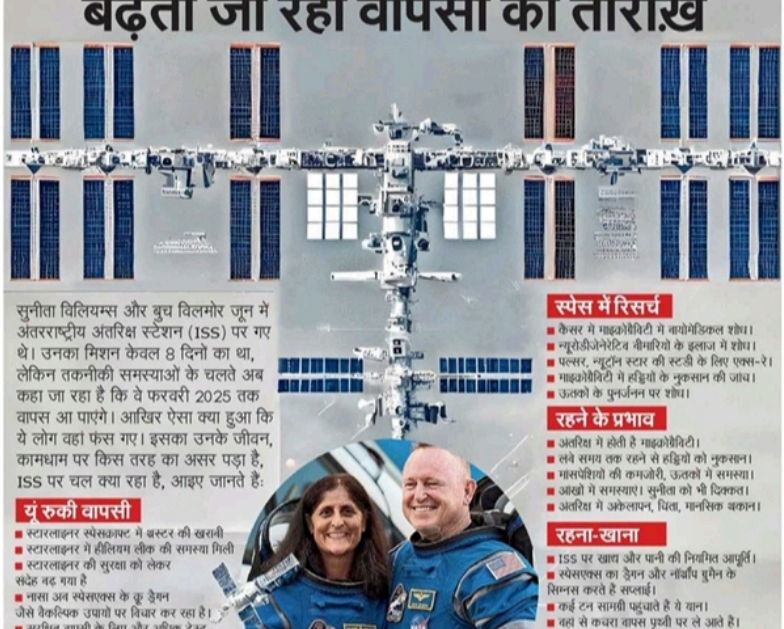

सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर जून में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर गए थे। उनका मिशन केवल 8 दिनों का था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते अब कहा जा रहा है कि वे फरवरी 2025 तक वापस आ पाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग वहां फंस गए। इसका उनके जीवन, कामधाम पर किस तरह का असर पड़ा है, ISS पर चल क्या रहा है, आइए जानते हैं:

यूं रुकी वापसी
- स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में बस्टर की खराबी
- स्टारलाइनर में हीलियम लीक की समस्या मिली
- स्टारलाइनर की सुरक्षा को लेकर संदेह बढ़ गया है
- नासा अब स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन जैसे वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहा है।
- सुरक्षित वापसी के लिए और अधिक टेस्ट हो रहे हैं, जिससे समय सीमा बढ़ गई है।
- ISS पर सीमित ऑक्सिजन स्प्लाय और लॉजिस्टिक चुनौतियां वापसी में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

ISS पर सुनीता
- सुनीता विलियम्स ने ISS पर पौधों की सिंचाई और माइक्रोबैक्टीरिया में उनके विकास पर महत्वपूर्ण शोध किया है। यह भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों की खाद्य आपूर्ति में सहायता करेगा।
- स्वास्थ्य पर माइक्रोबैक्टीरिया के प्रभाव का अध्ययन भी सुनीता के शोध का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

स्पेस में रिसर्च
- केंसर में माइक्रोबैक्टीरिया में बायोमेडिकल शोध।
- न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के इलाज में शोध।
- प्लस्मर, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी के लिए एक्स-रे।
- माइक्रोबैक्टीरिया में हड्डियों के नुकसान की जांच।
- उतकों के पुनर्जनन पर शोध।

रहने के प्रभाव
- अंतरिक्ष में होती है माइक्रोबैक्टीरिया।
- लंबे समय तक रहने से हड्डियों को नुकसान।
- मांसपेशियों की कमजोरी, उतकों में समस्या।
- आंखों में समस्याएं। सुनीता को भी थ्रिकल्ट।
- अंतरिक्ष में अकेलापन, चिंता, मानसिक बकान।

रहना-खाना
- ISS पर खाद्य और पानी की निरंतर आपूर्ति।
- स्पेसएक्स का ड्रैगन और बॉयंटिंग ड्रगेन के मिस्नस करते हैं सप्लाई।
- कई टन सामग्री पहुंचाते हैं ये यान।
- नासा से कचरा वापस पृथ्वी पर ले जाते हैं।
- ISS पर पानी की आपूर्ति के लिए पुनर्चक्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
- NASA के स्पेस फूड सिस्टम्स लैब में तैयार किए जाते हैं।
- ज्यादातर भोजन को डिहाइड्रेट करके भेजा जाता है।
- मांस, सब्जियां, अंडे, स्नैक्स, और मिठाई शामिल हैं।

गगनयान क्रू
गगनयान क्रू से भी ISS पर जाने के लिए दो भारतीय चुने गए हैं
- शुभांशु शुक्ला ISS मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चुने गए।
- अक्टूबर 2024 में Axiom-4 मिशन होगा।
- प्रशांत नायर नैकअप अंतरिक्ष यात्री।

कंटेंट: राहुल पाण्डेय
Graphics & Images : AI

ऐथलीट के लिए घुटने की चोट गंभीर क्यों

डॉ. दीपक चौधरी

घुटनों में लगने वाली चोटों में मेनिस्कल टीयर के मामले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एथलीटों को इस तरह के खिंचाव या टूट-फूट (टीयर) का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा, घुटने की आर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को भी मेनिस्कस कमजोर होने के कारण ऐसी चोट की आशंका रहती है।

क्या है मेनिस्कस | मेनिस्की या मेनिस्कस घुटने के जोड़ के बीचोबीच कुशन जैसे दो फाइब्रोकार्टिलेज पैड होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर और स्टेबलाइजर का काम करते हैं। ये पैड जोड़ को गद्देदार बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और जांघ की हड्डी और पिंडली की हड्डी के बीच अधिक फिसाव होने से बचाते हैं।

क्या होती हैं वजहें | मेनिस्कल टीयर अचानक घुटना मुड़ने के कारण या उम्र बढ़ने के कारण हो सकता है। इस तरह की गंभीर टूट-फूट फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस में आम होती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ मेनिस्कसी को कमजोर पड़ने लगता है। इस तरह की टूट-फूट लगातार होती रहे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण भी बन सकती है।

मेनिस्कल टीयर के लक्षण | घुटने के अंदरूनी, बाहरी या पीछे के हिस्से में दर्द का अहसास हो सकता है। यह दर्द टीयर के स्थान के अनुसार होता है। चोट लगने के 24 से 48 घंटे के अंदर सूजन बढ़ जाती है और घुटने में अकड़न और मनसनाहट का अहसास होने लगता है। कुछ मामलों में मेनिस्कस का फटा हुआ टुकड़ा जोड़ के भीतर ही फंस सकता है, जिससे घुटना जकड़ा हुआ महसूस हो सकता है। कई बार घुटने को पूरी तरह से सीधा करना या मोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा फटे टुकड़े के जोड़ के भीतर शिफ्ट होने पर घुटने के हिलने पर पॉपिंग या क्लिक की आवाजें सुनी जा सकती हैं।

डॉक्टर से सलाह | घुटने के सभी दर्द के लिए डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। हल्के दर्द और न्यूनतम सूजन की स्थिति में सामान्य पेनकिलर और RICE प्रोटोकॉल (आराम करना, वर्फ से सेंकना, दबाना और चोटिल हिस्से को ऊपर की ओर करना) पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर गंभीर सूजन या विकृति हो, घायल पैर पर वजन सहन करना मुश्किल साबित हो रहा हो, घुटना अस्थिर महसूस हो रहा हो या अप्रत्याशित रूप से झुक गया हो और ये लक्षण 2-3 दिनों से अधिक समय तक बने रह जाएं तो बिना देर किए चिकित्सा परामर्श लेना चाहिए।

AI Image
कॉमन रूम

मेनिस्कल टीयर का इलाज | इलाज के विकल्प टीयर की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। इसमें टीयर के आकार, स्थान और प्रकार/ग्रेड व मरीज के संपूर्ण स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। RICE प्रोटोकॉल, दर्द की दवा सहित गैर-सर्जिकल प्रक्रिया हल्के या मध्यम मामलों के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन ग्रेड 3 के टीयर में आर्थोस्कोपिक मेनिस्कल मरम्मत या मेनिस्कस (मेनिससेक्टोमी) को हटाने जैसी सर्जिकल प्रक्रिया अनिवार्य हो सकती है।

मेनिस्कल रिपेयर | तकनीकी विकास की बदौलत आजकल देशभर के आर्थोपेडिक सर्जन आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कल रिपेयर को तेजी से अपना रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कल रिपेयर एक छोटी सी शल्य प्रक्रिया है, जिसमें फटे मेनिस्कस की मरम्मत की जाती है। इस तकनीक में लचीली सूइयों के साथ आंल-इनसाइड मेनिस्कल रिपेयर डिवायसेट का इस्तेमाल किया जाता है। आंल-इनसाइड मेनिस्कल रिपेयर प्रक्रिया सर्जरी के समय को कम करती है और पोस्ट-ऑपरेटिव रिकवरी को तेज करती है। जिन मामलों में मरम्मत संभव नहीं है, वहां घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी पर विचार किया जा सकता है।

अनदेखी उचित नहीं | कुल मिलाकर मेनिस्कस टीयर हालांकि सामान्य दुर्घटना है लेकिन इस पर ध्यान देने और समय पर इलाज कराने की जरूरत होती है। इसकी अनदेखी करना आगे चलकर गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है।

(लेखक कोलकाता-बेस्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली में आर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर के डिविजनल हायरेस्ट और एचओडी हैं)

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

शिष्यों के जीवन में रंग भरने वाला चित्रकार है गुरु

रमेश भाई ओझा

व्यक्ति का महत्व नहीं, उसकी गुरुता और उसके गुण का महत्व है। इसलिए व्यक्ति के गुण की पूजा की जाती है, व्यक्ति तो केवल एक माध्यम है। जीवन नैया के खेवैया सद्गुरु हैं। बिना उनकी कृपा के न तो ज्ञान प्राप्त होता है, न ही हमारी नैया पार लगती है। भारतीय तत्वज्ञान का मानना है कि गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति भवसागर को पार नहीं कर सकता है। इस संदर्भ में सद्गुरु हमारे जीवन के कर्णधार हैं। सद्गुरु सूर्य के समान हैं, तो यह चंद्र के समान भी हैं। सूर्य का काम विकास करने का है और चंद्र का काम पोषण करने का। सद्गुरु जीवन को विकसित करते हैं, उनकी कृपा से आध्यात्मिक विकास संभव है।

तुलसीदास ने भी कहा है कि गुरु की चरण रज भगवान शंकर के देह पर लगी भस्म जितनी पवित्र है। गुरु का स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि मिल जाती है। जैसे आंखों में सुरमा लगाने से आंखों के दोष दूर होते हैं, वैसे ही गुरु के चरण रज से दृष्टि के दोष दूर होते हैं। जैसे कुम्हार और चित्रकार की भूमिका से भली भांति समझा जा सकता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहले मिट्टी लाता है, उससे कंकड़ और खर-पतवार साफ करता है, फिर उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से रौंदता है और उसे बर्तन बनाने के योग्य बनाता है। फिर उसे चाक पर चढ़ाकर उचित आकार देता है। यही स्थिति चित्रकार की है। वह पहले अपने दिमाग में उस चित्र का एक खाका बना लेता है। फिर उसे कागज पर उतारकर उसमें तरह-तरह के रंग भरता है, उसे हर एंगल से देखता है, ताकि कोई कमी न रह जाए। ठीक वैसी ही स्थिति गुरु की है। वह शिष्य को साधना के चाक पर चढ़ाकर उसे उसकी योग्यता के अनुसार आकार देते हैं।

इसके पहले गुरु अपने अनुभव के आधार पर शिष्य को परखते हैं। उनकी परख अद्भुत होती है। वह शिष्य की भूमिका और योग्यता को समझ जाते हैं। जिसकी जैसी भूमिका होती है, उसे उसी योग्य बनाने में अपना ज्ञान शिष्य में उंडेल देते हैं। कुम्हार की तरह ही गुरु शिष्य की क्षमता के अनुसार कभी सख्ती से पेश आते हैं, कभी दंड देते हैं और कभी पुचकारते हैं। अब शिष्य का कर्तव्य है कि कभी गुरु के वचन कटु भी लगें, तो यह समझे कि उस कटुता में गुरु का वात्सल्य छिपा होता है। मां अपने बच्चे के लिए सुस्वादु भोजन तैयार करती है और पहले चखकर देख लेती है। लेकिन जब बच्चा बीमार पड़ता है, तब उसके उपचार के लिए कड़वी दवा पिलाने में जरा भी संकोच नहीं करती। उसी प्रकार सद्गुरु भी कभी-कभी तुम्हारे रोग को दूर करने के लिए कटुवचन भी कहते हैं। उनके कटुवचन भी अमृत के समान होते हैं।

यह भी जरूरी नहीं कि गुरु सदेह ही होने चाहिए। आप रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंद, रमण महर्षि, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जी को ही लें। आज ये हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम उनके उपदेशों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। एकलव्य के पास द्रोणाचार्य सदेह नहीं थे, लेकिन एकलव्य की जो उनमें श्रद्धा थी, उसी से उनके गुरु का आशीर्वाद मिल गया। सभी जानते हैं कि यह इतना श्रेष्ठ धनुर्धारी बना कि उसमें अर्जुन से भी टक्कर लेने की क्षमता आ गई।

प्रस्तुति : सुभाष चंद्र शर्मा

[illegible]

दैनिक जागरण
त्याग के समान कोई सुख नहीं है

दबाव में आई सरकार

विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में उच्च पदों पर विशेषज्ञता वाले लोगों की एक प्रकार से सीधी भर्ती अर्थात लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन वापस लेने से यही स्पष्ट हो रहा है कि मोदी सरकार दबाव में आ गई। दबाव केवल विपक्षी दलों का ही नहीं था, बल्कि सहयोगी दलों का भी था। चंद्रबाबू नायडू ने तो लेटरल एंट्री के जरिये अनुभवी लोगों की भर्ती की पहल का समर्थन किया, लेकिन चिराग पासवान खुलकर विरोध में आ गए। एक अन्य प्रमुख सहयोगी दल जदयू के नेताओं ने भी लेटरल एंट्री का विरोध कर दिया। इससे तो यही लगता है कि मोदी सरकार ने इस पहल को आगे बढ़ाने के पहले अपने सहयोगी दलों से विचार-विमर्श ही नहीं किया। यदि वास्तव में ऐसा नहीं किया गया तो यह उसकी रणनीतिक चूक ही है। केंद्र सरकार को यह आभास होना चाहिए था कि विपक्ष जिस तरह हर मामले में आरक्षण के मुद्दे को तूल देने के साथ संविधान के खतरे में होने का हौवा खड़ा कर रहा है, उसके चलते वह इस पहल के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। यह निराशाजनक है कि मोदी सरकार न तो विपक्ष की संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगा सकी और न ही अपने सहयोगी दलों को साथ ले सकी। यह ठीक है कि मोदी सरकार अपने-अपने क्षेत्र के कुशल लोगों की प्रशासन में भर्ती की पहल से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन उसे जिस तरह अपने कदम खींचने पड़े, उससे एक मजबूत सरकार की उसकी छवि को धक्का लगा है।

प्रशासन में अनुभवी लोगों की सेवाएं लिया जाना कोई नई-अनोखी बात नहीं है। इसका सिलसिला तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ही शुरू हो गया था। इसके बाद की सरकारों में भी यह सिलसिला कायम रहा। अनेक ऐसे उच्च पदों पर विशेषज्ञों को लाया गया, जिन्हें आइएएस, आइएफएस आदि संभालते थे। मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया आदि लेटरल एंट्री के जरिये ही उच्च पदों पर आए। इसी तरह अनेक राजदूत भी गैर-आइएफएस नियुक्त किए गए। प्रशासन के साथ शासन में भी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों की सेवाएं ली गईं। आधार की पहल को अंजाम देने के लिए नंदन नीलकेणी को लाया गया था। विपक्षी नेता और विशेष रूप से राहुल गांधी इस सबसे अनजान नहीं हो सकते, लेकिन वह नकारात्मक और विभाजनकारी राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यह उनकी मौकापरस्ती ही है कि एक समय वह खुद लेटरल एंट्री के जरिये प्रशासन में पूर्व सैन्य अधिकारियों की भर्ती का बाद कर रहे थे, लेकिन अब उसके खिलाफ खड़े हो गए और वह भी तब, जब वह कहीं नहीं कहा गया था कि आरक्षित तबकों के लोग लेटरल एंट्री का हिस्सा नहीं बन सकते। अमेरिका जैसे देशों में भी सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण है, पर वहां भी लेटरल एंट्री की व्यवस्था है। यह ठीक नहीं कि अपने देश में आरक्षण को हर मर्ज की दवा बनाया जा रहा है।

आदेश का अनुपालन

सरकार योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन क्रियान्वयन में कमी रह जाती है। अधिकारियों से सीधा संवाद न होने से जन शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है कि जनसमस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। खंड विकास अधिकारियों को अपने विकास खंड मुख्यालय पर निवास सुनिश्चित करना होगा। ऐसा न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। यह आदेश निश्चित रूप से जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कारण यह कि तैनाती स्थल पर निवास न करने से कार्यालय में उपस्थिति के निर्धारित समय का अनुपालन नहीं हो पाता। अपनी समस्याओं को लेकर परेशान लोग खंड विकास कार्यालय की परिक्रमा करते रहते हैं। अन्य विभागों एवं अधिकारियों के लिए भी इस तरह के शासनादेश पूर्व में जारी हो चुके हैं। अकेलेपन पर कार्रवाई का भी प्रविधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। औचक निरीक्षणों में यह बात सामने आती रही है। खंड विकास अधिकारियों की तरह प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को भी तैनाती स्थल पर ही निवास करने के निर्देश हैं। इसके विपरीत दुरूह क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता होती है, वहां चिकित्सक प्रायः निवास नहीं करते। जिला मुख्यालय या अन्य किसी नजदीकी शहर-कस्बों में रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि न तो वे समय से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं और न ही मरीजों को समुचित इलाज मिल पाता है। परिणाम स्वरूप उन्हें निजी चिकित्सकों की शरण में जाना पड़ता है। शासन स्तर पर यह आकलन भी कराया जाना चाहिए कि विकास खंड मुख्यालयों या अन्य कार्यस्थलों पर अधिकारियों के निवास की समुचित व्यवस्था है या नहीं। अब देखना यह है कि मुख्य सचिव के आदेश को मंडलायुक्त और जिलाधिकारी कितने प्रभावी ढंग से लागू करवा पाते हैं।

अमेरिकी पिछलग्गुओं से सावधान

विकास सारस्वत

जब भी अमेरिका को कहीं तख्तापलट करना होता है, वह लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक हितों का शोर मचाना शुरू कर देता है

प्रधानमंत्री शेख हसीना

बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट में अमेरिकी हाथ होने की आशंका तब और गहरा गई, जब हिलेरी क्लिंटन के करीबी मुहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख चुना गया। शेख हसीना के अनुसार उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी सैन्य अड्डे की मंजूरी न देने की कीमत चुकानी पड़ी। सच जो भी हो, अमेरिका हारा दूसरे देशों में सत्ता बदलने के प्रयास नई बात नहीं हैं। सर्वर्ट जर्बिस के शब्दों में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप उतना ही अमेरिकी है, जितना एप्पल पाई। अपनी पुस्तक ओवरथ्रो में अमेरिकी लेखक स्टीफन किंजर ने सौ सालों के अमेरिकी सत्ता परिवर्तन प्रयासों की तीन घटनाओं में बांटा है। पहले चरण में साम्राज्यवादी विस्तार कर निकारगुआ, हवाई, क्यूबा, पुएर्तो रिको और फिलीपींस को अपने साम्राज्य में मिलाया गया। दूसरे चरण में शीतयुद्ध के अंतर्गत चिली, दक्षिणी वियतनाम, ईरान और ग्वाटेमाला में खुफिया कार्रवाई कर तख्तापलट के प्रयास हुए और तीसरे चरण में सीधे आक्रमणों के जरिये पनामा, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया आदि में सत्ता बदली गई। चर्चित पुस्तक ''कोबर्ट रिजीम चेंज'' में लिंडसी ओ रूर्क ने शीतयुद्ध के दौरान ऐसे ही 64 सफल-असफल खुफिया प्रयासों की चर्चा की है। ये प्रयास कितने तुच्छ कारणों पर आधारित रहे, इसकी बानगी कैनेडी कार्यकाल के एक प्रसंग से मिलती है। ब्रिटिश गुयाना की स्वतंत्रता के तुरंत बाद पहले राष्ट्राध्यक्ष बने छेदी भरत जगन द्वारा व्हाइट हाउस में कैनेडी और उनके सहायक आर्थर श्लेसिंगर जूनियर से वार्ता के अंत में एक मार्क्सवादी पत्रिका में छपे लेख का उल्लेख मात्र उनके सत्ता से हटने का कारण बना। जगन के खिलाफ हिंसक आंदोलन खड़ा किया गया और उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। स्वयं श्लेसिंगर ने 30 वर्ष बाद डैबारा बालैर राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका आए जगन से इस सत्ता परिवर्तन का सूत्रपात करने के लिए माफी मांगी। इराक में 'वीपंस आफ मास डिस्ट्रक्शन' के बहाने की गई सैन्य कार्रवाई पर हुई छीछालेदर के बाद इन प्रयासों के स्वरूप में बदलाव आया है। अब आर्थिक प्रतिबंध, सर्वस्वतंत्रक क्षेत्रों में घुसपैठ, चुनावी हस्तक्षेप और उग्र प्रदर्शनों का सहारा लिया जा रहा है। इन सभी हथकंडों को स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जान बोल्टन ने स्वीकारा था। लिंडसी का कहना है कि इस कवायद में लक्षित देशों के विपक्षी नेताओं को भरोसा दिलाया जाता है कि उग्र प्रदर्शनों के बल पर सत्ता परिवर्तन संभव है।

कहने को अमेरिका मुनरो डाक्ट्रिन का हवाला देकर लोकतंत्र को रक्षा करने की बात करता है, पर उसने चुनी हुई सरकारों को कई बार गिराया है। 1953 में ईरान की लोकतांत्रिक मोसादेघ सरकार को तेल सौदे फेल होने पर गिराया गया। चिली में सल्वाडोर अल्यदे का तख्तापलट कर क्रूर जनरल पिनोशे को लंबे समय सत्ता में बैठाए रखा गया। अमेरिकी पेंटेल इंटरसेप्ट ने हाल में बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान को इसलिए सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि वह रूस और अमेरिका के बीच तटस्थ रवैया अपनाए थे। प्रधानमंत्री मोदी से भी अमेरिका इसी वजह से नाराज है। अमेरिका सत्ता परिवर्तन इसलिए कर पाता है, क्योंकि उसने सभी देशों में पिछलग्गुओं की फौज बना रखी है। कई बार तख्तापलट के इच्छुक सीधे अमेरिकी राजनयिकों से संपर्क कर लेते हैं।

बांग्लादेश का छात्र आंदोलन हो या यूक्रेन की मैदान क्रांति, सत्ता परिवर्तन का अमेरिकी प्रारूप एक समान है। इन प्रयासों में अमेरिका पीषित एनजीओ, आप्रवासी बुद्धिजीवी और विपक्षी दलों का सहारा लिया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में मुहम्मद यूनुस के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति सलाहुद्दीन अहमद भी यूनुस की तरह फुलब्राइट स्कालर हैं और अमेरिका पीषित एनजीओ चलाते हैं। जो पैरेंट्स अमेरिका ने बांग्लादेश या यूक्रेन में चले, वही वह भारत में भी चल रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी का आरोप है कि राहुल गांधी ने विगत माह विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता बेगम खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान से लंदन में मुलाकात की थी। जब भी अमेरिका को चुनी हुई सरकारों का तख्तापलट करना होता है, वह लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक हितों का शोर मचाना शुरू कर देता है। क्या यह महज दुर्योग है कि राहुल गांधी न सिर्फ अमेरिका जाकर लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के खतरे में होने की बात करते हैं, बल्कि पश्चिमी हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं? क्या यह भी दुर्योग है कि जैसे यूक्रेन में मैदान क्रांति में यानुकोविच को धनकुबेरों की कठपुतली बनाकर माहौल गर्माया गया, वैसे हिंडनबर्ग जैसी संस्थाओं की मदद से राहुल गांधी अदाणी और अंबानी को निशान बना रहे हैं? इन प्रयासों में संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका भी एक समान है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्य तौहीद अहमद ने जैसे विरोध भड़काने का काम किया, ठीक वैसा ही प्रोपेगांडा अमेरिकी टूलबाक्स ने हाल में एक भारतीय यूट्यूबर के नेतृत्व में आयोजित किया। विख्यात अर्थशास्त्री जैफरी सैक्स कहते हैं कि फ्लाइवर के खिलाफ अभियान अमेरिका द्वारा फेक न्यूज फैलाने का प्रयोजन होते हैं।

चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने के जो प्रयास ओमिदयार नेटवर्क, फोर्ड फाउंडेशन और सोरोस पोषित संस्थाओं ने भारत में किए, वही बांग्लादेश में अमेरिका पोषित संस्था ग्रोती ने किया। इसी कारण ग्रोती की सईदी शर्मीन मुर्शीद को भी अंतरिम सरकार में जगह मिली। बांग्लादेश में अमेरिकी हस्तक्षेप इस कदर था कि अमेरिकी राजदूत पीटर हास चुनाव आयुक्त से मिलकर आयोग के कर्मियों को अमेरिकी वीजा प्रतिबंधित करने की धमकी दे रहे थे। भारतीय चुनावों में हस्तक्षेप के लिए कुछ विदेशी पत्रकारों को अथाह पैसा दिया गया। जाति जनगणना उनके ही दिमाग की उपज थी। कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद बांग्लादेश की पुनरावृत्ति भारत में करने की धमकी दे चुके हैं। यद्यपि भारत में तख्तापलट की आशा दुस्साहस से अधिक कुछ नहीं है, तब भी अमेरिकी उपनिवेशवाद का दुमछल्ला बनने की ललक या तख्तापलट के सपने देखना कांग्रेस के माथे पर कलंक है। कांग्रेस नेतृत्व का सोच यह भी बताता है कि उसके लिए भारत भी एक बनाना रिपब्लिक ही है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सरकारों के साथ समाज भी सुधरे

राजीव सचान

यौन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केवल कानूनों को और कठोर करने से बात बनने वाली नहीं है

कोलकाता कांड के विक्षोभ सड़क पर उतरे लोग। एएनआइ

वर्ष 2012 के निर्भया कांड ने जिस तरह देश को आक्रोश और क्षोभ से भर दिया था, वही काम कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज की एक प्रशिक्षु महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या ने किया। निर्भया कांड के बाद जस्टिस जेएस वर्मा के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के दोषियों को समय रहते कठोर सजा देने के लिए आपराधिक कानूनों में संशोधन के सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुरूप कानूनों को संयुक्त कठोर बनाया गया और कुछ राज्य सरकारों ने तो बच्चियों और किशोरियों के दुष्कर्मियों को फांसी की सजा के भी प्रविधान बनाए। कई दुष्कर्मियों को फांसी की सजा सुनाई भी गई। इसके अतिरिक्त निर्भया कांड के दोषियों को देश को झकझोरने वाली इस घटना के आठ साल बाद फांसी की सजा भी दे दी गई, लेकिन आरजी कर मेडिकल कालेज की घटना के बाद यही लगता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामले में देश वहीं खड़ा है, जहां 12 वर्ष पहले था। इसकी पुष्टि छेड़छाड़, दुष्कर्म, अपहरण और दुष्कर्म एवं हत्या के बढ़ते मामलों से होती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महिला अत्याचार रोधी कानूनों को कठोर किए जाने के बाद भी यौन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। किसी भी दिन का समाचार पत्र उठाकर देख लें। यौन अपराध की दो-चार खबरें दिखना आम बात है। मुरादाबाद में अस्पताल में डाक्टर द्वारा नर्स से दुष्कर्म, गाजियाबाद के मोदी नगर में मूक बधिर युवती के अपहरण का प्रयास, ठाणे में सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, रोहतक में सब्बी डाक्टर द्वारा बीडीएस छात्रा का अपहरण, झारखंड के सहिबगंज में पंचायत की ओर से दुष्कर्मी को जुर्माना लगाकर छोड़ देने से आहत किशोरी ने दी जान, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में फर्जी एनसीसी कैंप में किशोरी के यौन उत्पीड़न पर 11 गिरफ्तार... ये सभी खबरें बीते कल यानी मंगलवार को दिल्ली के केवल एक समाचार पत्र की हैं। यह समझा जा सकता है कि देश में ऐसी अन्य घटनाएं हुई होंगी। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध यही बयान करते हैं कि केवल कानूनों को कठोर करने से बात बन नहीं रही है। इसका यह मतलब नहीं कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। कानून न केवल कठोर होने चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यौन अपराधियों को यथाशीघ्र कड़ी सजा मिले। अभी ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होने लगे तो स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन और भी बहुत कुछ करना होगा। घर के बाहर लड़कियां और महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

कोई भी अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित ही माना जाएगा, लेकिन कोलकाता और मुरादाबाद की घटनाएं यह बताती हैं कि ऐसे कार्यस्थल भी महिलाओं के लिए निरापद नहीं रह गए हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत उनके लिए सुरक्षित माना जाता है। आरजी कर मेडिकल कालेज तो बंगाल का एक बड़ा सरकारी मेडिकल कालेज है। वहां की प्रशिक्षु महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या आपातकालीन वार्ड से सटे सेमिनार हाल में हुई। दुष्कर्म और हत्या का आरोपित संजय राय कोलकाता पुलिस का वालंटियर था यानी उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा देने की थी, लेकिन वही सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि ममता सरकार और उनकी कोलकाता पुलिस ने इस जघन्य अपराध पर लीपापोती करने की हर संभव कोशिश की। इसी के चलते इस घटना को लेकर देश भर में वैसा ही आक्रोश उमड़ा, जैसा निर्भया कांड के बाद देखने को मिला था।

निर्भया कांड के बाद शासकवर्ग यौन अपराधों के खिलाफ आम जन के रोष-आक्रोश का सामना कई बार कर चुका है, पर स्थिति में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि सरकारें सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों में महिलाओं के लिए सुरक्षा का समुचित वातावरण बनाने में नाकाम हैं, बल्कि यह भी है कि समाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं है। यदि यह सोचा जा रहा है कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात कर देने एवं कानूनों को और कठोर कर देने से यौन अपराधों पर लगाम लग जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। संभव है सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टास्क फोर्स अस्पतालों में डाक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय सुझाने में सफल रहे, जिन पर अमल से हालात कुछ बदलें, लेकिन प्रश्न केवल चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा का ही नहीं है। प्रश्न तो सभी लड़कियों-महिलाओं की सुरक्षा का है। नारी शक्ति की सुरक्षा तब सुनिश्चित होगी, जब समाज भी इसकी चिंता करेगा। यह समाज को प्राथमिकता होनी चाहिए कि घर-परिवार के साथ स्कूली शिक्षा-दीक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक आयोजनों में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने का काम हो। निःसंदेह लैंगिक भेदभाव एक हद तक दूर हुआ है, लेकिन पूरी तौर पर नहीं। यौन अपराधों का एक बड़ा कारण महिलाओं को कमजोर, कमतर, हीन और भोग की वस्तु समझने की मानसिकता है। इसी कारण वे घरेलू हिंसा से लेकर सार्वजनिक स्थानों में यौन हिंसा का शिकार बनती हैं। जब तक महिलाओं के प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक स्थिति बदलने वाली नहीं। स्थिति बदलने के लिए भावी पीढ़ी को नैतिकता, संस्कार, सदाचार संग लैंगिक समानता की शिक्षा देनी होगी। आज स्थिति यह है कि यदि कहीं नैतिक शिक्षा और संस्कारों की महत्ता पर चर्चा चल निकले तो उसका उपहास उड़ाया जाने लगता है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

धन साधन हो, लक्ष्य नहीं

धन दैनंदिन जीवन के सुचालन का आधार है। इसके अभाव में जहां अनेक कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, वहीं इसकी विपुलता कई बार समस्या बन जाती है। बहुतेरों के जीवन का मात्र यही लक्ष्य है कि न्यूनतम समय में अधिकाधिक धन-संपत्ति जुटा ली जाए। अथाह धन की उत्कंठा विशेषकर युवाओं और बच्चों को भ्रमित कर रही है और उनके सुचारु, स्वस्थ जीवन में बाधा बन रही है। तेजी से बढ़ती इस अवांछित प्रवृत्ति के लिए वे माता-पिता, वरिष्ठजन, नेता और समाज भी दोषी हैं, जो अपरिपक्व मन में यह बात बैठा देते हैं कि सफलता का पैमाना आर्थिक संवृद्धि है। यह सीख-पढ़ कर कि धन के बूते संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, वह धनार्जन को लक्ष्य बना लेता है और इसे पाने के लिए उचित-अनुचित में भेद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति जीवन मूल्यों के साथ सहज ही समझौता करता है। संबंधों की गरिमा और आध्यात्मिक समृद्धि उसके लिए अर्थहीन होती हैं।

व्यवहार में, एकआयामी धनार्जन की राह थाम चुका व्यक्ति उसी दिशा में उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। धन की आवक बढ़ती है तो अनावश्यक वस्तुएं भी जमा होती हैं। साथ ही ऐसी आदतें भी बनती हैं, जो केवल क्षणिक आनंद देती हैं। अनुभव बताता है, जो जीवनशैली हम चुन लेते हैं उससे बापसी प्रायः दुष्कर होती है। जीवन में धनार्जन को ही सर्वोपरि मानने वाला आध्यात्मिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति को कम आंकता है और उसे हेय दृष्टि से देखता है। उसमें अहंकार आ जाता है, और यही उसके विनाश का कारण बनता है। इससे पूर्व कि धन की अधिकता हमें उचित मार्ग से विचलित कर दे, विचार करन होगा कि श्रेष्ठ-सुखी जीवन के लिए कितने धन से जरूरी कार्य निभ जाएंगे। यह भी कि धन साधन भर रहे या स्वयं में लक्ष्य हो।

हरीश बड़थ्वाल

वृद्ध पेड़ भी पेंशन के हकदार

सुधीर कुमार

पेड़ों को पेंशन देने का अर्थ है, उनकी जीवन प्रत्याशा को विस्तार देना। इससे उनकी आक्सीजन एवं अन्य उपदान देने की क्षमता का विस्तार होगा

हरियाणा ने एक निश्चित आयु के वृद्धों को पेंशन देने की योजना की तर्ज पर 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पेड़ों को पेंशन देने की योजना प्रारंभ की है। दरअसल 'प्राण वायु देवता पेंशन योजना' के तहत कुल 3810 पेड़ों का चयन किया गया है। इनमें से प्रत्येक पेड़ को सालाना 2750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह राशि उस योजना के खाते में भेजी जाएगी, जो उस पेड़ की देखभाल एवं रखरखाव करेगा। खास बात यह है कि जिस तरह वृद्धावस्था पेंशन की राशि समय के साथ बढ़ती है, उसी के अनुरूप पेड़ों के लिए निर्धारित पेंशन राशि में भी वार्षिक वृद्धि की जाएगी।

हरियाणा का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत पेड़ों को केवल एक 'आर्थिक वस्तु' के रूप नहीं समझा जा रहा है, बल्कि उन्हें एक 'जीवित इकाई' के रूप में मान्यता दी गई है। पेड़ों को पेंशन देने का अर्थ है, उनकी जीवन प्रत्याशा को विस्तार देना। इसका प्रतिफल यह होगा कि इससे उनकी आक्सीजन एवं अन्य उपदान देने की क्षमता का विस्तार होगा। इस पेंशन योजना के तहत 40 प्रजातियों के पेड़ों को सम्मिलित किया गया है। इसमें मुख्य रूप से पीपल, बरगद, नीम, आम, गूलर और कदंब जैसे पेड़ शामिल हैं। इस विशिष्ट पेंशन योजना का उद्देश्य पारिस्थितिक महत्व के विशाल पेड़ों का संरक्षण करना है। इससे छोटे भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। साथ ही इससे पुराने पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है, क्योंकि पेंशन मिलने की उम्मीद में ऐसे पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। संतुलित पर्यावरण की स्थापना में पेड़-पौधे महती भूमिका निभाते हैं। एक परिपक्व पेड़ एक साल में वातावरण से लगभग 48 पौंड से अधिक कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित कर लेता है। शेष बताते हैं कि एक वर्ष में एक एकड़ के दरमियान लगे पेड़ उतना कार्बन डाईआक्साइड सोख लेते हैं, जितना एक कार अौसतन 2600 मील की दूरी तय कर उत्पन्न करती है।

कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने एक पेड़ की औसत कीमत 74,500 रुपये बताई थी। इसमें आक्सीजन उत्पन्न करने की लागत और समस्त पारिस्थितिक लाभ को जोड़ा गया था। पेड़ों का व्यापक आर्थिक मूल्य होता है। साथ ही इनके पारिस्थितिक महत्व को भी कम नहीं आंका जा सकता है। पेड़-पौधों का संरक्षण पृथ्वी की खुशहाली के लिए जरूरी है। ये वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मृदु के कटाव को रोकने तथा जैव-विविधता का पालन-पोषण करने में भी सहायक हैं। बहरहाल देश में बुजुर्ग नागरिकों की तरह बुजुर्ग पेड़ों को भी संरक्षित करने की दरकार है, तभी देश सामाजिक और पारिस्थितिकी दृष्टि से सबल हो सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

घरेलू बचत का महत्व

'चिंताजनक है घरेलू बचत में कमी आना' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में डा. जयंतीलाल भंडारी ने सही लिखा है कि घरेलू बचत व्यक्ति की आर्थिक मुश्किलों में सबसे विश्वसनीय वित्तीय सहारा होती है, लेकिन इन दिनों इसमें कमी आना चिंता की बात है। देखा जाए तो उपभोक्तावाद ने आज लोगों के पास नकदी कम करने और उनकी बचत पर कैंची चलाने में अहम रोल निभाया है। उपभोक्तावाद बाजार आधारित उदार वैश्विक अर्थव्यवस्था से ही पोषण पाता है। इसके ऊपर जब बैंक एवं वित्तीय संस्थान किसी भी वस्तु के लिए न सिर्फ सहजता से छोटे-बड़े ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि विज्ञापनों द्वारा इसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं तो आम जन के घरेलू बचत पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और तो और बाजार द्वारा विभिन्न पर्व, त्योहार, वार्षिक दिवस इत्यादि पर लोगों को अनेक प्रकार के लुभावने उत्पाद खरीदने के लिए इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि उन उत्पादों के बिना उनका जीवन ही अधूरा है। जबकि वे प्रायः बहुत आवश्यक नहीं होते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक तरफ तो मध्यम वर्ग अपने बचत योग्य आय को खर्च कर देता है तथा दूसरी ओर देश के सकल घरेलू बचत को भी प्रभावित करता है। नए आयकर के प्रविधानों से निश्चित रूप से मध्यम वर्ग थोड़े से आयकर की बचत के लालच में अपने भविष्य के उपयोग हेतु किए जाने वाले बचत से बचने लगा है। यह तो सच्चाई है कि भारत का मध्यम वर्ग आयकर बचत के नाम पर ही विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश करता रहा है, भले ही वह अनिच्छा से हो जो सकल घरेलू बचत में भी प्रभावित करता है। नए आयकर के प्रविधानों से निश्चित रूप से मध्यम वर्ग थोड़े से आयकर की बचत के लालच में अपने भविष्य के उपयोग हेतु किए जाने वाले बचत से बचने लगा है। यह तो सच्चाई है कि भारत का मध्यम वर्ग आयकर बचत के नाम पर ही विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश करता रहा है, भले ही वह

बारूद के ढेर पर दुनिया

पिछले दिनों विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत-अमेरिका के रिश्तों पर एक रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के प्रभावशील स्वभाव की सराहना करते हुए कहा कि कठिन समय में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों की मजबूत कड़ी का दायित्व उन्हीं पर है। साथ में दुनिया-भर में अशांति और अस्थिरता के वातावरण को देखते हुए विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अगले पांच वर्षों के खतरों से आगाह किया। निःसंदेह इजरायल-हमास तथा रूस-यूक्रेन के बीच तनाव की चिंगारी बुझने के आसार नहीं हैं। दूसरी ओर चीन दक्षिण एशियाई देशों के आंतरिक हालात एवं कुख्यात विस्तारवादी गतिविधियों में सक्रिय है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बढ़वा देना चीन की नीति का हिस्सा है। इसके अलावा हाल में बांग्लादेश में तख्तापलट इस बात की पुष्टि करता है कि दुनिया बारूद के ढेर पर तबाही के इंतजार में है।

कृष्ण खन्ना, नई दिल्ली

पनपने न दें मच्छर

देश-विदेश में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। इसी दिन ब्रिटिश डाक्टर सर रोनाल्ड रास ने मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी मच्छर की खोज की थी। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फीलो बुखार, जीका वायरस आदि प्रमुख हैं। खासकर मानसून में जगह-जगह गड्ढों, टंकियों, गमलों, कूलरों में जलभराव तथा पानी एकत्र होने के कारण मच्छरों पनपते हैं। ऐसे में मच्छरों से होने वाली बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना जरूरी है ताकि वे इन खतरनाक बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। हर वर्ष 70 करोड़ लोग मच्छर से संक्रमित होते हैं, जिनमें से लाखों लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। हम सभी को चाहिए कि अपने आस-पड़ोस में गंदे पानी को जमा न होने दें। इसके साथ ही सफाई का ध्यान रखें और कूड़े के ढेर को हम अपने आसपास जमा न होने दें।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: पीनाट ब्रीकल्चर द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****